रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1993 (अग्रहायण 27, 1915)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1993 (AGRAHAYANA 27, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

बम्बई, दिनांक 1993

भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी/52 और भारत के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में 31 दिसम्बर, 1992 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथमदृष्टया आधार मौजूद हैं कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों । का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बम्बई को संसूचित करें । सूची दो भागों में विभाजित की गयी है । भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है ।

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/— ग्राम	निम्न नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
			—कुछ नहीं—		

सूची "ख"

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम जारी की	किस तारीख से ब्याज दिया	प्रतिलिपि जारी करने एवं/या भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार/रों का/के नाम	आदेश संख्या एवं जारी करने की तारीख	लोक ऋण अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गयी थी
1	2	3	4	5	6	7
			कलकत्ता मंडल			
			3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946			
सी०ए०—200355	1,000/-	शशीभूषण घोष एण्ड सन्स	16—9—1962	वैद्यनाथ मंडल	संयुक्त प्रबंधक का आदेश दिनांक 8—10—92 (डीवाई सं० एल० सी० ओ० 65 92—93 दिनांक 13—10—92) फाईल सं० I—2491	—
सी० ए०—198799	1,000/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	—
सी० ए०—206485	200/-	पंचानन मंडल (मृत)	—वही—	—वही—	—वही—	—
सी० ए०—206486	500/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	—
सी० ए०—206487	1,000/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	—
सी० ए०—206488	1,000/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	—
			3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण 1970—75			
सी० ए० 055364	500/-	—वही—	15—10—1962	—वही—	—वही—	—
			9 प्रतिशत ऋण 2013			
सी० ए०—000099	2,00,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	जारी करने के बाद ब्याज नहीं दिया गया	पी० के० मिश्रा, बी० के० चौधुरी और आर० सी० बागची, न्यासी, नैशनल कं० लि० ज्यूट मील कामगार भविष्य निधि	संयुक्त प्रबन्धक का आदेश दि० 28—10—92 (डी० वाई०) सं० एल० सी० ओ० 91/92—93 दिनांक 13—10—92, फाईल सं० I—2467	—
सी०ए०—001005	5,00,000/-	—वही—	—वही—			
			राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 "बी" शृंखला			
एम०एम०—017532	9 ग्राम	सी० पी० करुप्पय्या	27—10—67	के० धनलक्ष्मी	जे० एम० डी० वाई० सं० 119 दिनांक 19—5—92 (एम० एम० 2627)	—

1	2	3	4	5	6	7
एम०एस०-035316	2 ग्राम	बी० पी० फिलिप	27-10-67	बी० पी० फिलिप	जे०एम०डी०वाई० सं० 48 दिनांक 12-10-92 (एल० एन० 2628)	—
एम० एम०-016504	10 ग्राम	जी० सभापति	27-10-66	जी० सभापति	जे०एम०डी० वाई० सं० 64 दिनांक 29-10-92 (एल० एन० 2255)	— —
			नागपुर मंडल राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बंधपत्र, 1980-श्रृंखला "बी"			
एन० जी०-001481	30 ग्राम	सत्यनारायण तिवारी (मृत)	27-10-66	योगेश नारायण तिवारी	सी० ओ० 390 30-6-92	—
			बंगलूर मंडल 3 1/2 प्रतिशत राष्ट्रीय योजना, ऋण 1964			
*बी० एल०-001568	500.00	भारतीय रिज़र्व बैंक	10-4-58	के० तिप्पय्या	फाइल सं० एम० एन० 305 305 प्रबंधक का आदेश दिनांक 14-9-89 और दिनांक 12-12-89 का केन्द्रीय कार्यालय का अनुमोदन	—

*अनुलिपि बांडों को शीघ्र जारी किया/चुकौती मूल्य का भुगतान प्राधिकृत

1	2	3	4	5	6	7
			कानपुर मंडल राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बंधपत्र श्रृंखला "ए"			
के० एन०-000462	12 ग्राम	महावीर प्रसाद डागा	27-10-66	महावीर प्रसाद डागा	सी० ओ० आई० आर० 2304/50 दिनांक 30-3-88 एल० एन० जी० 138	5-11-88

मुख्य लेखाकार,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय,
सरकारी और बैंक लेखा विभाग,
केन्द्रीय ऋण प्रभाग,
बम्बई-400 051 ।

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता-700071, दिनांक 4 अक्तूबर, 1993

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (5)/3/93-94 :—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-ई० सी० ए० (4)/3/92-93 दिनांक 22 जनवरी, 1993, 4-ई० सी० ए० (4)/1/77-78 दिनांक 18-2-78, 3-एस० सी० ए० (4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर, 1990 और 4-सी० ए०(1)/9/68-69 दिनांक 31 जुलाई, 1968, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमो के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर मे निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन: उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	3503	श्री नित्या नन्दा पाधी, ए० सी० ए०, प्लोट नं० 313, खारवेला नगर, यूनिट-3, भुवनेश्वर—751001 ।	1-10-92

1	2	3	4
2.	3840	श्री बिमल कुमार बसु, एफ० सी० ए०, स्यूट-सी, 1, अश्विनी दत्ता रोड, कलकत्ता-700029 ।	1-10-92
3.	6504	श्री पशुपति नाथ दारुका, ए० सी० ए०, केयर ग्रोफ ग्रार० के० भगानिया एण्ड कं०, 29ए रविन्द्रा सरानी, 2 फ्लोर, ग्रार० नं० 8, कलकत्ता-700073 ।	8-6-93
4.	7504	श्री मुखर्जी सुधरसन, ए० सी० ए०, 25 रूस्सा रोड, (साउथ), 3 लेन, कलकत्ता-700033 ।	26-8-93
5.	7713	श्री बसु अमल कुमार, ए० सी० ए०, जी० डी० 85, सैक्टर-3, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700091 ।	30-6-93
6.	9856	श्री गुप्ता अखलेन्द्रा मोहन, ए० सी० ए०, 2/2, सेवक बैद्या स्ट्रीट, कलकत्ता-700029 ।	1-10-92

ए० के० मजमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर, 1993

सं० यू-16/53/1/89-चि०-2 (महाराष्ट्र) संग्रह-II :—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसारण में तथा महानिदेशक के आदेश सं० 1024 (जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा से शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० एस० आर० करनाकर को चालिसा गांव क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल-प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एक वर्ष की अवधि तक (1 अक्तूबर, 1993 से 30 सितम्बर, 1994) तक या किसी पूर्ण कालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

(डा०) (श्रीमती) ए० ए० अम्बेकर
चिकित्सा आयुक्त

सं० : यू-16/53/1/89-चि०-2 (महाराष्ट्र) संग्रह-2 :—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा बरसी के डा० बी० जी० गायकवाड को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 24 नवम्बर, 1993 से 23 नवम्बर, 1994 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इनमें से जो पहले हो बरसी केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल-प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

(डा०) (श्रीमती) ए० ए० अम्बेडकर
चिकित्सा आयुक्त

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत निर्गमित)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर, 1993

एफ० नं० : सी० ए०/20/93—वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के नियम 8 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं चुनाव अधिकारी की हैसियत से नीचे दी गई सारणी के खाना 4 की सर्वाधिक प्रतिविष्ट के प्रयोजन के सारणी के खाना 1, 2 और 3 में बताई गई तारीख, समय और स्थान निश्चित करता हूं :—

सारणी

तारीख	समय	स्थान	प्रयोजन
(क) सोमवार 20-12-93	3 बजे सांय	कार्यालय वास्तुकला परिषद् 8बी, शंकर मार्किट कनाट सर्कस, नई दिल्ली—110001 ।	नामजदगी कागजात की प्राप्ति और उनकी जांच के लिए
(ख) सोमवार 27-12-93	3 बजे सांय	कार्यालय वास्तुकला परिषद् 8 बी शंकर मार्किट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 ।	निर्वाचकों का मतपत्र भेजने लिए
(ग) I बुधवार 12-1-94	3 बजे सांय	कार्यालय वास्तुकला परिषद् 8 बी, शंकर मार्किट कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 ।	मतदान के लिए
II बुधवार 12-1-94	4 बजे सांय	कार्यालय वास्तुकला परिषद् 8 बी, शंकर मार्किट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 ।	मतपत्रों की जांच तथा उनकी गिनती के लिए ।

अशोक यादव
चुनाव अधिकारी,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 45वीं वार्षिक रिपोर्ट 1992-93

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 के अधीन निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अक्तूबर 1993

1. परिचालन वातावरण एवं परिदृश्य

सं. ओविनि/बोर्ड व सम./45वीं वामस/93—

1.01 दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड निदेशक बोर्ड 30 जून, 1993 को समाप्त 15 माह की अवधि के लेखा परीक्षित लेखा विवरण सहित, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (औविनि अधिनियम, 1948) के अधीन स्थापित पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भाऔविनि) के क्रियाकलापों के बारे में अपनी 45वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है ।

1.02 दिनांक 2 अप्रैल, 1993 को औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अन्तरण एवं निरसन) अधिनियम, 1993 के अनुसरण में, दिनांक 21 मई, 1993 को दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को (जिसे इसमें आईएफसीआई भी कहा गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी के रूप में निगमित किया गया और दिनांक 24 जून, 1993 को कारोबार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र जारी किया गया। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (वैंकिंग प्रभाग) द्वारा दिनांक 7 जून, 1993 को जारी अधिसूचना के अनुसार औविनि अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित भाऔविनि उपक्रम, दिनांक 1 जुलाई, 1993 से उपर्युक्त कम्पनी में अन्तरित एवं निहित हो गया है ।

1.03 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने दिनांक 7 जून, 1993 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा औद्योगिक वित्त निगम नियम, 1965 में संशोधन किया और भाऔविनि का कारोबार वर्ष 30 जून को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की । इस प्रकार अपने कारोबार वर्ष 1992-93 के लिए भाऔविनि ने दिनांक 31 मार्च, 1993 की बजाए 30 जून, 1993 को लेखाबंदी की । अतः अब यह रिपोर्ट 15 माह की अवधि अर्थात पहली अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1993 तक के लिए प्रस्तुत की जा रही है। जहां कहीं भी पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं वे पूरे 12 माह (अप्रैल-मार्च) के लिए हैं ।

1.04 समीक्षाधीन अवधि में भाऔविनि के परिचालनों, कार्य-निष्पादनों और कार्य-परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यह श्रेयस्कर होगा कि वर्ष 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के दौरान विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य और भारत में विद्यमान आर्थिक एवं औद्योगिक वातावरण तथा भावी संभावनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से विचार किया जाए ।

(क) विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति

1.05 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) की व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, 1992 के अनुसार सम्प्रति विश्व की अर्थव्यवस्था असमन्वित, निराशाजनक एवं समग्रतः मन्द विकास की ऐसी अवस्था में है जिसमें निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर सुधार की बहुत कम संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं । रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं संरचनात्मक स्वरूप की हैं जो अलग-अलग देश समूहों या क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं । इसका स्पष्ट उदाहरण मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देश हैं, जहां नवीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संस्थानों की स्थापना की जा रही है ।

1.06 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार तथाकथित गतिशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि की गति धीमी हो गई है, परन्तु चीन में हो रही तीव्र संवृद्धि का लाभ उन्हें मिलता रहेगा । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाइलैंड और मलेशिया सहित दो गतिशील एशियाई अर्थव्यवस्थाएं हांगकांग और ताइवान—अपने समृद्धिशील पड़ोसियों के व्यापार, वित्तीय एवं प्रौद्योगिकीय सम्पर्क से अभी भी लाभ उठाएंगे । आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने बताया है कि जिन लैटिन अमरीकी देशों की मैक्रो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है और जिन्होंने उदार आर्थिक नीतियां अपना ली हैं, उनके कार्यकलाप अपेक्षाकृत उत्साहवर्धक रहे हैं ।

1.07 संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) के अनुमान के अनुसार 1992 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि दर 1.5% होगी और 1993 में इस संवृद्धि दर में 3% की व्यापक बढ़ोतरी होगी । उत्तरी अमरीका के सम्बन्ध में अंकटाड का अनुमान है कि 1992 में संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 1.5% और कनाडा की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 2% हो जाएगी । पश्चिमी यूरोप में, मास्ट्रिट संधि के अनुसमर्थन की प्रक्रिया में व्याप्त अनिश्चितताओं के कारण भी कारोबार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान आदि दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक परिदृश्य न केवल विदेशी वातावरण पर निर्भर करता है अपितु इन देशों की आन्तरिक स्थितियों जैसे—राजनैतिक स्थिरता, मौसम की स्थिति, घरेलू मांग तथा अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना— के सुधार की विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की गति पर भी निर्भर करता है। पश्चिमी एशिया में तेल के कुछ उत्पादकों द्वारा निर्यात में वृद्धि के कारण उनके चालू लेखा घाटे में कमी होनी चाहिए ।

1.08 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने यह संभावना व्यक्त की है कि 1993 में औद्योगिक देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी । आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने अपने आर्थिक परिदृश्य में यह संभावना व्यक्त की है कि 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5% और 1994 में 3% वृद्धि हो जाएगी, जबकि 1992 में 1.75% की वृद्धि हुई है । संगठन का अनुमान है कि ब्रिटेन में 1993 की पहली छमाही में आर्थिक कार्य में धीमी प्रगति होगी । वर्ष 1993 में जर्मनी में आर्थिक विकास की गति धीमी ही बनी रहेगी परन्तु 1994 में मुद्रा स्फीति की गति कम होने और ब्याज दर में गिरावट आने से इसमें तीव्र सुधार होने की आशा है । फ्रांस का सकल घरेलू उत्पाद 1992 में 1.9% से घटकर 1993 में 1.6% हो जाने की संभावना है । इटली में सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त उपायों के कारण आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी ।

1.09 1991 से ही विश्व अर्थव्यवस्था सुधारों में निरन्तर कमी की भविष्यवाणी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष "विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य" की नवीनतम रिपोर्ट में इस बात की

चेतावनी दी है कि यह परिदृश्य "असामान्य रूप से अनिश्चित" बना हुआ है। विश्वव्यापी सुधार के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है जापान और विशेषत: यूरोप के आर्थिक कार्यों में हाल ही में आई बाजार मंदी, जिसके 1993 के अधिकांश भाग में भी बने रहने की संभावना है। यद्यपि कुछ औद्योगिक राष्ट्र इस मंदी से उबर चुके हैं, तथापि कई अन्य राष्ट्रों में विकास दर में कमी आई है। परिणामस्वरूप, विश्व उत्पादन की विकास दर 1991 में 0.5% से बढ़कर 1992 में 1.75% हो गई है। इसके बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी भविष्यवाणी की है कि विश्व उत्पादन विकास दर 1993 में 2.25% से बढ़कर 1994 में 3.5% हो जाने में इस दिशा में सुधार की स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी।

1.10 मुद्रा कोष द्वारा पृथक-पृथक अर्थव्यवस्था के आकार और विश्व अर्थव्यवस्था में उनके स्थान निर्धारित करने के लिए बाजार विनिमय दरों की बजाय क्रय शक्ति समता (पीपीपी) का उपयोग करने के कारण कुछ विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं। इससे समग्रत: विश्व तथा विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर भी प्रभावित हुई है। विकासशील देशों का स्थान 17.7% से बढ़कर 34.4% हो गया है जबकि उद्योगीकृत देशों का स्थान 73.2% से घटकर 54.4% रह गया है तथा पूर्वी यूरोप एवं स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल का स्थान 9.1% से बढ़कर 11.2% हो गया है। इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 1992 में इसका मूल्यांकन 1105 बिलियन डालर आंका गया था। क्रय शक्ति समता पर आधारित उपायों में विश्व अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ विकास निहित होगा जिसमें 1983 और 1992 के बीच वार्षिक आधार पर लगभग 0.5% औसत सुधार होने की आशा है।

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था 1992-93

1.11 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 1992-93 का वर्ष एक अस्त-व्यस्त वर्ष रहा है। श्रेष्ठ प्रतिभूति और स्टाक बाजार में प्रतिभूति घोटाले के कारण उदारीकरण की प्रक्रिया कुछ समय के लिए थम सी गई। दिसम्बर, 1992 तथा जनवरी, 1993 में हुए साम्प्रदायिक एवं अन्य दंगों का भी इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वस्तुत: अत्यधिक अच्छी फसल होने और भुगतान संतुलन की स्थिति स्थिर रहने के कारण मूल्य नियंत्रित रहे। 1992-93 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर बढ़कर 3% होने की संभावना है जबकि 1991-92 के दौरान इसमें 1.2% की अल्प वृद्धि हुई। तथापि, सरकार के हाल ही के निर्णयों से इस बात की पुष्टि होती है कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया पुन: आरम्भ हो चुकी है और 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद में 5% की वृद्धि रखने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

कृषि क्षेत्र

1.12 सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा इससे संबद्ध क्रियाकलाप, सदैव बड़े एकल सहयोगी हैं, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 35% का योगदान देते हैं। पिछले चार दशकों में भारत में कृषि क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई है। तिलहन (लगभग 21 मिलियन टन), कपास (12 मिलियन गांठें) सहित कई उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और 1992-93 के दौरान, खाद्यान्न उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 181.2 मिलियन टन रहा जो भारतीय कृषि में समुत्थान शक्ति का द्योतक है और जिसने निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है।

1.13 आठवीं योजना में उत्पादकता में निरन्तर सुधार करते हुए तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन में वर्षों से निर्मित आधार से लाभ अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। सातवीं योजना में हुए 11.23% कुल कृषि निवेश को बढ़ाकर आठवीं योजना में 18.65% करने का प्रस्ताव है। योजना अवधि के दौरान 7,98,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से 1,48,800 करोड़ रुपए कृषि में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। 1993-94 के दौरान कृषि तथा इससे संबंधित वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य 2255 मिलियन डालर निर्धारित किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में डालर मुद्रा में 12.5% वृद्धि का द्योतक है। 1992-93 के दौरान इन निर्यातों के लक्ष्य का स्तर 2000 मिलियन डालर रखा गया है।

औद्योगिक क्षेत्र

(i) नीति पहल

1.14 जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद निगमित क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित प्रवेश, लाइसेंसिंग और नियंत्रण के बारे में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अनुदेशों में ढील दी गई। 1992-93 में आरम्भ किए गए नीति संबंधी उपायों का मूलाधार इन सुधारों को और अधिक मजबूत बनाना और उन्हें उद्योग के अन्य क्षेत्रों में लागू करना है। औद्योगिक अल्कोहल, मोटर कार, उपभोक्ता सामग्री (रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कण्डीशनर), खाल और चमड़े के कुछ सामान, के बड़े पैमाने के उत्पादन के निर्माण को, लाइसेंस के दायरे से हटा दिया गया है। अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाले उद्योगों अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को छोड़कर, आधुनिकीकरण/नवीकरण हेतु क्षमता विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया।

1.15 निजी क्षेत्र (विदेशी निवेशकों सहित) को तेल की खोज और परिशोधन में निवेश, जो पहले सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, के लिए आमंत्रित किया गया। सरकार ने उन सभी 13 श्रेणियों को भी निजी क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया जो अब तक पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। विद्युत क्षेत्र को भी घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेश के लिए मुक्त कर दिया गया और केन्द्र सरकार के 1993-94 के बजट में विद्युत उत्पादन और वितरण अथवा मात्र विद्युत उत्पादन करने वाली नवीन परियोजनाओं हेतु पांच वर्ष के लिए कर अवकाश योजना भी आरम्भ की गई। लाइसेंसिंग नीति, टैरिफ एवं शुल्कों, आदि सहित अनेकानेक मामलों में उद्यमियों की सहायता करने के लिए निवेश संवर्धन एवं परियोजना अनुवर्तन कक्ष की स्थापना की गई।

1.16 औद्योगिक संवृद्धि को पुन: उपयुक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए राजस्व तथा आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में भी अनेक उपाय आरम्भ किए गए। 1992-93 के बजट में उदार विनिमय दर प्रबंध पद्धति की घोषणा की गई जिसके अधीन अर्जित विदेशी मुद्रा की 60% राशि को विनिमय की बाजार दरों पर परिवर्तित करने की अनुमति दी गई। इससे आयातित पूंजीगत माल, प्रौद्योगिकी तथा कच्चे माल तक पहुंच की व्यापक सुविधा प्राप्त हुई। व्यापार लेखा हेतु रुपए को पूर्णत: परिवर्तनीय बनाने के लिए उदार विनिमय दर प्रबंध पद्धति को

दिनांक 1 मार्च, 1993 से आशोधित किया गया। व्यापार नीति को उदार बनाया गया और आयात की प्रतिबंधित सूची में बड़े पैमाने पर कटौती की गई।

1.17 विदेशी निवेश के प्रवाह को गतिशील बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता माल क्षेत्र के कुछ विनिर्दिष्ट उद्योगों को छोड़कर, सभी विदेशी निवेश अनुमोदनों पर लाभांश संतुलन के संबंध में अब तक लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया। अग्रता वाले उद्योगों की सूची, जहां 51% तक के विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति थी, को संशोधित किया गया तथा पहले वाले वर्गीकरण को युक्तिसंगत बनाया गया और उनमें नई मदें शामिल की गयीं। सरकार ने जहाजरानी कम्पनियों तथा सॉफ्टवेयर उद्योग में 51% विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति प्रदान की। उच्च अग्रता वाले उद्योगों में विस्तार कार्यक्रम के रूप में विदेशी इक्विटी जुटाने को इच्छुक कम्पनियों तथा विस्तार कार्यक्रम न रहने पर भी प्रमुखतः उच्च अग्रता वाले उद्योगों में लगी कम्पनियों को इक्विटी आधार बढ़ाने हेतु 51% तक विदेशी निवेश जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक) का स्वतः अनुमोदन उपलब्ध होगा। घरेलू बाजारों में बेची गयी वस्तुओं में विदेशी ब्रांड अथवा ट्रेड मार्क के इस्तेमाल करने के प्रतिबंधों को हटा लिया गया। खनन उद्योग में विदेशी इक्विटी की सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। नान-कोप्टिव खानों में विदेशी पार्टियों द्वारा 50% से अधिक इक्विटी भागीदारी करने के बारे में मामले वार आधार पर विचार किया जाएगा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) को संशोधित किया गया और फेरा कम्पनियों पर लगे अधिकांश निवेश प्रतिबंधों को हटा लिया गया। अनिवासी भारतीयों तथा प्रमुखतः उनके स्वामित्व वाले विदेशी निगमित निकायों को पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभ सहित उच्च अग्रता क्षेत्रों में 100% विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति प्रदान की गयी। निर्यात एवं व्यापार गृहों, होटलों और पर्यटन से संबंधित उद्योगों में भी अनिवासी भारतीयों को पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभ सहित 100% निवेश की अनुमति दी गयी। भारत ने दिनांक 13 अप्रैल, 1992 को विदेशी निवेशों की संरक्षा के लिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारण्टी एजेंसी प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किए।

1.18 औद्योगिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के कार्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से 1993-94 के केन्द्रीय बजट में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए पांच वर्ष के लिए कर अवकाश की घोषणा की गई।

1.19 सरकार ने विनियमन की अपनी नीति के अनुसार फास्फेटिक उर्वरकों तथा शीरे से नियंत्रण समाप्त करने की भी घोषणा की। चीनी कोटा शुल्क को 45% से घटाकर 40% करके चीनी उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान किया गया जिससे खुले बाजार में कोटा को 60% कर दिया गया।

1.20 इस बात को स्वीकार किया गया कि उद्योगों के विनियमन एवं उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आधार प्रदान करने के फलस्वरूप आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में देश तेजी से अग्रसर होगा। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में श्रमिक शक्ति को सक्रिय उत्पादक भागीदार बनाए रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण निधि की स्थापना की। इस निधि ने 1992-93 में सक्रिय रूप से अपना कार्य आरम्भ किया तथा आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप आवश्यकता पड़ने पर यह निधि श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन में सहायता प्रदान करेगी। यह निधि संरचनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रियाधीन औद्योगिक इकाइयों में नियोजित श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी।

(2) औद्योगिक कार्य-निष्पादन

(क) प्रमुख क्षेत्र

1.21 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 0.1% की गिरावट के मुकाबले 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 1.3% की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष में 1.6% की गिरावट हुई थी, जबकि समीक्षाधीन वर्ष में 0.6% की वृद्धि हुई। खनन एवं खदान क्षेत्र में पिछले वर्ष 0.3% वृद्धि की तुलना में 1.5% विस्तार हुआ। विद्युत क्षेत्र में संवृद्धि जो 1991-92 में 8.5% थी, वह 1992-93 में घटकर 5% रह गयी। 1992-93 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की सबसे चिन्ताजनक स्थिति यह थी कि उक्त वर्ष की अंतिम तिमाही में इसमें काफी तेजी से गिरावट आयी। वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान औद्योगिक उत्पाद में 3.7% की बढ़ोतरी हुई, परन्तु 1992-93 की अंतिम तिमाही में इसमें लगातार गिरावट होती रही।

(ख) बड़े उद्योग

1.22 1992-93 के दौरान बिक्री योग्य कुल 16 मिलियन टन इस्पात-उत्पादन 1991-92 की तुलना में 14.6% अधिक था। समन्वित इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में 13.4% और गौण इस्पात उत्पादों में 19% की वृद्धि हुई। 54.14 मिलियन टन का सीमेंट उत्पादन 1991-92 के मुकाबले केवल 0.2% अधिक था, परन्तु 56 मिलियन टन के लक्ष्य से कम था। नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 7.43 मिलियन टन हुआ जो कि 1991-92 के 7.34 मिलियन टन के उत्पादन से 1.8% अधिक था। इसी अवधि के दौरान फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन 2.56 मिलियन टन से घटकर 2.30 मिलियन टन हुआ जिसके फलस्वरूप इसमें 10% की गिरावट आई। कास्टिक सोडा का उत्पादन पिछले वर्ष के 10.18 लाख टन के उत्पादन से 4.4% बढ़कर 10.62 लाख टन हो गया। सोडा एश का उत्पादन 1991-92 में 13.27 लाख टन की तुलना में 1992-93 के दौरान 13.83 लाख टन हुआ।

1.23 वस्त्र क्षेत्र में 1992-93 के दौरान कुल 23,140 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष के 22,588 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन की तुलना में 2.4% अधिक था। 4,869 करोड़ रुपये के सूती कपड़े के निर्यात में 1992-93 में 27% की शानदार संवृद्धि हुई, जबकि धागे का उत्पादन 1819 मिलियन किलोग्राम हुआ जो कि 1991-92 में उत्पादित 1684 मिलियन किलोग्राम से 8% अधिक था तथा मिल क्षेत्र द्वारा फैब्रिक्स के उत्पादन में 1992-93 में 5% की गिरावट आई। मानवनिर्मित फाइबर/धागे का उत्पादन 1991-92 में 6.84 लाख टन था जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11.4% बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया। सिन्थेटिक फाइबर के निर्यात में 1991-92 के मुकाबले मूल्य की दृष्टि से 30% की वृद्धि हुई।

1.24 1992-93 के दौरान चीनी का उत्पादन 125.85 लाख टन हुआ जो कि 1991-92 में उत्पादित 129.68 लाख

टन के मुकाबले 3% कम था। चमड़ा उद्योग में 1992-93 के दौरान 4% की संवृद्धि हुई और इस उद्योग का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योगों में चौथा स्थान रहा। रबड़ का उत्पादन 4.50 लाख टन हुआ जो कि 1991-92 में हुए 4.24 लाख टन की तुलना में 6.1% अधिक था। 209 लाख आटोमोबाइल टायरों का उत्पादन किया गया जो कि 1991-92 में उत्पादित टायरों से 7.9% अधिक था।

1.25 पूंजीगत माल उद्योग 1992-93 में भी संकटग्रस्त रहे। बिजली मशीन उद्योग में 1991-92 के दौरान 12.5% की कमी आई थी परन्तु 1992-93 में 1.5% की और अधिक कमी आई। धातु उत्पादनों में 1991-92 में 7% और 1992-93 में 5% की गिरावट आई। इसी प्रकार गैर बिजली मशीन उद्योग में 1991-92 एवं 1992-93 में क्रमश: 2.9% एवं 3% की गिरावट आई। परिवहन उपस्कर उद्योग में 1992-93 के दौरान 2.5% की संवृद्धि हुई परन्तु आटोमोबाइल उद्योग में गिरावट जारी रही। चार पहियों वाले वाहनों की श्रेणी में वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति सबसे खराब रही परन्तु आटो अनुषंगी उद्योग का कार्य सराहनीय रहा।

(ग) अवस्थापना

1.26 जहां तक अवस्थापना उद्योगों का सवाल है, 1992-93 में खनिज तेल का उत्पादन 26.94 मिलियन टन था जो कि 1991-92 के 30.35 मिलियन टन के उत्पादन स्तर से 11.2% कम रहा परन्तु यह भी 1989-90 के उत्पादित 33.03 मिलियन टन खनिज तेल के अधिकतम स्तर से 8.1% कम था। खनिज तेल के घरेलू उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप आयातों पर निर्भरता बढ़ी। 1992-93 के दौरान, अनुमानत: 29.42 मिलियन टन खनिज तेल का आयात किया गया। 1992-93 के दौरान कोयले का उत्पादन 238.23 मिलियन टन (कुकिंग कोल 45.40 मिलियन टन तथा गैर कुकिंग कोल 192.83 मिलियन टन) हुआ जो कि 1991-92 के उत्पादन की तुलना में 3.9% अधिक था। 1992-93 में पन बिजली उत्पादन में 3.9% की गिरावट के बावजूद बिजली उत्पादन 5% बढ़कर 301 बिलियन किलोवाट हुआ। ताप संयंत्र का औसत प्लांट लोड फैक्टर 1991-92 में 55.3% था जो 1992-93 में बढ़कर 57.1% हो गया। 1992-93 में संप्रेषण एवं वितरण संबंधी क्षय लगभग 23% था। रेलवे ने 349.61 मिलियन टन माल ढोया जो कि 1991-92 की तुलना में 5.8% अधिक था।

(घ) निगमित कार्य निष्पादन

1.27 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष के घोषित परिणामों से स्पष्ट है कि निगमित क्षेत्र का कार्यनिष्पादन अच्छा रहा। सेंटर फार मानिटरिंग दि इण्डियन इकानामी, बम्बई (सीएमआईई) (अर्धवार्षिक इकनामिक आउटलुक-जून, 1993 में प्रकाशित) के अनुसार 617 कम्पनियों के संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि निगमित क्षेत्र की निवल बिक्री 18.7% बढ़ी है जो पिछले वर्ष में हुई 18.1% की वृद्धि से थोड़ा सा अधिक है। सकल लाभ की संवृद्धि दर में 1989-90 में 37% की वृद्धि हुई थी लेकिन उसके बाद से संवृद्धि दर में लगातार गिरावट आई है, जो 1992-93 में घटकर मात्र 13% रह गई। दूसरी ओर निवल लाभ की स्थिति में काफी सुधार हुआ और 1990-91 में हुई 37% की संवृद्धि गिरकर 1991-92 में मात्र 5% रह गई थी परन्तु 1992-93 में निवल लाभ की संवृद्धि में सुधार हुआ और निवल लाभ की संवृद्धि 14.5% हुई। बड़ी कम्पनियां (सर्वेक्षण के अनुसार ऐसी 121 कम्पनियां जिनकी टर्न ओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है) के कार्य-परिणाम मध्यम एवं लघु कम्पनियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रभावकारी रहे। मध्यम एवं लघु कम्पनियों की बिक्री में सकल लाभ में लगभग 7% और निवल लाभ में लगभग 9% की वृद्धि हुई। इन कम्पनियों ने मूलत: "अन्य स्रोतों" की आय से लाभ अर्जित किया है।

विदेश व्यापार एवं भुगतान संतुलन

(1) नीतिगत उपाय

1.28 1992-93 में निर्यात क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और विशेष रूप से मात्रा के आधार पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 13.6% निर्यात संवर्धन के संदर्भ में, 1992 से 1997 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए एक नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई। नई आयात-निर्यात नीति का मूलाधार स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तथा व्यापार को नियन्त्रणों से मुक्त करना है। निर्यात कार्य के लिए अपेक्षित आयातित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं में परिवर्तन किए गए हैं जिनमें ड्यूटी छूट योजना (डीईएस), निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजीएस) तथा ड्यूटी ड्रा बैंक स्कीम (डीबीएस) शामिल हैं, ताकि निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातकों को अन्तरराष्ट्रीय कीमत पर अथवा उसके आस-पास की कीमतों पर कच्चा माल, कल-पुर्जे, संघटक इत्यादि एवं पूंजीगत माल उपलब्ध कराया जा सके। अन्तरराष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना (आईपीआरएस) की समीक्षा की गई है और उसके क्षेत्र में विस्तार किया गया ताकि निर्यातक घरेलू बाजार में उपलब्ध लोहा एवं इस्पात का उपयोग कर सकें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखें। अधिकाधिक निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आयात की नकारात्मक सूची की कुछ मदों के आयात के लिए कुछ श्रेणियों के निर्यातकों को विशेष आयात लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। निर्यात प्रोसेसिंग जोन एवं निर्यातोन्मुख इकाइयों की योजनाओं में विस्तार किया गया है ताकि इनके अंतर्गत पहले से अनुमत्य विनिर्माण क्रियाकलापों के अतिरिक्त कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों को भी शामिल किया जा सके। निर्यात में वृद्धि करने के लिए वस्तु विशेष कार्य नीति के एक भाग के तौर पर एक्स्ट्रीम फोकस प्राडक्टस के रूप में 1992-93 के दौरान 34 ऐसे उत्पादों को रखा गया है, जिनमें मात्रा एवं मूल्य के संदर्भ में 30% की संवृद्धि की निर्यात क्षमता है। विदेशों में इक्विटी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यमों की स्थापना सुविधाओं के संबंध में नए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। एक्जिम स्क्रिप्स प्रणाली के स्थान पर मार्च, 1992 में रुपए की आंशिक संपरिवर्तनीयता आरम्भ की गई जिसे पहली मार्च, 1993 से व्यापार लेखे के लिए पूर्ण संपरिवर्तनीय बना दिया गया।

1.29 निर्यात प्रयासों में समर्थन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय, वित्तीय, मौद्रिक एवं औद्योगिक नीतियों में भी परिवर्तन किए गए हैं। 1992-93 के दौरान आयात टैरिफ स्तरों में पहले 150% के अधिकतम स्तर तक की कमी की गई जिसे कम करके पुन: 110% और बाद में फिर 85% कर दिया गया। इसके अतिरिक्त समकक्ष निर्यातों को टर्मिनल

उत्पाद शुल्क की वापसी की मंजूरी दी गई है। निर्यात हेतु वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से निर्यात उधार पर ब्याज की दर, जो कि 24 फरवरी, 1992 से एक प्रतिशत पवाइंट कम कर दी गई थी, को 9 अक्तूबर, 1992 से एक प्रतिशत प्वाइंट और घटा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले निवल बैंक उधार का कम-से-कम 10% जून, 1993 के अंत तक निर्यात क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुभेय वित्तीय सीमाओं का उपयोग इस प्रकार न किया जाए कि वे निर्यात उधार के लिए बाधक तत्व बनें।

1.30 निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक अतिरिक्त उपाय किए गए : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, एनआरआई निवेश तथा ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों में निक्षेप एवं निवेश। ऊपर पैरा 1.17 में जो बताया गया है उसके अतिरिक्त सरकार ने विख्यात विदेशी संस्थानात्मक निवेशकों (एफआईआई) को इस शर्त के अधीन भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी है कि वे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में पंजीकरण कराएं और विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करें। उपर्युक्त विदेशी संस्थानात्मक निवेशकों द्वारा प्रमुख एवं गौण बाजारों में किया जाने वाला पोर्टफोलियो निवेश किसी कम्पनी में निर्गम शेयर पूंजी के 24% की समग्र सीमा की शर्त के अधीन होगा।

व्यापार कार्य-निष्पादन एवं विदेशी मुद्रा रिजर्व

1.31 1991-92 के दौरान डालर के संदर्भ में, निर्यात में 1.1% की कमी आई थी परन्तु वर्ष 1992-93 में 3.6% की वृद्धि हुई। सामान्य मुद्रा क्षेत्रों (जीसीए) में निर्यात 1991-92 के दौरान हुई 6.2% की बढ़ोतरी की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 10.8% की वृद्धि हुई। निर्यात के रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) में 62.8% की गिरावट आई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 42.4% की गिरावट से काफी अधिक थी। 1992-93 के दौरान आयातों में (डालर के संदर्भ में) 12.1% वृद्धि हुई। पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट्स (पीओएल) पदार्थों के आयात में 20.9% की वृद्धि हुई तथा गैर-पीओएल आयात में 8.7% की वृद्धि हुई।

1.32 विदेशी मुद्रा रिजर्व (सोना एवं विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) अगस्त, 1991 के अंत में मात्र 1141 मिलियन डालर रह गया था परन्तु मार्च, 1993 के अंत तक यह बढ़कर 6434 मिलियन डालर हो गई।

वित्तीय क्षेत्र

(1) वित्तीय क्षेत्र में सुधार

1.33 नरसिंहम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में वित्तीय क्षेत्र में सुधार सम्बन्धी कार्य-नीतियां प्रारम्भ की गई ताकि संतुलित विनिमयन एवं पर्यवेक्षण के अधीन विशालित, प्रतिस्पर्धात्मक एवं बाजारोन्मुख वित्तीय प्रणाली विकसित की जा सके। सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में कमी की गई और इसमें तीन वर्षों के दौरान 25% की और कमी करने का लक्ष्य है। आशा है कि इस कमी के फलस्वरूप व्यापार एवं उद्योग को दिए जाने वाले उधार के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध हो सकेंगी। अतिरिक्त उधार योग्य संसाधनों के निर्गम द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी कमी की गई है। निक्षेप दरों एवं उधार दरों की संख्या में कमी करके ब्याज दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है।

1.34 भारतीय रिजर्व बैंक ने आय की मान्यता, परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण एवं अशोध्य ऋणों के प्रावधान से सम्बन्धित नए विवेकसम्मत मानदण्डों के लिए बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत बास्ले समिति के मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम पूंजी मानक निर्धारित किए गए हैं। जिन भारतीय बैंकों की शाखाएं विदेशों में हैं, उन्हें 31 मार्च, 1994 तक जोखिम भारित परिसम्पत्तियों एवं तुलन-पत्र की अलावा अन्य मदों के कुल जोड़ के 8% के समकक्ष अक्षुण्ण न्यूनतम पूंजी निधि प्राप्त करनी होगी। अन्य बैंकों को 31 मार्च, 1993 तक 4% एवं 31 मार्च, 1996 तक 8% का पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड प्राप्त करना होगा। भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों को 31 मार्च, 1993 तक 8% का उपर्युक्त मानदण्ड प्राप्त करना था। यह भी निर्णय लिया गया है कि उन बैंकों को, जो ऐसा करने की स्थिति में हैं, अगले तीन वर्षों के दौरान अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं में कमी को पूरा करने के लिए नयी इक्विटी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन आशा है कि उपर्युक्त आधार पर शीघ्र ही मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे।

1.35 इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, समाज के सभी वर्गों को कम लागत पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और कार्य क्षमता सुनिश्चित की जा सकेगी, निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए मानदण्ड बनाए एवं घोषित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत वित्तीय अधीक्षण हेतु एक पृथक बोर्ड की स्थापना करके पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।

(2) मुद्रा एवं ऋण नीति

1.36 मुद्रा स्फीति में कमी लाने के लिए 1992-93 में समग्र मुद्रा नीति कुल मिलाकर प्रतिबन्धात्मक रही, लेकिन अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुछ हद तक छूट प्रदान की गई। 2.00 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों के लिए न्यूनतम उधार दर दो स्तरों में 19% से 17% तक कर दी गई और जून, 1993 में इसे और कम करके 16% कर दिया गया। बैंकों को अनिवासी अन्य (रुपया) खातों तथा घरेलू सावधि निक्षेप राशियों पर ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई बशर्ते कि यह क्रमशः अधिकतम 12% एवं 11% हो। सूती वस्त्रों, कपास, सब्जियों के बीजों, वनस्पति तेलों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रणों में ढील प्रदान की गई। बैंकों द्वारा जून, 1993 तक निवल बैंक ऋण की न्यूनतम 10% राशि निर्यातकों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निर्यात ऋण पर ब्याज दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की कमी की गई। निवल अवधि एवं मांग देयताओं पर मार्च, 1992 तक एसएलआर में चरणबद्ध रूप में 38.5% से 37.75% तक की कमी की गई। अप्रैल, 1993 में एसएलआर में प्रतिशत के एक अंक तक पुनः कमी की घोषणा की गई; एसएलआर में चार बार में प्रत्येक बार 0.25% की कमी की जाएगी, जिसमें अन्तिम कम 13 नवम्बर, 1993 से प्रभावी होगा। परन्तु 3 अप्रैल, 1992 के स्तर से निवल मांग और समय देयताओं में किसी भी वृद्धि के लिए 30% एसएलआर निर्धारित किया गया है। सीआरआर को दो चरणों में 15% से कम करके 14%

किया गया । दूसरे चरण को 15 मई, 1993 से प्रभावी किया गया ।

1.37 अब वाणिज्यिक बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों से संबंधित दरों पर निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी । एक नया विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) आरम्भ किया जाएगा जिसमें विनिमय सम्बन्धी जोखिम भारतीय रिजर्व बैंक की बजाय बैंकों द्वारा वहन किया जाएगा । विदेशी बैंकों से कहा गया है कि वे जून, 1993 तक प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य प्राप्त कर लें, यदि इसमें कोई कमी रहती तो उसे भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक में 10% वार्षिक की ब्याज दर पर, कमी के समकक्ष राशि को जमा कराकर पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार के सम्बन्ध में कुल लक्ष्य घरेलू बैंकों के समान ही होगा तथा इसमें निर्यात ऋण भी शामिल होगा । विदेशी बैंकों को 32% के निर्यात ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य मार्च, 1994 तक प्राप्त कर लेने चाहिए ।

(3) मुद्रा एवं ऋण प्रवृत्ति

1.38 1992-93 में मुद्रा विस्तार के सम्बन्ध में कुछ नियमन किए गए हैं । वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान एम 3 (कुल मुद्रा स्त्रोत) के विस्तार की दर 1991-92 में 51,558 करोड़ रुपये (19.3%) की तुलना में 41,817 करोड़ रुपये (13.1%) रही । यद्यपि 1992-93 में एम 3 में विस्तार की दर 10.4% की लक्षित संवृद्धि दर से काफी अधिक रही।

1.39 1992-93 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल निक्षेपों में 36,389 करोड़ रुपये (15.8%) की वृद्धि हुई जबकि 1991-92 में यह वृद्धि 38,217 करोड़ रुपये (19.8%) थी । 1992-93 के दौरान मांग नोटिसों में 650 करोड़ रुपये (1.5%) की मामूली वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1991-92 में 11,896 करोड़ रुपये (35.8%) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी । 1992-93 के दौरान मांग जमा राशियों में 35,729 करोड़ रुपये (10.2%) की प्रभावशाली संवृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह संवृद्धि 26,321 करोड़ रुपये (16.5%) थी ।

(5) पूंजी बाजार एवं निवेश परिदृश्य

1.40 बैंकिंग पद्धति में सुधार के साथ-साथ ही पूंजी बाजार में इसी प्रकार के सुधार प्रारम्भ किए गए। 30 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश जारी करके भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, जिसके अधीन सरकार पूंजी निर्गमों की मात्रा एवं मूल्य पर नियंत्रण रखती थी, को निरस्त कर दिया गया तथा पूंजी निर्गम नियंत्रक (सीसीआई) कार्यालय को समाप्त कर दिया गया । चुनिंदा भारतीय कम्पनियों को विदेश पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी । भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने पूंजी बाजार का नियंत्रण तथा दलालों, उप दलालों एवं डीलरों का पंजीकरण आरम्भ किया । विदेशी संस्थानात्मक निवेशकों को भारतीय कम्पनियों में निवेश की अनुमति दी गयी । म्यूचुअल फण्डस एवं पोर्टफोलियो प्रबंधकों को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की नियंत्रण शक्तियों के दायरे में लाया गया ।

1.41 पूंजी बाजारों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापार प्रणाली एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गयी ताकि बढ़े हुए कार्यों को पूरा किया जा सके । इस उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों ने नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इण्डिया लि. की स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बोंडों को सक्रिय गौण बाजारों का आधार प्रदान करने के लिए सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना का प्रस्ताव किया है ।

1.42 ब्याज दर में बढ़ोतरी करके तथा प्रतिभूतियों की नीलामी की पद्धति आरम्भ करके सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार को मजबूत बनाने हेतु कदम उठाये गये । इन प्रतिभूतियों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान की गयी। 91 दिवसीय और नवीन 364 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की नीलामी प्रारम्भ हो गयी है ।

1.43 पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय के बंद किए जाने के पश्चात स्टाक बाजारों के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को नियंत्रक निकाय बना दिया गया । भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने पूंजी बाजार में प्रवेश करने वालों को, पर्याप्त रूप से सूचना प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन निर्गम प्रलेखों के मूल्य निर्धारण के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की । अधिकांश कम्पनियों के प्रवर्तकों ने इस स्वतंत्रता का उपयोग, अपने इक्विटी निर्गमों के मूल्य को बाजार में विद्यमान उच्च मूल्यों के निकट रखने के लिए किया । अनेक मामलों में अभियान के बंद होते ही बाजार मूल्य निर्गम मूल्य से नीचे आ गया । इससे निवेशकों के विश्वास को धक्का पहुंचा और इसके फलस्वरूप स्टाक बाजारों में दीर्घकालिक मंदी व्याप्त हो गयी ।

मूल्य स्थिति

1.44 1992-93 के दौरान मूल्य स्थिति में काफी सुधार हुआ तथा वर्ष के दौरान मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर में क्रमिक रूप में कमी आई । मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर, थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार वर्ष 1991-92 के अंत में 13.6% से कम होकर मार्च, 1993 में 6.8% हो गयी और जून, 1993 में यह घटकर 6.1% रह गयी । यह गिरावट मुख्य रूप से कृषि सामान, आवश्यक उपभोक्ता सामान एवं औद्योगिक उत्पादों के कारण आई। यद्यपि खाद एवं पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई, परन्तु 1992-93 में इनके समर्थित मूल्य पिछले दो वर्षों की तुलना में समीचीन रहे। 1992-93 के दौरान औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की औसत वृद्धि घटकर 9.6% रह गयी जबकि 1991-92 में यह वृद्धि 13.5% तथा 1990-91 में 11.6% थी । वर्ष के दौरान जिन प्रमुख कारणों से मुद्रास्फीति को रोकने में मदद मिली उनमें राजकोषीय घाटे पर कठोर नियंत्रण, आयात का उदारीकरण, सख्त मुद्रा नीति, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के लिए आयात को नियंत्रण करने के उपायों में छूट शामिल है ।

संभावनाएं (1993-94)

1.45 वर्ष 1993-94 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक वर्ष माना जाना चाहिए । आठवीं योजना की सफलता उदारीकरण की नीति के सार्थक परिणामों तथा इस सम्बन्ध में रुकावटों को दूर करने के लिए अपनाए गये विरोधाभासों को समाप्त करने पर निर्भर करेगी । नये क्रियाकलापों की लेनदेन-गियों की बेहतर समझदारी इस योजना के दूसरे वर्ष यानी 1993-94 में ही संभव हो सकती है । प्रारम्भिक मूल्यांकन के

अनुसार यह प्रतीत होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था व्यापक समृद्धि की दिशा में अग्रसर है ।

1.46 वर्ष 1992-93 के मौसम में कृषि क्षेत्र में संतुलित संवृद्धि हुई । इससे आठवीं योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए आशा का संचार हुआ । विशेष रूप से इस समय जो नयी कृषि नीति बनाई जा रही है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि कृषि क्षेत्र के लिए अब भी जो बाधाएं मौजूद हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा । 210 मिलियन टन के खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा जबकि तिलहनों के उत्पादन के 23 मिलियन टन तथा कपास की 140 लाख गांठों के लक्ष्य को भी काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा । गन्ना और पटसन के मामले में भी इनके मूल्यों तथा इनकी प्रतिस्पर्धी अन्य फसलों के मूल्यों के बीच उचित तालमेल बैठाकर इनमें क्रमिक वृद्धि की जा सकती है । चूंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है, विशेष रूप से निर्यात क्षमता रखने वाले ऐसे उद्योगों को, अत: वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में खेती बाड़ी को सुदृढ़ करने पर और निश्चित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उपज बढ़ाने पर जोर देना चाहिए ।

1.47 1993-94 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में लगभग 4.5% की वृद्धि की संभावना है। यह वर्ष 1992-93 में हुई 1.3% की वृद्धि तथा 1991-92 की 0.1% की कमी की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि मानी जाएगी। 1993-94 के दौरान निवेश वातावरण में सुधार की संभावना है । 1993-94 के दौरान पूंजी बाजार में मुद्रा प्रवाह में लगभग 35,600 करोड़ रुपये की और वृद्धि की संभावना है ।

1.48 आठवीं योजना का प्रारंभ पहली अप्रैल, 1992 को एक वर्ष की देरी से हुआ । योजना के उद्देश्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाने के कारण मई, 1992 में ही 7,98,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा सका जो सातवीं योजना में 4,00,000 करोड़ रुपये था । पिछली योजनाओं की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के परिव्यय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का भाग कम रहा जो कि कुल परिव्यय का 45.24% था । अत:, भविष्य में निजी एवं संयुक्त क्षेत्र की पावर, खाद, पैट्रोकैमिकल एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ तेल उत्पादन एवं उपयोग में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी । लेकिन, कोयला, लौहअयस्क तथा अलौह धातुओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी बना रहेगा । विनिर्माण में निजी क्षेत्र 25% के नवीन निवेश के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा । ऊर्जा क्षेत्र में निजी उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्साहन के प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र, कुल परिव्यय में 90% योगदान करता रहेगा । दूर-संचार के क्षेत्र में भी यद्यपि निजी क्षेत्र को दूर-संचार के उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथापि सार्वजनिक क्षेत्र 96% भागीदारी के साथ अग्रणी रहेगा ।

1.49 भारत की भुगतान संतुलन की अल्पकालीन नकदी समस्या पर नियंत्रण कर लिया गया है तथा अन्तरराष्ट्रीय विश्वास पुन: प्राप्त हुआ है । विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में पर्याप्त वृद्धि होने से 1991-92 के दौरान भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार परिलक्षित हुआ है, जो बाह्य क्षेत्र में और सुधार करने तथा वर्ष 1992-93 के दौरान उदारीकरण की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा । निर्यात वृद्धि की वर्तमान गति को बनाये रखना तथा इसे और सुदृढ़ बनाना ही भुगतान समस्या का स्थायी समाधान होगा ।

1.50 केन्द्रीय सरकार की उदारीकरण नीतियों में निहित आर्थिक सुधारों के लिए सरकार का दृढ़ निश्चय कार्यान्वियन डिस्कशन पेपर "इकोनोमिक रिसोर्सिज-टू इयर्स आफ्टर एण्ड दि टास्क अहेड" से ही परिलक्षित होता है, जिसमें आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना दी गयी है तथा जिसमें व्यवस्थापना क्षेत्र के एकाधिकार स्वरूप को समाप्त करने तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण अधित्याग करने पर पूर्ण नियंत्रण लगाते हुए, वर्ष 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद में केन्द्रीय राजस्व घाटे को 5.6% से घटाकर 1996-97 में 3% करने की परिकल्पना की गयी है । इस डिस्कशन पेपर में अन्य बातों के साथ-साथ उपसहायता कम करने, समर्थित मूल्यों के प्रति नवीन दृष्टि अपनाने तथा सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट सम्बन्धी आवंटन में और कटौती करने, व्यय नियंत्रण व्यवस्था कड़ी करने तथा कर सुधारों का कार्य पूरा करने की इच्छा व्यक्त की है ।

1.51 जैसा कि विश्व बैंक ने अपनी "ग्लोबल इकोनोमिक प्रास्पेक्ट्स एण्ड दि डवेलपिंग कन्ट्रीज 1993" नामक रिपोर्ट में राय व्यक्त की है, भारत 1990 के दशक में 5% की वार्षिक औसत विकास दर प्राप्त कर लेगा । इसमें आगे कहा गया है कि देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने की संभावना (1) निर्यात को पहले ही दिए गए प्रोत्साहनों के प्रति उसमें हुई वृद्धि की गति, (2) दिए गए प्रोत्साहनों से अर्थव्यवस्था द्वारा लाभ उठाये जाने की गति पर निर्भर करेगी ।

2. समग्र परिचालन

2.01 1992-93 (अप्रैल, 1992, से जून, 1993) का वर्ष भाऔविनि के लिए एक निर्णायक वर्ष रहा । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक कम्पनी में परिवर्तन करने के लिए पहली अक्तूबर, 1992 को सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया ताकि भाऔविनि पूंजी बाजार में प्रवेश कर सके तथा सरकार द्वारा गारण्टी दी गई निधियों पर अपनी निर्भरता कम कर सके । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए संशोधित लेखांकन मानदण्ड भी जारी किए गए और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखांकन मानदण्डों के लिए भी इसी प्रकार के मार्गनिर्देश जारी किए जाने की संभावना है । परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता हेतु विचारार्थ प्रस्तावों के गुणावगुणों पर और अधिक जोर दिया गया । इस कठिन परिदृश्य के बावजूद 1992-93 (अप्रैल, 1992 से जून, 1993) में 15 महीनों की अवधि के दौरान, भाऔविनि की विभिन्न सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत 533 परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 3714.10 करोड़ रुपए की सकल मंजूरियां की गई, जो पिछले वर्ष 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मंजूर की गई 2435.00 करोड़ रुपए की निवल वित्तीय सहायता की तुलना में वार्षिकी आधार पर 22.8% अधिक थे । परियोजना दौरान, 2463.93 करोड़ रुपए के सकल संवितरण किए गए जो पिछले वर्ष संवितरित 1604.77 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिकी आधार पर 22.8% अधिक थे । परियोजना वित्तपोषण और वित्तीय सेवाओं, दोनों क्षेत्रों में 1992-93 (अप्रैल-जून) में मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजनावार विस्तृत वर्गीकरण एवं 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार योजनावार संचयी आंकड़ों की स्थिति सारणी-1 में दी गई है ।

सारणी 1: मंजूर एवं संवितरित सहायता का योजना-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

वित्त पोषण योजना	(1992–93) (अप्रैल–जून)			30 जून, 1993 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरिया (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. परियोजना वित्त परियोजनाओं से संबंधित	368	2670.06 (71.9%)	1936.05 (78.6%)	3941	13533.10 (81.3%)	9278.38 (83.5%)
उप जोड़ (1)	368	2670.06 (71.9%)	1936.05 (78.6%)	3941	13533.10 (81.3%)	9278.38 (83.5%)
II. वित्तीय सेवाएं						
— उपस्कर वित्त	62	237.69 (6.4%)	234.61 (9.5%)	362	1033.92 (6.2%)	722.53 (6.5%)
— उपस्कर लीजिंग	10	147.86 (4.0%)	32.83 (1.3%)	103	520.40 (3.1%)	274.31 (2.5%)
— उपस्कर उपार्जन	—	—	0.47 (—)	27	35.74 (0.2%)	26.71 (0.2)%
— उपस्कर उधार	64	129.15 (3.5%)	105.81 (4.3%)	226	603.89 (3.6%)	436.90 (3.9%)
— पूंजीकार उधार	3	20.00 (0.5%)	5.32 (0.2%)	36	61.05 (0.4%)	24.20 (0.2%)
— भेता उधार	29	407.64 (11.0%)	51.60 (2.1%)	72	537.38 (3.2%)	100.52 (0.9%)
— लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाओं को सहायता	18	95.90 (2.6%)	89.63 (3.7%)	74	313.63 (1.9%)	242.72 (2.2%)
— किस्त उधार	3	5.80 (0.1%)	7.61 (0.3%)	4	10.50 (0.1%)	7.81 (0.1%)
उप जोड़ (II)	188	1044.04 (28.1%)	527.88 (21.4%)	904	3116.51 (18.7%)	1835.70 (16.5%)
कुल जोड़ (I–II)	556	3714.10 (100.0)	2463.93 (100.0)	4845 (100.0%)	16649.61 (100.0%)	11114.08 (100.0%)

टिप्पणी (1) वास्तविक सहायता-प्राप्त परियोजना वर्ष 1992-93 में 533 और 30 जून, 1993 तक 4309 थी। कुछ परियोजनाओं ने एक से अधिक योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है।

(2) कोष्टकों में दिये गये आंकड़े जोड़ प्रतिशत के द्योतक हैं।

2.02 मर्चेन्ट बैंकिंग क्रियाकलापों में वृद्धि के फलस्वरूप परियोजना वित्तपोषण हेतु रुपया ऋण की मंजूरियों में कुछ कमी आई, परन्तु परियोजना वित्त के अंतर्गत वार्षिकी आधार पर संवितरणों में 14.3% की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत मंजूरियों में 19.9% की वृद्धि हुई, परन्तु उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध पद्धति के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के वैकल्पिक स्रोतों के कारण संवितरणों में पर्याप्त कमी आई। हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में मंजूर की गई वित्तीय सहायता में वार्षिकी आधार पर 156.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की गई जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान पूंजी बाजार से जुटाई गई निधियों की बड़ी मात्रा द्योतक है।

2.03 संचयी रूप से, भाऔविनि द्वारा इसकी विभिन्न योजनाओं के अधीन जून, 1993 के अंत तक 4,309 परियोजनाओं को 16,649,61 करोड़ रुपए की सकल सहायता मंजूर की गई। 30 जून, 1993 तक 11,114.08 करोड़ रुपए का समग्र संवितरण किया गया, जिसमें नकद संवितरण, अर्थात् गारंटियों को छोड़कर संवितरण की राशि 10,636.34 करोड़ रुपए थी। 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया सहायता पोर्टफोलियो की राशि 8,815.58 करोड़ रुपए थी।

उद्योग-वार सहायता

2.04 1992-93 (अप्रैल–जून) के दौरान भाऔविनि द्वारा मंजूर सहायता का उद्योगवार विवरण एवं 30 जून, 1993 तक के संचयी आंकड़े सारणी-2 में दिए गए हैं। 1992-93 (अप्रैल–जून) के दौरान जिन उद्योगों को भाऔविनि से समग्रतः उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हुई, वे हैं—वस्त्र (12.9%), पैट्रोलियम रिफाइनिंग (12.8%), बिजली एवं गैस (12.2%), लोहा एवं इस्पात (10.7%), रसायन एवं रसायन उत्पाद (9.6%)। 1992-93 में पेट्रोलियम रिफाइनिंग को भाऔविनि के पोर्टफोलियो में पहली बार शामिल किया गया। वस्त्र उद्योग की 84 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई जो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक थी। इसके बाद की संख्या अनुसार स्थिति इस प्रकार है—रसायन एवं रसायन उत्पाद (82), लोहा एवं इस्पात (51), खाद्य उत्पाद (30), होटल एवं पर्यटक संबंधी क्रियाकलाप (27), सीमेंट (25), इलैक्ट्रानिक्स (24) परिवहन उपस्कर (20), लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाएं (18), चीनी (17), बिजली एवं गैस (17)।

सारणी 2 : सहायता का उद्योग-वार विवरण

(करोड़ रूपये)

उद्योग	(1992–93) (अप्रैल–जून)			30 जून, 1993 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चीनी						
— सहकारिता	5	21.95	0.6	231	430.00	2.6
— अन्य	12	19.47	0.5	111	297.54	1.8
— विविध खाद्य उत्पाद	30	77.67	2.1	159	395.61	2.4
वस्त्र	84	478.67	12.9	783	2036.05	12.2
रसायन						
— मूल रसायन	45	140.16	3.8	224	777.28	4.7
— उर्वरक व कीटनाशक	5	114.94	3.1	80	739.98	4.4
— कृत्रिम रेशे	11	165.64	4.5	76	958.52	5.8
— कृत्रिम रेसिन्स, प्लास्टिक सामान एवं उत्पाद	9	21.31	0.6	135	739.52	4.4
— अन्य रसायन व रसायन उत्पाद	37	216.45	5.8	234	779.57	4.7
सीमेंट व सीमेंट उत्पाद	25	192.87	5.2	163	1059.40	6.4
कागज व कागज उत्पाद	11	78.73	2.1	133	560.01	3.4
रबड़ उत्पाद	13	54.97	1.5	61	271.28	1.6
लोहा व इस्पात	51	396.44	10.7	296	1675.93	10.1
मशीन व उपांग	15	57.98	1.6	234	531.93	3.2
परिवहन उपस्कर व पुर्जे	20	133.01	3.6	173	636.26	3.8
इलैक्ट्रानिक्स	24	191.35	5.1	199	846.79	5.1
बिजली मशीनरी व उपस्कर	10	31.06	0.8	128	220.25	1.3
धातु उत्पाद	3	34.24	0.9	118	258.53	1.6
अलौह धातु	6	9.43	0.3	49	149.28	0.9
विविध अधातु खनिज उत्पाद	15	69.68	1.9	122	356.43	2.1
गैस व बिजली	17	452.66	12.2	40	914.14	5.5
होटल व पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप	27	54.54	1.4	158	328 75	2.0
चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं	7	31.69	0.8	34	115.69	0.7
तेल शोधन	2	474.42	12.8	2	474.42	2.8
खनन	5	16.03	0.4	38	147.50	0.9
मत्स्य पालन	2	9.81	0.3	3	26.59	0.1
लीजिंग	18	95.90	2.6	74	314.53	1.9
अन्य उद्योग	24	73.03	1.9	251	607.83	3.6
जोड़	533	3714.10	100.0	4309	16649.61	100.00

2.05 उत्पादों के उपयोग—आधारित वर्गीकरण के अनुसार, 1992-93 (अप्रैल—जून) के दौरान मंजूर की गई सहायता एवं 30 जून, 1993 तक की स्थिति के अनुसार संचयी सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण सारणी-3 में दिया गया है । पिछले वर्ष की तुलना में, 1992-93 में भाऔविनि द्वारा मध्यवर्ती माल उद्योगों, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों और सेवा उद्योगों में प्रदत्त सहायता में कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई । तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में मूलभूत उद्योगों तथा पूंजीगत माल उद्योगों को दी गई सहायता क्रमशः 82.7% तथा 32.9% अधिक रही।

सारणी 3 : उत्पादों के उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार सहायता का उद्योग-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

उद्योग	1992–93 (अप्रैल–जून)			30, जून 1993 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
मूल उद्योग						
(अर्थात् मूल धातु उद्योग, मूल औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन, आदि)	156 (128)	1796.95 (786.86)	48.4 (32.3)	892 (828)	5937.93 (4140.98)	35.7 (32.0)
पूंजी माल उद्योग						
(अर्थात् मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर, आदि)	69 (73)	413.40 (248.79)	11.1 (10.2)	734 (710)	2235.23 (1821.81)	13.4 (14.1)
मध्यवर्ती माल उद्योग						
(अर्थात् रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब आदि)	94 (92)	593.63 (448.08)	16.0 (18.4)	827 (782)	3662.19 (3068.51)	22.0 (23.7
उपभोक्ता माल उद्योग						
(अर्थात् चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती-ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	157 (204)	722.58 (788.53)	19.5 (32.4)	1544 (1474)	3962.87 (3240.33)	23.8 (25.1)
सेवा उद्योग						
(अर्थात् होटल, चिकित्सा सेवाएं, जहाजरानी आदि)	57 (68)	187.54 (161.76)	5.0 (6.7)	312 (294)	851.39 (663.86)	5.1 (5.1)
जोड़	533 (565)	3714.10 (2435.0)	100.0 (100.0)	4309 (4088)	16649.61 (12935.49)	100.0 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष 1991–92 और संचयी 31 मार्च, 1992 के हैं।

राज्य-वार सहायता

2.06 1992-93 तथा 30 जून, 1993 तक संचयी आधार पर भाऔविनि की सहायता का राज्यवार ब्यौरा सारणी-4 में दिया गया है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, मात्रावार आधार पर भाऔविनि की सहायता में प्रथम छः स्थान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों को प्राप्त हुए ।

सारणी 4 : सहायता का राज्य/संघराज्य-क्षेत्र-वार प्रसार

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	1992–93 (अप्रैल–जून)			30 जून, 1993 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि (रु०)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	48	172.85	4.7	408	1380.92	8.3
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1	0.16	—
असम	—	—	—	39	116.08	0.7
बिहार	9	42.71	1.2	85	231.39	1.4
गोवा	4	7.01	0.2	31	83.72	0.5
गुजरात	51	938.88	25.3	397	2620.78	15.7
हरियाणा	32	204.60	5.5	197	621.74	3.7
हिमाचल प्रदेश	14	104.66	2.8	60	353.69	2.1
जम्मू-कश्मीर	3	1.16	—	23	29.82	0.2
कर्नाटक	26	244.61	6.6	266	795.88	4.8
केरल	8	26.74	0.7	104	192.04	1.2
मध्य प्रदेश	34	417.24	11.2	213	1171.41	7.0
महाराष्ट्र	84	429.38	11.6	744	2522.12	15.2
मणिपुर	—	—	—	1	2.45	—
मेघालय	—	—	—	6	7.96	0.1
नागालैण्ड	—	—	—	4	2.60	—
उड़ीसा	12	43.94	1.2	84	408.71	2.5
पंजाब	33	239.00	6.4	209	919.77	5.5
राजस्थान	44	146.79	4.0	197	886.39	5.3
सिक्किम	1	Amount accounted for in HP		4	2.96	—
तमिलनाडु	44	224.68	6.0	423	1187.11	7.1
त्रिपुरा	—	—	—	3	4.41	—
उत्तर प्रदेश	51	208.73	5.6	450	1741.84	10.5
पश्चिम बंगाल	14	73.39	2.0	226	822.63	5.0
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1.29	—	1	2.71	—
चंडीगढ़	1	0.50	—	7	11.34	0.1
दादरा एवं नगर हवेली	1	0.25	—	11	19.09	0.1
दमन एवं दीव	—	—	—	5	6.12	—
दिल्ली	15	176.99	4.8	77	424.33	2.5
पांडिचेरी	3	8.70	0.2	33	79.44	0.5
जोड़	533	3714.10	100.0	4309	16649.61	100.0

क्षेत्र-वार सहायता

2.07 1992-93 के दौरान और संचयी आधार पर 30 जून, 1993 तक परियोजनाओं एवं उन्हें मंजूर तथा संवितरित वित्तीय सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण सारणी-5 में दिया गया है । 1992-93 के दौरान, सहकारी क्षेत्र की 18 परियोजनाओं को 64.17 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई जो कुल सहायता का 1.7% है । इस अवधि के दौरान, वित्त-पोषित औद्योगिक सहकारिताओं में 5 चीनी सहकारिताएं, 2 वस्त्र सहकारिताएं एवं मूलभूत औद्योगिक रसायनों तथा कृत्रिम रेशों से संबंधित 11 अन्य सहकारिताएं शामिल थीं । 30 जून, 1993 तक भाऔविनि ने संचयी आधार पर 369 औद्योगिक सहकारिताओं को कुल मिलाकर 773.50 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, जिसमें से 610.20 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही संवितरित की जा चुकी थी ।

सारणी 5 : मंजूर एवं संवितरित सहायता का क्षेत्र-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	(1992–93) (अप्रैल–जून)			30 जून, 1993 तक संचयी		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
I. सहकारी	18	64.17 (1.7%)	72.38 (2.9%)	369	773.50 (4.6%)	610.20 (5.5%)
उप–जोड़ (I)	18	64.17 (1.7%)	72.38 (2.9%)	369	773.50 (4.6%)	610.20 (5.5%)
II. निगमित						
— निजी	462	2775.66 (74.8%)	2058.37 (83.6%)	3303	12629.52 (75.9%)	8555.94 (77.0%)
— सरकारी	24	527.41 (14.2%)	108.70 (4.4%)	328	1462.35 (8.8%)	751.18 (6.7%)
— संयुक्त	29	346.86 (9.3%)	224.48 (9.1%)	309	1784.34 (10.7%)	1196.76 (10.8%)
उप जोड़ (II)	515	3649.92 (98.3%)	2391.55 (97.1%)	3940	15876.11 (95.4%)	10503.88 (94.5%)
कुल जोड़ (I+II)	533	3714.10 (100.0)	2463.93 (100.0)	4309	16649.61 (100.0)	11114.08 (100.0)

टिप्पणी : कोष्टकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

2.08 निगमित क्षेत्र में, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निजी क्षेत्र की 462 परियोजनाओं को 2775.66 करोड़ रुपए (74.8%) की सहायता प्राप्त हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की 24 परियोजनाओं को (सरकारी बजट के समर्थन के अंतर्गत न आने वाली) 527.41 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई, जो कुल सहायता का 14.2% थी। जहां तक संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का सवाल है, संयुक्त क्षेत्र की केवल 29 परियोजनाओं को 346.86 करोड़ रुपए (जो कुल सहायता का 9.3% है) की सहायता मंजूर की गई। इस प्रकार इस अवधि के दौरान निगमित क्षेत्र की 515 परियोजनाओं को, जिनमें निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं, कुल मिलाकर 3649.93 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। संचयी रूप से, कुल मिलाकर 15876.11 करोड़ रुपए (कुल का 95.4%) की सहायता दी गई जिसमें से 10,503.88 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके थे।

पिछड़े क्षेत्रों को सहायता

2.09 इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 241 परियोजनाओं को भाऔविनि की सहायता 1642.80 करोड़ रुपए रही जो मंजूर की गई कुल सहायता का 44.2% है। संचयी रूप से, 30 जून, 1993 तक भाऔविनि ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 1963 परियोजनाओं को कुल मिलाकर 7,891.27 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की जो भाऔविनि की समग्र निवल संचयी मंजूरियों का 47.4% है। इन मंजूरियों में से 30 जून, 1993 तक 5,379.76 करोड़ रुपए का संवितरण किया जा चुका था।

परियोजना वित्त

2.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परियोजना वित्त मंजूरियों की राशि 368 परियोजनाओं के लिए 2670.06 करोड़ रुपए और संवितरण की राशि 1936.05 करोड़ रुपए थी। पिछले वर्ष की तुलना में, वार्षिकी आधार पर, परियोजना वित्त मंजूरियों और संवितरण क्रमशः 21.3% एवं 23.8% अधिक थे। परियोजना वित्त का सुविधावार वर्गीकरण सारणी-6 में दिया गया है।

2.11 1992-93 (अप्रैल–जून) में भाऔविनि द्वारा मंजूर की गई कुल परियोजना वित्त सहायता में से 1565.87 करोड़ रुपए की राशि 145 नई परियोजनाओं को प्राप्त हुई, इनमें से परियोजनाओं के मामले में पूंजीगत परिव्यय 3.00 करोड़ रुपए तक था, 6 परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ रुपए एवं 5 करोड़ रुपए के बीच था, 16 परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के बीच था, 36 परियोजनाओं का पूंजीगत परिव्यय 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए था और 85 ऐसी परियोजनाएं थीं जिनका प्रति परियोजना पूंजीगत परिव्यय 20 करोड़ रुपए से अधिक था।

सारणी 6 : परियोजना वित्त का सुविधा-वार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये)

सुविधा	(1992–93) (अप्रैल–जून)		30 जून, 1993 तक संचयी	
	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)	मंजूरियां (रु०)	संवितरण (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परियोजना वित्त				
— रुपया ऋण	1450.86 (54.4%)	1252.36 64.7%)	9234.91 (68.2%)	6905.21 (74.4%)
— विदेशी मुद्रा ऋण	256.87 (9.6%)	256.80 (13.3%)	2149.29 (15.9%)	1562.30 (16.9%)
— हामीदारी तथा प्रत्यक्ष अभिदान	592.06 (22.1%)	140.50 (7.2%)	1352.18 (10.0%)	336.18 (3.6%)
— गारंटियां				
— आस्थगित अदायगियां हेतु	347.87 (13.30%)	124.04 (6.4%)	595.51 (4.4%)	262.17 (2.8%)
— विदेशी ऋणों हेतु	23.40 (0.9%)	162.35 (8.4%)	201.31 (1.5%)	212.52 (2.3%)
जोड़	2670.06 (100.00)	1936.05 (100.00)	13533.10 (100.00)	9278.38 (100.00)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

2.12 विद्यमान 223 परियोजनाओं को मंजूर 1104.19 करोड़ रुपए की सहायता में से 56 परियोजनाओं को अपने विस्तार एवं विशीकरण कार्यक्रमों के लिए 430.65 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई, 53 परियोजनाओं को अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए 207.35 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। 114 परियोजनाएं ऐसी थीं, जिन्हें उपस्कर अथवा परियोजना अधिव्यय को संतुलित करने, आदि की लागत को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 466.19 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

2.13 1992-93 में परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि की सहायता की कुछ विशेष बातें इस प्रकार थी :—

— सहायता प्राप्त 145 नई परियोजनाओं में से, 8 परियोजनाएं प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गई थीं। इन्हें 67.32 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

— भाऔविनि द्वारा पहली बार 2 पैट्रोलियम रिफाइनरी इकाइयों को 474.42 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

— बिजली और गैस के उत्पादन में लगी 17 इकाइयों को कुल मिलाकर 452.66 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

— होटल और पर्यटन से सम्बन्धित 27 परियोजनाओं को 54.54 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

— महत्वपूर्ण निर्यात दायित्व वाली 46 निर्यातोन्मुख परियोजनाओं को 609.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

— ऐसी 49 परियोजनाओं को 771.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई, जिनके लिए विदेशी सहयोग और/अथवा विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण किया गया था। देशवार सहयोग इस प्रकार थे : जापान 10, यूएसए 10, जर्मनी 7, इटली 4, आस्ट्रेलिया 3, हालैंड 2, यूके 2, ताईवान 2, कोरिया 2, स्वीडन 2, आस्ट्रिया 1, सिंगापुर 1, फ्रांस 1, स्विजरलैंड 1, फिनलैंड 1, चैकोस्लोवाकिया 1, स्पेन 1, चीन 1, रूस 1 और बेल्जियम एक।

वित्तीय सेवाएं

2.14 यद्यपि भाऔविनि की स्थापना से ही परियोजना वित्तपोषण, इसके कारोबार का मूलाधार रहा है, परन्तु वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में इसने अपना कार्य वस्तुतः वर्ष 1986-87 में आरम्भ किया। सात वर्ष की अवधि में भाऔविनि का मर्चेन्ट बैंकिंग एवं संस्थागत सेवाएं विभाग वित्तीय सेवाओं के अधीन उपस्कर लीजिंग, उपस्कर उपजिन, उपस्कर उधार, पूर्तिकार

उधार, फ्रेता उधार, लीजिंग एवं किराया खरीद संस्थाओं का वित्तपोषण, किस्त उधार आदि अनेक योजनाएं आरम्भ करने के अतिरिक्त निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों ही क्रियाकलापों का विस्तार करके अपने को सुप्रतिष्ठित करने में सफल रहा । मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सम्बर्गीय सेवाएं विभाग ने परियोजना परामर्श, ऋण सामूहिकीकरण तथा डिबेंचर न्यासिता आदि से सम्बन्धित दत्त कार्यों के क्षेत्र में भी अपने क्रियाकलापों को बढ़ाया इसका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा श्रेणी-1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकरण किया गया है ।

2.15 1992-93 (अप्रैल-जून) के दौरान, यद्यपि वित्तीय सेवाओं के अधीन की गई 1044.04 करोड़ रुपए की निवल मंजूरियां 1991-92 की दौरान की गई निवल मंजूरियों की तुलना में वार्षिकी आधार पर 23.8% अधिक थी, तथापि वित्तीय सेवाओं के अधीन किए गए 527.88 करोड़ रुपए के संवितरण पिछले वर्ष के संवितरणों की तुलना में वार्षिकी आधार पर 19.4% अधिक थे । इस अवधि में, कुल मंजूरियों एवं संवितरणों में से वित्तीय सेवाओं का भाग क्रमशः 28.1% एवं 21.4% रहा । उपस्कर वित्त, उपस्कर उधार एवं किस्त उधार योजनाओं के अधीन मंजूरियों में गिरावट आई । अन्य योजनाओं के अन्तर्गत संवितरणों में मामूली वृद्धि हुई । उपस्कर लीजिंग योजना में यह वृद्धि 38.3% थी और फ्रेता उधार योजना में यह 828.6% थी । दूसरी ओर, उपस्कर लीजिंग, उपस्कर उपार्जन तथा उपस्कर उधार और पुनर्विकार उधार योजना के सिवाय सभी योजनाओं के अन्तर्गत संवितरण में वृद्धि हुई ।

2.16 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सम्बर्गीय सेवाएं विभाग ने अपने बम्बई स्थित ब्यूरो कार्यालय सहित 160 मर्चेन्ट बैंकिंग दत्त कार्यों को पूरा किया, जिनमें से 62 निर्गम प्रबन्ध सेवाओं, 72 परियोजना परामर्श/मूल्यांकन तथा 26 डिबेंचर न्यासिता से सम्बन्धित थे । निर्गम प्रबन्ध के लिए सौंपे गए कार्यों में, 1085.67 करोड़ रुपये की निधि जुटाने में सहायता मिली । संचयी रूप से, भाऔविनि के मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सम्बर्गीय सेवाएं विभाग ने जुलाई, 1986 में अपनी शुरूआत से लेकर 30 जून, 1993 तक 247 सार्वजनिक निर्गमों सहित 525 दत्त कार्य पूरे किए जिनसे 3074.16 करोड़ रुपए की निधि जुटाने में सहायता मिली ।

आवेदनों पर कार्रवाई

2.17 परियोजना वित्त के अधीन भाऔविनि ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, या तो स्वयं, या संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर 399 पात्र संस्थाओं से कुल मिलाकर 8,181.70 करोड़ रुपए के आवेदनों पर (उपस्कर वित्त योजना के अधीन आवेदनों सहित) विचार किया । कुल मिलाकर 348.76 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 9 संस्थाओं के आवेदनों को या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया अथवा प्रगति के अभाव या प्रस्तावित परियोजना के व्यवहार्य न होने के कारण उन्हें बंद मान लिया गया । जून, 1993 के अन्त तक 493.72 करोड़ रुपए की कुल सहायता के लिए भाऔविनि के अधीनी दायित्व में 28 संस्थाओं के (5 संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर) आवेदन विचाराधीन थे, क्योंकि उनके सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही थी । इस अवधि के दौरान 362 अन्य संस्थाओं के आवेदनों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई; 97.05% मामलों को पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से 4 सप्ताह से भी कम अवधि में निपटा दिया गया ।

2.18 भाऔविनि ने वित्तीय सेवाओं के अधीन अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में 1245.14 करोड़ रुपए की कुल सहायता के लिए 193 संस्थाओं से प्राप्त सहायता के आवेदनों पर कार्रवाई की । इनमें से 121 संस्थाओं के आवेदनों पर भाऔविनि की वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मंजूर की गई । 63 संस्थाओं के मामलों में, पात्रता के अभाव और/अथवा अन्य सम्बन्धित पहलुओं के कारण यह मान लिया गया कि उन्होंने अपने आवेदन वापस ले लिए हैं, और जून, 1993 के अन्त तक 32.59 करोड़ रुपए की कुल सहायता के लिए 9 संस्थाओं के आवेदन भाऔविनि के विचाराधीन थे ।

भाऔविनि द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की क्रियान्वयन प्रवृत्ति (1992-93)

2.19 335 परियोजनाओं (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें परियोजना लागत आदि में पूर्णतः अधिव्यय राशि के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई हो) की वित्तपोषण प्रवृत्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भाऔविनि के 1992-93 (अप्रैल-जून) के परिचालनों से पता चलता है कि भाऔविनि की सहायता 18,522.62 करोड़ रुपए के निवेश जुटाने में समर्थ होगी, जिसका विवरण सारणी-7 में दिया गया है ।

जन हित में प्रदान की गई मंजूरियां

2.20 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 26 (2) की व्यवस्थाओं के अनुसार भाऔविनि के निदेशकों के हितबद्ध होने के कारण भाऔविनि ने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अधीन किसी प्रकार की सहायता मंजूर की ।

पूंजी बाजार परिचालन निवेश पोर्टफोलियो

2.21 भाऔविनि के निवेश पोर्टफोलियो में (क) हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में शेयरों के अधिग्रहण, (ख) जिन मामलों में सहमति हुई है, उनके शेयरों में प्रत्यक्ष अभिदान, (ग) संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग, (घ) बोनस बाजार निर्गम, (ङ) अधिकाधिक शेयरों में अभिदान, (च) डिबेंचरों के संपरिवर्तनीय भाग के संपरिवर्तन, तथा (छ) रुग्ण/संभाव्य रुग्ण मामलों के सम्बन्ध में अतिदेय ब्याज का शेयरों/डिबेंचरों में संपरिवर्तन होने के कारण वित्तपोषित संस्थाओं में किए गए निवेश शामिल हैं । निवेश संस्थान न होने के कारण भाऔविनि, अपने निवेशों को यथासम्भव एक निर्धारित समय के अंदर ही तरलता हेतु प्राप्त करने का प्रयास करता है । जिन मामलों में कम्पनियां स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, और जहां प्रतिभूतियों का व्यापार सामान्यतः होता रहता है, उन मामलों में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के पैनल पर स्टाक/शेयर दलालों के माध्यम से खुले बाजार में छोटी-छोटी मात्रा में बिक्री की जाती है । कभी-कभी सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट/पारस्परिक निधियों, आदि को बड़ी मात्रा में भी बिक्री की जाती है ।

सारणी 7 : भाऔविनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति 1992-93 (अप्रैल-जून)

(करोड़ रुपये)

वित्तपोषण प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/विशाखन परियोजनाएं	आधुनिकीकरण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन, सन्तुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
1	2	3	4	5	6
परियोजनाओं की संख्या	145	56	53	81	335
I प्रवर्तक अंशदान					
— शेयर पूंजी	1253.61	28.34	61.63	10.06	1353.64
	(9.0)	(1.4)	(4.0)	(1.1)	(7.3)
— अप्रतिभूत गौण ऋण	361.20	3.76	3.04	7.27	375.27
	(2.6)	(0.2)	(0.2)	(0.8)	(2.0)
— आंतरिक प्रोद्भूत आदि	462.11	126.91	113.42	99.09	801.53
	(3.3)	(6.1)	(7.3)	(10.5)	(4.3)
II दीर्घकालीन, ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात भाऔविनि, भाऔवि बैंक, भाऔसाविनि, एवं भाऔपु बैंक द्वारा सहायता।					
— ऋण तथा अग्रिम	2230.20	763.80	272.33	331.81	3598.14
	(16.0)	(36.6)	(17.5)	(35.1)	(19.5)
— इक्विटी सहायता	1367.14	159.97	73.84	104.18	1705.13
	(9.8)	(7.7)	(4.7)	(11.0)	(9.2)
III निवेश संस्थानों अर्थात जीबीनि, सबीनि और भायू ट्रस्ट द्वारा सहायता					
— ऋण तथा अग्रिम	160.81	18.40	42.50	1.20	222.91
	(1.2)	(0.9)	(2.7)	(0.1)	(1.2)
— इक्विटी सहायता	22.43	45.00	5.00	4.63	77.06
	(0.2)	(2.2)	(0.3)	(0.5)	(0.4)
IV बैंकों द्वारा सहायता					
— दीर्घकालीन वित्त	256.78	29.91	12.20	3.01	301.90
	(1.8)	(1.4)	(0.8)	(0.3)	(1.6)
— इक्विटी सहायता	4162.43	153.30	276.10	64.35	4656.18
	(29.9)	(7.3)	(17.7)	(6.8)	(25.1)
V राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता					
— दीर्घकालीन वित्त	4.54	1.20	—	—	5.74
	(—)	(—)			(—)
— इक्विटी सहायता	52.08	6.00	18.94	28.93	105.95
	(0.4	(0.3)	(1.2)	(3.0)	(0.6)
VI आधिकारिक निर्गम	1496.3	734.34	670.27	261.26	3162.26
	(10.7)	(35.2)	(43.0)	(27.6)	(17.1)
VII आस्थगित भुगतान	779.40	12.00	—	5.55	796.95
	(5.6)	(0.6)	—	(0.6)	(4.3)
VIII विदेशी संस्थानों से ऋण	714.40	—	—	—	714.40
	(5.1)	—	—	—	(3.9)
IX अन्य	609.71	2.95	8.47	24.43	645.56
	(4.4)	(0.1)	(0.6)	(2.6)	(3.5)
जोड़	13933.23	2085.88	1557.74	945.77	18522.62
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

टिप्पणियां: 1. इक्विटी सहायता में हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान सम्मिलित है। 2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं। 3. उपरोक्त में अधिशेष को पूरा करने तथा वित्तीय सेवाओं के मामले (उपस्कर वित्त को छोड़कर) शामिल नहीं हैं।

2.22 30 जून, 1993 तक की 15 माह की अवधि के दौरान, बाजार में एसी संस्थाओं के 59 निर्गम जारी किए गए जिनके शेयर व डिबेंचरों की कुल मिलाकर 89.18 करोड़ रुपए की हामीदारी भाऔविनि द्वारा की गई थी। भाऔविनि के हामीदारी दायित्वों के अनुसरण में जिन शेयरों और डिबेंचरों का न्यागमन किया गया उनकी राशि 21.57 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, भाऔविनि ने प्रत्यक्ष अभिदानों से सम्बन्धित मंजूरियों के आधार पर, 79 कम्पनियों के लिए 14.32 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों तथा 0.52 करोड़ रुपए के अधिमान शेयरों और 108.54 करोड़ रुपए के डिबेंचरों में अभिदान किया।

2.23 समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि ने 140.50 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर/डिबेंचर लिए तथा 22.67 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के अपने निवेशों की बिक्री की। इस अवधि के लिए, इक्विटी शेयरों पर औसत प्रतिलाभ 7.32 गुना रहा। जून, 1993 के अन्त तक भाऔविनि के निवेशों का प्रमुख भाग खंडवार इस प्रकार था-इक्विटी शेयरों में 58.04% (170.88 करोड़ रुपए), अधिमान शेयरों में 2.56% (7.53 करोड़ रुपए) एवं डिबेंचरों में 39.40% (116.02 करोड़ रुपए)।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.24 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के प्रावधानों के अधीन, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 126 संस्थाएं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, 20 गैर-अग्रणी/गैर वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में भाऔविनि को परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया, इस प्रकार ऐसे मामलों की कुल संख्या 148 हो गई। इनमें से, भाऔविनि को 120 मामलों के संबंध में परिचालन एजेंसी/अग्रणी संस्थान के रूप में व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। जून, 1993 के अन्त तक भाऔविनि 91 मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्रस्तुत कर चुका था जिनमें से 10 रिपोर्टें समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई। जून, 1993 के अंत तक भाऔविनि के पास 29 मामले थे जिनमें परिचालन एजेंसी/अग्रणी संस्थान के रूप में विस्तृत जांच की जानी थी। जिन 91 मामलों के सम्बन्ध में भाऔविनि द्वारा 30 जून, 1993 तक रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी थी उनमें से 69 मामलों में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिया गया जिनमें से 46 मामलों में पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी गई तथा 23 मामलों में परिसमापन की सिफारिश की गई। 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार शेष 22 मामलों में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा विभिन्न स्तरों पर सुनवाइयां चल रही थीं और उनके सम्बन्ध में निर्णय अभी लिया जाना था। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व वाले मामलों में तथा गैर-अग्रणी/गैर-वित्तपोषित मामलों के सम्बन्ध में जिनमें भाऔविनि को परिचालन एजेंसी नियुक्त किया गया था, बीआईएफआर द्वारा 138 सुनवाइयां की गई।

2.25 इनके अतिरिक्त, 4 ऐसे मामलों में भाऔविनि द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के तत्वावधान में, सम्भाव्यता अध्ययन/पुनरुद्धार योजनाएं बनाई गई, जिनमें निगम परिचालन एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रहा था। कुछ और वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए भी योजनाओं की समीक्षा करने/उन्हें नया रूप देने में भाऔविनि की सुविज्ञता औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई।

2.26 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की परिधि से बाहर के मामलों में, अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों के निकट सहयोग में बनाए गए मार्गनिर्देशों की पृष्ठभूमि में पुनर्स्थापन पैकेज निर्मित एवं अभिकल्पित किए गए। रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में जिन पुनर्स्थापन उपायों की सिफारिश की गई है उनका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तथा उनमें आधुनिकीकरण, विस्तार, विशाखन, संतुलन आदि शामिल है। अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके अग्रणी दायित्व वाले मामलों में किए जा रहे पुनर्स्थापन प्रयासों में भी भाऔविनि सक्रिय सहयोग प्रदान करता रहा।

2.27 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाऔविनि जिन रुग्ण इकाइयों की देखभाल कर रहा था, उनमें से कुछ इकाइयों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, पुनर्स्थापन कार्यक्रम के भाग के रूप में विलयन/अधिग्रहण के कुछ प्रस्तावों की भाऔविनि द्वारा समीक्षा की जा रही थी।

कमजोर औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क में राहत

2.28 भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति, कमजोर औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्पाद-शुल्क में राहत योजना के अन्तर्गत, भाऔविनि के अग्रणी दायित्व वाले 15 मामलों में 38.33 करोड़ रुपए का उत्पाद-शुल्क ऋण मंजूर कर चुकी है जिसमें से 30 जून, 1993 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 2448.84 लाख रुपए (1992-93 के दौरान 778.37 लाख रुपए) दिए जा चुके थे। केन्द्र सरकार ने 18 मार्च, 1993 से उक्त योजना समाप्त कर दी है।

परिचालनगतिविधियां

ब्याज दरों में संशोधन

2.29 भाऔविनि ने, अन्य सावधि ऋण-दाता संस्थानों के साथ मिलकर, परियोजना ऋणों पर अपनी ब्याज दरों को रिपोर्ट की अवधि के दौरान दो बार कम किया। परियोजना ऋणों पर ब्याज पर बैंड को निम्नानुसार कम किया गया :

18 नवम्बर, 1992 से—18% से 20%

19 नवम्बर, 1992 से—17.5% से 19.5%

15 मार्च, 1993 से—17% से 19%

बैंड की सीमा के भीतर ब्याज दरें, ऋणी के संभावित जोखिम और साख को ध्यान में रखते हुए प्रभारित की जाती है।

जोखिम सीमा

2.30 बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा साख जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के उद्देश्य से विवेकसम्मत उपाय के रूप में भाऔविनि किसी एक कम्पनी में अपनी जोखिम-सीमा को भौविनि के निवल मूल्य के 25% तक सीमित रखता है। किसी एक "व्यापार समूह" में जोखिम को भाऔविनि के निवल मूल्य के 50% तक सीमित रखा जाता है जबकि किसी उद्योग विशेष में कुल जोखिम

भाऔविनि की बकाया प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के 15% से अधिक नहीं होता ।

ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता मानदण्ड

2.31 केन्द्र सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा के अनुसरण में घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को अधिकांशतः विनियमित किया गया । तदुपरांत, केन्द्र सरकार ने भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों को विभिन्न उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता देने के बारे में मार्गनिर्देशों को वापस ले लिया ।

2.32 केन्द्र सरकार ने, भाऔविनि सहित वित्तीय संस्थानों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कुछ उपाय बताए जिन्हें अपनाकर भाऔविनि देश के निर्यातों को और अधिक सुदृढ़ता से सहायता प्रदान कर सकता है, अर्थात् कम्पनी-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन को सहायता देना, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, अल्पावधि निर्यात वित्त प्रदान करना, आदि ।

2.33 वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार ने, भाऔविनि को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अधीन, सड़कों के विकास, देखभाल तथा निर्माण में लगी/लगने वाली औद्योगिक संस्थाओं के वित्तपोषण की अनुमति प्रदान की ।

बाजार मूल्यांकन अध्ययन

2.34 निवेश सम्बन्धी निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 20 बाजार मूल्यांकन अध्ययन किए गए। इस सम्बन्ध में कास्टिक सोडा और क्लोरीन, टेरी टावल्स, ट्रैक्टर्स, सारबिटोल, पोलिप्रोपिलीन मल्टी फिलामेंट यार्न, पिग आयरन, इपिक्लोरोहाईड्रिन, एयर ब्रेक्स, सीमलेस ट्यूब्स, स्पाज आयरन, बीओपीपी फिल्म्स, सी प्रान और प्रान कल्चर, एबीएस लेमिनेशन्स, विशेष दुग्ध उत्पाद, टमाटर पेस्ट, अत्यधिक संकेन्द्रीकृत सक्रिय डिटर्जेन्ट सामग्री से सम्बन्धित उद्योग अध्ययनों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है ।

नामित निदेशक

2.35 नामित निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, भाऔविनि द्वारा सरकार एवं संस्थानात्मक मार्गनिर्देशों का निरन्तर अनुपालन किया जाता रहा । भाऔविनि ने 995 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 380 नामित निदेशक नियुक्त किए, जिनमें से 181 शासकीय और 199 गैर-शासकीय थे । भाऔविनि में गठित नामित निदेशक कक्ष के प्रधान एक कार्यपालक निदेशक हैं तथा उनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी तैनात किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, भाऔविनि के प्रत्येक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय से एक-एक अधिकारी को नामित निदेशक कक्ष के सदस्यों के रूप में नामजद किया गया है ताकि वे इस कक्ष को सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकें ।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय

2.36 स्थायी समन्वय समिति मंच के सुझावों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय और अधिक सक्रिय बना रहा । बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साझे ग्राहकों के बारे में, पारस्परिक आधार पर सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली और भी गहन हुई ।

सरकार से पारस्परिक-सम्पर्क

2.37 भाऔविनि ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ पारस्परिक सम्पर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान जारी रखा । इसने समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्यकारी दलों में प्रतिनिधित्व भी किया ।

3. संसाधन वित्तीय प्रबन्ध और समीक्षा

रुपया संसाधन जुटाना

3.01 30 जून, 1993 को समाप्त 15 माह की अवधि के दौरान भाऔविनि द्वारा 2,212.74 करोड़ रुपए (235.35 करोड़ रुपए के प्रारंभिक रुपया रोकड़ शेष को छोड़कर) के कुल रुपया संसाधन जुटाए गए । संसाधन जुटाने की दृष्टि से समीक्षाधीन वर्ष कुल मिलाकर एक कठिन वर्ष रहा । संसाधन जुटाने की दुष्कर स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई रुपया निधि सहायता आशा की किरण बनकर उभरी । भाऔविनि में पहली बार निक्षेप प्रमाण पत्र का आश्रय लेते हुए संसाधन जुटाए गए । भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई समग्र सहायता भी मददगार और उत्साहवर्धक थी ।

3.02 समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश में ही जुटाए गए रुपया संसाधनों के उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित हैं :—

— कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी का जुटाया जाना;

— आरक्षित निधियों में 107.86 करोड़ रुपए की वृद्धि;

— (क) ऋणियों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान तथा (ख) कुल मिलाकर 759.31 करोड़ रुपए के निवेशों की बिक्री/विमोचन के फलस्वरूप प्राप्तियों में वृद्धि;

— तीन सार्वजनिक बांड निर्गमों (14 सितम्बर, 1992, 8 अक्तूबर, 1992 और 28 जनवरी, 1993 को जारी की गई क्रमशः 62वीं, 63वीं और 64वीं सीरीज) द्वारा रुपया संसाधनों में कुल मिलाकर 518.06 करोड़ रुपए की वृद्धि;

— निक्षेप प्रमाण-पत्र जारी करते हुए 200 करोड़ रुपए की सीमा तक रुपया संसाधनों में वृद्धि;

— 400.00 करोड़ रुपए के कुल रुपया उधार, जो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और साधारण बीमा निगम एवं इसकी सहायक कम्पनियों से लिए गए । इन उधारों पर ब्याज की दर 16.5% से 17.5% के बीच थी;

— भारत सरकार से ब्याज अन्तरजन्य निधियों के अधीन 19.00 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि की प्राप्ति ।

रुपया संसाधनों का उपयोग

3.03 रुपया संसाधनों का उपयोग मंजूर सहायता के 1,839.63 करोड़ रुपए का नकद संवितरण करने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 112.35 करोड़ रुपए के ऋणों की पुन: अदायगी करने, केन्द्रीय सरकार को 0.72 करोड़ रुपए के ऋणों की पुन: अदायगी करने, 34.79 करोड़ रुपए के लाभांश की अदायगी करने, 25.00 करोड़ रुपए की कर देयता के भुगतान एवं प्रावधान के लिए तथा 554.71 करोड़ रुपए अन्य कार्यों के लिए किया गया। वर्ष की समाप्ति पर नकद शेष 179.27 करोड़ रुपए था।

विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाना

3.04 समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि ने कैमिकल बैंक, संयुक्त राज्य अमरीका से 50 मिलियन अमरीकी डालर, जिसकी गारंटी यूएस एक्जिम बैंक द्वारा दी गई है, यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड, ज्यूरिख से 10 मिलियन एस एफ आई की प्रतिभूतिजन्य ऋण श्रृंखला के लिए तथा क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ, जर्मनी से 25 मिलियन जर्मन मार्क के जर्मन मार्क ऋण श्रृंखला के लिए करार निष्पादित किए।

3.05 30 जून, 1993 को समाप्त अवधि के समापन पर भाऔविनि के समग्र विदेशी मुद्रा संसाधनों की स्थिति इस प्रकार थी :—

— जर्मन मार्क में 25 एवं 26 ऋण श्रृंखलाओं के अधीन क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबाऊ, जर्मनी से कुल मिलाकर 105.00 मिलियन जर्मन मार्क का उधार;

— एशियाई विकास बैंक, मनीला से 150 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला;

— अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से अमरीकी डालर में जुटाए गए 255.00 मिलियन अमरीकी डालर और 37 बिलियन येन के बाह्य वाणिज्यिक उधार, जो कुल मिलाकर 602 मिलियन अमरीकी डालर होते हैं;

— बर्लिनर हैण्डेसउंड फ्रैंकफर्टर बैंक, जर्मनी से 50 मिलियन जर्मन मार्क, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ दि यूनाइटेड स्टेट्स (अमरीकी एक्जिम बैंक) से 50 मिलियन अमरीकी डालर तथा क्रेडिट सूईस स्विटजरलैण्ड और यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैण्ड, ज्यूरिख दोनों से 10—10 मिलियन फ्रैंक का निर्यात ऋण।

विदेशी मुद्रा स्रोतों का उपयोग

3.06 उपर्युक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों में से भाऔविनि 30 जून, 1993 तक 3248.82 करोड़ रुपए के समकक्ष विदेशी मुद्रा में उप-ऋण देने के लिए वचनबद्ध था। 30 जून, 1993 तक विदेशी मुद्रा उप-ऋणों का वास्तविक संवितरण 1716.93 करोड़ रुपए के बराबर था, जिसमें से 1992-93 (अप्रैल–जून) के दौरान ही 337.91 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

3.07 इस अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा में लिए गए वास्तविक उधार कुल 20.884 करोड़ रुपए के समकक्ष थे, और विदेशी मुद्रा ऋणों की पुन: अदायगी 319.57 करोड़ रुपए के समकक्ष थी। 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार निवल बकाया विदेशी मुद्रा ऋण 3294.05 करोड़ रुपए के थे, जबकि 31 मार्च, 1992 (किन्तु 30 जून, 1993 को लागू दर से पुनर्मूल्यांकित आधार पर) को ये 3341.37 करोड़ रुपए के थे।

विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना

3.08 जुलाई, 1991 में दो स्तर वाले विनिमय दर समायोजन; मार्च, 1992 से आरम्भ की गई तथा मार्च, 1993 में आशोधित उदार विनिमय दर प्रबन्ध पद्धति से विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तथापि पहले निष्पादित किए गए ऋण करारों के मद्दे संवितरण किया जाता रहा और समीक्षाधीन अवधि के दौरान 84.55 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया। विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना की समीक्षा के पश्चात्, 1 मई, 1993 से संवितरण न करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि के दौरान विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अधीन मिश्रित लागत दर 23—26% प्रतिवर्ष ही रहेगा तथा लागू ब्याज दर भी यथापूर्व 26% वार्षिक रहेगी।

निधियों के स्रोत और उपयोग (संचयी)

3.09 भाऔविनि की स्थापना से लेकर 30 जून, 1993 तक इसके कुल संसाधन 13,930.49 करोड़ रुपए के थे, जिनमें इसकी शेयर पूंजी, आन्तरिक निधि जनन, बाह्य वाणिज्यिक उधार, विदेशी ऋण, सरकार एवं अन्य संस्थानों से उधार और बाजार से जुटाए गए उधार शामिल हैं। इनका उपयोग 80919.41 करोड़ रुपए के रुपया संवितरणों, 1,716.93 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा संवितरणों और निवेश, बांडों के विमोचन, सरकार तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों को पुन: अदायगी, विदेशी मुद्रा ऋणों की पुन: अदायगी, लाभांश की अदायगी, अन्य उपयोगों तथा कर प्रावधान के लिए किया गया।

संसाधन सम्बन्धी दृष्टिकोण

3.10 कई वर्षों से रियायती निधियों की उपलब्धता में निरन्तर कमी तथा पिछले कुछ महीनों से वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तनों के कारण भाऔविनि के लिए अधिकांशत: बाजार से संसाधन जुटाना अनिवार्य हो गया है। परंतु औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 सरकारी प्रत्याभूति के बिना भाऔविनि के बाजार में प्रवेश को निषिद्ध करता है और इस प्रकार यह भाऔविनि को प्रतिस्पर्द्धात्मक शर्तों पर संसाधन जुटाने से रोकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए दिनांक 2 अप्रैल, 1993 को औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अन्तरण एवं निरसन) अधिनियम, 1993 पारित किया गया और जैसा कि ऊपर पैरा 1.02 में वर्णित है, भाऔविनि को दिनांक पहली जुलाई, 1993 से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया गया। कम्पनी के रूप में भाऔविनि के संपरिवर्तन से यह, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण और इक्विटी प्रलेखों के माध्यम से संसाधनों हेतु पूंजी बाजार में प्रवेश कर सकेगा।

राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

3.11 भाऔविनि अधिनियम, 1948 की धारा 40 के अनुसरण में भाऔविनि को गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र की

किसी भी अन्य कम्पनी के समान ही अपनी आय, लाभों एवं अर्जनों पर आयकर (अधिकर, यदि कोई हों) देना पड़ता है। आयकर अधिनियम, 1961 में भी कर योग्य आय की गणना करने के प्रयोजन से भाआवित्रि और अन्य किसी कम्पनी में सिवाय इसके कोई अंतर नहीं है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कुल आय में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कटौतियां अनुमेय हैं :—

— जब तक विशेष आरक्षित निधि में जमा की गई राशि, प्रदत्त शेयर पूंजी (आरक्षित निधि से जुटाई गई राशि को छोड़कर) के बराबर से अधिक नहीं होता, धारा 36 (1) *(viii)* के अधीन कुल आय की 40% सीमा तक विशेष आरक्षित निधि, और

— अधिनियम की धारा 80 एम की व्यवस्थाओं के अनुसार अन्य देशीय कम्पनियों से लाभांशों के रूप में प्राप्त आय के केवल 60% की सीमा तक अन्तर-कम्पनी लाभांश ।

3.12 भाआवित्रि अपनी स्थापना के बाद से विगत 45 वर्षों के दौरान 280.90 करोड़ रुपए की राशि तो कर के रूप में राजकोष में अदा कर चुका है जो उसकी 202.50 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई प्रदत्त शेयर पूंजी से अधिक है ।

लेखा विवरण

3.13 भाआवित्रि का लेखा विवरण अंत में दिया गया है, जिसमें 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और पहली अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1993 तक की अवधि के लाभ हानि लेखों के साथ-साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिए गए हैं । तथापि भाआवित्रि के कार्य-परिणामों और वित्तीय स्थिति की प्रमुख विशेषताओं पर नीचे विचार किया गया है ।

कार्य-परिणाम

3.14 भाआवित्रि के कार्य-परिणामों में 30 जून, 1993 को समाप्त अवधि के दौरान 167.90 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ हुआ जबकि 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान यह 121.75 करोड़ रुपए था, अतः कर-पूर्व लाभ में वार्षिकी आधार पर 10.3% की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान कराधान के लिए 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के पश्चात् निवल लाभ 142.90 करोड़ रुपए रहा जबकि पिछले वर्ष निवल लाभ 94.25 करोड़ रुपए था । इस प्रकार इसमें वार्षिकी आधार पर 21.3% की वृद्धि हुई ।

3.15 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को संदिग्ध ऋणों के प्रावधान आदि के लिए आय मान्यता के मामले में मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं, परन्तु इन मार्गनिर्देशों के अंतर्गत अभी तक वित्तीय संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है । तथापि, विवेकपूर्ण नीति के रूप में भाआवित्रि ने (क) डिक्री किए गए ऋणों, (ख) जहां मुकदमे दायर किए जा चुके हैं, (ग) जहां ऋणों की वापसी की मांग की गई है, (घ) जहां वसूली की संभावना न्यूनतम समझी गई है और, (ङ) जहां ब्याज लगातार चार तिमाहियों से अतिदेय हो गए हैं एवं पार्टी उसके बाद तीस दिन के भीतर भुगतान नहीं किया है— ऐसे मामलों में ब्याज एवं अन्य देय राशि को क्रेडिट नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार के मामलों में जब भी आय प्राप्त होगी उसका हिसाब लगाया जाएगा तथा भाआवित्रि द्वारा निरन्तर अपनाई जा रही नीति के अनुसार उसे समायोजित किया जाएगा ।

3.16 भाआवित्रि ने 30 जून, 1993 को समाप्त 15 माह की अवधि के दौरान मूलधन एवं ब्याज के संबंध में कुल 149.73 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते डालने का प्रावधान किया है जबकि 1991-92 के दौरान इस संबंध में 107.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था ।

विनियोजन

3.17 भाआवित्रि के निदेशक बोर्ड द्वारा निवल लाभ में से किए गए विनियोजन का विवरण सारणी-8 में दिया गया है।

सारणी 8 : निवल लाभ का विनियोजन

(करोड़ रुपये)

	इस वर्ष अप्रैल–जून (1992–93)	पिछले वर्ष अप्रैल–मार्च (1991–92)
(1)	(2)	(3)
निवल लाभ	142.90	94.25
विनियोजन		
निम्नलिखित को अन्तरित :		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	71.27	28.99
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	1.25	1.00
(ग) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन	35.34	38.63
कर्मचारी कल्याण निधि को आवंटन	0.25	0.20
लाभांश की अदायगी	34.79	25.43
जोड़	142.90	94.25

3.18 30 जून, 1993 को समाप्त अवधि के दौरान भाऔविनि ने अपनी आरक्षित राशियों में 107.86 करोड़ रुपए की राशि अन्तरित की, जिसमें सामान्य आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि तथा विशेष आरक्षित निधि शामिल हैं। यह पिछले वर्ष की आरक्षित राशि में अन्तरित राशि से 39.2% अधिक है ।

लाभांश

3.19 संतोषजनक कार्य परिणामों को ध्यान में रखते हुए, भाऔविनि के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर 1992-93 के लिए भी 18% वार्षिक लाभांश प्रदान करने का अनुमोदन किया है ।

कार्य परिणामों की प्रवृत्ति

3.20 भाऔविनि के कार्य-परिणामों की प्रवृत्ति का समग्र मूल्यांकन सारणी-9 में दिए गए पांच वर्षों के संक्षिप्त आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है ।

3.21 30 जून, 1993 को समाप्त 15 माह की अवधि के कार्य, पिछले वर्ष की तुलना में, वार्षिकी आधार पर इस प्रकार रहे :

— निवल आय, कर-पूर्व लाभ तथा निवल लाभ में क्रमशः 15.3%, 10.3% तथा 21.3% की वृद्धि हुई ।

सारणी 9 : पांच वर्षों के दौरान भा औ वि नि के कार्य परिणाम

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष	31 मार्च को समाप्त वर्ष			30 जून को समाप्त वर्ष
	1989(*)	1990	1991	1992	1993(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों और अन्य वित्तीय सहायता पर ब्याज (घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण एवं अन्य प्रावधान)	277.77	462.95	591.48	671.13	995.13
आय	11.26	12.93	22.44	163.85	291.45
कुल आय	289.03	475.88	613.92		1286.58
घटाएं					
उधारों की लागत	213.62	357.95	475.47	662.94	1038.59
निवल आय	75.41	117.93	138.45	172.04	247.99
व्यय					
– कार्मिक व्यय	5.02	8.55	12.41	99	15.23
– निवेशों पर हानि	0.31	0.18	0.18	19	1.70
– निदेशकों तथा समिति सदस्यों को शुल्क तथा व्यय	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
– अन्य व्यय एवं अनुदान	3.70	10.23	9.48	5.75	10.06
– मूल्यह्रास	5.81	8.80	14.01	29.32	53.10
कर-पूर्व लाभ	60.55	90.14	102.33	121.75	167.90
करावधान	10.02	22.70	24.25	27.50	25.00
निवल लाभ	50.53	67.44	78.08	94.25	142.90
लाभांश (दर)	13.0%	14.0%	16.0%	18.0%	18%

(*) 1989 के आंकड़े 9 माह (जुलाई–मार्च) के हैं

(**) 1993 के आंकड़े 15 माह (अप्रैल 92 से जून 93) के हैं।

— उधारों की लागत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद कर-पूर्व लाभ निवल आय के प्रतिशत के रूप में 67.7% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 70.8% था ।

— 1992-93 में निवल आय के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ 57.6% था, जबकि पिछले वर्ष यह 54.7% था ।

— सकल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 1992-93 के दौरान कार्मिक व्यय 0.15% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 0.13% था ।

वित्तीय स्थिति

3.22 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार, भाआवित्रि की परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति, जैसा कि भाआवित्रि के तुलन-पत्र से स्पष्ट है, सारणी-10 में दी गई है ।

3.23 30 जून, 1993 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के आधार पर हमारी कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियां संक्षेप में इस प्रकार हैं :

* अवधि के दौरान निवेश पोर्टफोलियो में 73.7% की वृद्धि ।
* वर्ष के दौरान ऋण पोर्टफोलियो (अकाया राशियां) में 16.4% की वृद्धि ।
* अवधि के दौरान शेयर पूंजी, आरक्षित राशि, आरक्षित निधि के निवल मूल्य में 28.6% की वृद्धि।
* जून, 1993 के अंत में ऋण इक्विटी अनुपात 9.7:1 था जबकि हाल्ले समिति की सिफारिशों के अनुरूप यह 12:1 होना चाहिए ।
* जून, 1993 के अंत में, वर्ष का निवल लाभ इसके निवल मूल्य का अनुपात 13.3:1 था ।

सारणी 10 : पांच वर्षों के दौरान भाआवित्रि की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की स्थिति

(करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष (1989 (*)	31 मार्च को समाप्त वर्ष 1990	1991	1992	30 जून को समाप्त वर्ष 1993 (**)
1	2	3	4	5	6
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	140.93	46.80	66.37	268.48	298.98
निवेश					
— सहायता प्राप्त संस्थाओं में	111.75	141.99	159.23	169.55	294.43
— अन्य संस्थाओं में	20.10	27.00	31.91	34.95	141.86
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	3372.53	4179.04	5362.21	6785.14	7897.28
स्थिर तथा अन्य परिसम्पत्तियां	309.61	510.84	777.77	988.18	903.05
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	32.51	39.84	93.56	180.55	438.03
	3987.43	4945.51	6491.05	8426.85	9973.61
देयताएं और शेयरधारी निधि					
शेयर पूंजी	82.50	100.00	135.00	142.50	202.50
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	270.94	327.42	389.45	440.08	546.69
उधार					
(क) बांड	2314.70	2851.39	3105.23	3648.58	4108.73
(ख) सरकार तथा भा०औ०वि० बैंक से	67.85	60.09	270.04	393.97	505.22
(ग) जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम व इसकी आनुषांगिक इकाइयों से	—	100.00	350.00	550.00	750.00
(घ) विदेशी मुद्राओं में	988.60	1005.95	1497.27	2190.70	2242.55
(ङ) अन्य				512.79	753.84
अन्य चालू देयताएं और प्रावधान	216.88	439.11	619.63	324.55	375.16
निर्धारित निधियां	13.45	21.71	30.87	43.13	50.89
स्वीकृतियों पर देयता	32.51	39.84	93.56	180.55	438.03
	3967.43	4945.51	6491.05	8426.85	9973.61
ऋण : इक्विटी	9.5:1	9.4:1	9.9:1	11.2:1	9.7:1
निवल मूल्य : निवल लाभ	7.0:1	6.3:1	6.7:1	6.4:1	6.5:1

(*) 1989 के आंकड़े केवल 9 माह (जुलाई–मार्च) के हैं ।

(**) 1993 के आंकड़े 15 माह (अप्रैल, 92–जून, 93) के हैं ।

* जून, 1993 के अंत में निवल परिसम्पत्तियों तथा निवल मूल्य का अनुपात 13.3:1 था ।

* जून, 1993 के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग-निर्देशों के अनुसार परिकलित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.03% था ।

* आरक्षित राशि और आरक्षित निधियां, प्रदत्त शेयर पूंजी की 2.7 गुना थीं ।

लेखांकन नीतियां

3.24 भाऔविनि अपने परिचालनों के मुख्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखा टिप्पणियों को प्रकट करने की पद्धति का निरन्तर अनुपालन करता रहा है । भाऔविनि अपनी लेखांकन नीति से सम्बन्धित विवरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए दिनांक 28 फरवरी, 1991 के परिपत्र में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के समस्त प्रपत्र के अनुरूप प्रस्तुत करता है ।

3.25 भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए भाऔविनि ने, अपनी आय मान्यता नीति को सख्त बनाया है तथा 30 जून, 1993 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे मामलों में, जहां ऋणियों ने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निरन्तर चूक की है तथा उसके बाद 30 दिनों के अंदर अदायगी नहीं की है, दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को या उसके बाद प्रोद्भूत ब्याज, वचनबद्धता प्रभारों, कमीशन आदि को आय के रूप में मान्यता न देने का निर्णय लिया है । यह दो वर्ष से अधिक अवधियों के लिए निरंतर चूक करने पर इसे आय के रूप में मान्यता न देने की पहले वाली पद्धति के विपरीत है ।

3.26 भाऔविनि ने विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के लेखांकन के सम्बन्ध में अपनी लेखांकन नीति की भी समीक्षा की है और तदनुसार विभिन्न परिसम्पत्तियों/देयताओं के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन से होने वाले निवल लाभ/हानि का लेखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राजस्व खाते में किया जाता है ।

सांविधिक लेखा-परीक्षक

3.27 पहली अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1993 तक 15 माह की अवधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स लोढ़ा एंड कम्पनी, सनदी लेखापाल, 14, गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता और मैसर्स सी सी चोकसी एंड कम्पनी, सनदी लेखापाल, मफतलाल हाउस, बम्बई थे। मैसर्स लोढ़ा एंड कम्पनी, सनदी लेखापाल को 30 जून, 1992 को हुई भाऔविनि के शेयरधारियों की वार्षिक महासभा में भाऔविनि के शेयरधारियों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न) द्वारा औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अधीन लेखा-परीक्षकों के रूप में चुना गया। मैसर्स सी सी चोकसी एंड कम्पनी, सनदी लेखापाल को औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34(1) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भाऔविनि के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया । औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 34(3) की व्यवस्थाओं के अनुसार 30 जून, 1993 को समाप्त अवधि के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में दी गई है ।

कर लेखापरीक्षा

3.28 इसके अतिरिक्त, कर लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 क ख की व्यवस्थाओं के अनुसरण में, मैसर्स लोढ़ा एंड कम्पनी, सनदी लेखापाल, कलकत्ता वर्ष 1992-93 के लिए भाऔविनि के कर लेखापरीक्षक थे ।

4. प्रवर्तन सेवाएं

भाऔविनि की प्रवर्तन भूमिका

4.01 अपनी प्रवर्तन सम्बन्धी भूमिका में, भाऔविनि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रयास और क्रियाकलाप प्रारम्भ करने हेतु प्रयत्नशील रहा है जो कि देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के विविध स्वरूप को तीव्र करने के लिए आवश्यक हों । प्रवर्तन सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख महत्व पहले की ही भांति विशेष योजनाएं बनाकर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को समर्थन प्रदान करने एवं उन्हें गतिशील बनाने, सलाहकारी सेवाएं विकसित कर, उद्यमीयता विकास, प्रबन्ध विकास, श्रम विकास, ग्रामीण विकास, पिछड़े क्षेत्र के विकास एवं इनसे सम्बन्धित क्रियाकलापों, जोखिम पूंजी, उद्यम पूंजी एवं प्रौद्योगिक वित्त, पर्यटन एवं पर्यटन से सम्बन्धित क्रियाकलापों, पूंजी बाजार के विकास, विज्ञान पार्कों, अनुसंधान एवं विकास तथा सम्बन्धित अनुसंधानोन्मुख क्रियाकलापों की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया गया ।

4.02 अप्रैल, 1992 से जून, 1993 तक की अवधि के दौरान, भाऔविनि द्वारा विभिन्न प्रवर्तन कार्यों के लिए 1354.18 लाख रुपए की कुल राशि व्यय की गई । 30 जून, 1993 तक भाऔविनि ने अपनी विभिन्न प्रवर्तन योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 6915.86 लाख रुपए व्यय किए । इन योजनाओं हेतु भाऔविनि के लाभों में से सृजित हितकारी आरक्षित निधि से 1271.95 लाख रुपए (अप्रैल, 1992 से जून, 1993 के दौरान 83.91 लाख रुपए) और भाऔविनि को उपलब्ध कराए गए रुपया ऋण श्रृंखला के अंतर्गत सृजित ब्याज अंतरजन्य निधियों से 5643.91 लाख रुपए (अप्रैल, 1992 से जून, 1993 के दौरान 1270.27 लाख रुपए) की निधियां उपलब्ध कराई गईं ।

प्रवर्तन योजनाएं

4.03 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ग्रामीण और लघु उद्योगों की विशेष भूमिका है तथा यह रोजगारोन्मुख औद्योगिक विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय कार्यनीति का एक अंतरंग हिस्सा है, भाऔविनि स्वतः 14 प्रवर्तन योजनाओं का परिचालन कर रहा है, जिनमें से 8 सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं हैं, 4 ब्याज उप-सहायता योजनाएं हैं तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में दो उद्यमीयता विकास योजनाएं हैं । सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से उप-सहायता के आधार पर सलाहकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं । ब्याज उप-सहायता योजनाओं के अंतर्गत, बेरोजगार युवक-युवतियों, महिला उद्यमियों को स्व-विकास एवं स्व-नियोजन के लिए काम करने, गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को अपनाने, देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । उद्यमीयता विकास योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में पर्यटन एवं इससे सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों में स्व-नियोजन और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को युक्तिसंगत

बनाने अथवा उनमें छटनी के कारण बेरोजगार हो गए व्यक्तियों के स्व-नियोजन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संवितरित समग्र उप-सहायता समीक्षाधीन अवधि में 124.70 लाख रुपए और जून, 1993 की समाप्ति तक कुल मिलाकर 673.29 लाख रुपए रही।

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं का विकास

4.04 भाऔविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य स्तरीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से स्थापित तकनीकी सलाहकारी संगठन विविध प्रकार की सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराने, उद्यमियों की पहचान करने एवं उन्हें प्रशिक्षण देने तथा कतिपय विशिष्ट कार्य, यथा परियोजना की रूपरेखा तैयार करने और उनका सर्वेक्षण करने, बाजार सर्वेक्षण, ऊर्जा अंकेक्षण, ऊर्जा संरक्षण कार्य आदि करते रहे। 18 तकनीकी सलाहकारी संगठनों (कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक तकनीकी सलाहकारी संगठन सहित) में से पांच तकनीकी सलाहकारी संगठनों, अर्थात् हिमाचल सलाहकारी संगठन लि., शिमला (हिमकान), राजस्थान सलाहकारी संगठन लि., जयपुर (राजकान), मध्य प्रदेश सलाहकारी संगठन लि., भोपाल (एमपीकान), उत्तर भारत सलाहकारी संगठन लि. चंडीगढ़ (निटकान) तथा हरियाणा-दिल्ली औद्योगिक सलाहकारी संगठन लि., दिल्ली (हार्डिकान) भाऔविनि के अग्रणी दायित्व के अंतर्गत कार्यरत हैं। वर्ष 1992-93 (अप्रैल—मार्च) के दौरान और संचयी रूप में 31 मार्च, 1993 तक इन पांच तकनीकी सलाहकारी संगठनों के परिचालनों का ब्योरा सारणी—11 में दिया गया है।

सारणी 11 : भाऔविनी द्वारा प्रवर्तित तकनीकी सलाहकारी संगठनों की प्रगति का सार

दत्त कार्यों की प्रकृति	पूरे किए दत्तकार्यों की संख्या				
	हिमकोन	राजकोन	एमपी कोन	निटकोन	हार्डिकोन
1	2	3	4	5	6
I निवेश-पूर्व सलाहकारी दत्तकार्य					
— व्यवहार्यता, व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन परियोजना रिपोर्टें आदि	315 (2652)	251 (2075)	789 (4643)	25 (523)	154 (683)
— औद्योगिक संभावना क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	— (5)	1 (37)	— (40)	4 (4)	— (1)
— बाजार सर्वेक्षण	9 (32)	— (12)	— (48)	11 (41)	6 (32)
— परियोजना रूपरेखा	— (339)	2 (87)	— (937)	133 (1113)	— (713)
— प्रारम्भिक तथ्य-निरूपण अध्ययन	—	—	(22)	—	—
— मूल्यांकन	5 (-)	1 (13)	35 (51)	(1) (9)	1 (18)
— अन्य	— (131)	— (1)	4 (325)	— (60)	17 (75)
उप जोड़ (i)	324 (3168)	255 (2238)	828 (6066)	173 (1750)	178 (1522)
II निवेश-पश्चात सलाहकारी दत्तकार्य					
— निदानात्मक अध्ययन	— (22)	1 (67)	2 (44)	108 (152)	8 (84)
— रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	5 (36)	— (30)	— (—)	3 (46)	1 (29)
— अन्य	3 (9)	5 (30)	— (16)	15 (41)	2 (14)
उप जोड़ (ii)	8 (67)	6 (127)	2 (60)	126 (539)	11 (127)
कुल जोड़ (i+ii)	332 (3235)	261 (2365)	830 (6126)	300 (2289)	189 (1649)
उद्यमीयता विकास कार्यक्रम					
— कार्यक्रमों की संख्या	14 (85)	14 (64)	51 (325)	20 (91)	9 (42)
— उद्यमियों की संख्या	321 (1869)	265 (1372)	2130 (8956)	436 (1881)	203 (1067)

कोष्ठकों में दी गई संख्या 31-3-1993 तक की संचयी संख्या दर्शाती है।

4.05 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाआवित्तनि ने प्रवर्तन कार्य करने के अलावा, तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, समुचित अवधारणा निर्मित करने, उनकी निगमित योजनाओं को तैयार करने में सहायता करने एवं उनके परिचालनों में वाणिज्यिक दृष्टिकोण का विकास करने पर विशेष जोर दिया ।

उद्यमीयता विकास के लिए सहायता

4.06 नवीन उद्यमियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भाआवित्तनि ने (क) विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में भागीदारी, (ख) भाआवित्तनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित एवं प्रायोजित शीर्ष स्तर के संगठन भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान को सहायता देकर, तथा (ग) राज्य स्तर पर उद्यमीयता विकास संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना में सहायता देकर उद्यमीयता विकास को पहले की ही भांति निरन्तर अपना सक्रिय समर्थन प्रदान किया । वर्ष 1992-93 (अप्रैल–मार्च) के दौरान, भाआवित्तबैंक एवं भाआसांनिनि के साथ मिलकर भाआवित्तनि ने 241 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की जिनमें से 60 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों के लिए आयोजित किए गए । अपनी शुरूआत से लेकर मार्च, 1993 की समाप्ति तक भाआवित्तबैंक एवं भाआसांनिनि के साथ मिलकर भाआवित्तनि ने 2634 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को निधिक सहायता उपलब्ध कराई, जिससे 64,000 से अधिक भावी उद्यमी लाभान्वित हुए ।

4.07 भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान, जिसने 31 मार्च, 1993 को अपने क्रियाकलापों के 10 वर्ष पूरे कर लिए, उद्यमीयता विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में कार्य करता रहा । वर्ष 1992-93 (अप्रैल–मार्च) के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने लघु उद्योगों के विकास में सहायक और गैर-तकनीकी स्नातकों के लिए उत्पादक रोजगार के सृजन पर लक्षित 4 सक्षम प्रबन्ध सहायता कार्यक्रम, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के उद्यमियों के लिए सक्सेशन प्लानिंग फार इन्टरप्रन्योरियल कन्टिन्यूटी नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, युवाओं के लिए उद्यमीय साहसिकता से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन कैम्प और विज्ञान एवं तकनीकी महाविद्यालयों के लिए एक गहन संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया । भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान द्वारा आयोजित अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में परियोजना तैयार करने और उनके मूल्यांकन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का कार्यक्रम, कामनवेल्थ फण्ड फार टैक्निकल कोआपरेशन लन्दन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों हेतु उद्यमी प्रशिक्षण प्रेरक कार्यक्रम और मारीशस में एक उद्यमीयता विकास कार्यक्रम शामिल हैं ।

4.08 राज्य स्तर पर उद्यमीयता विकास क्रियाकलापों को संस्थानात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मिलकर, भाआवित्तनि ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उद्यमीयता विकास संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना में सहायता प्रदान की । ये संस्थाएं/केन्द्र पहले की ही भांति अच्छे ढंग से कार्य करते रहे । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाआवित्तनि ने, अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से, कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे कर्नाटक उद्यमीयता विकास केन्द्र को पूंजीगत सहायता प्रदान की ।

पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए सहायता

4.09 भाआवित्तनि अपनी स्थापना के बाद से ही, देश में क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए प्रयत्नशील रहा है । अपनी प्रवर्तन सेवाओं के रूप में, सत्तर के दशक में, भाआवित्तनि ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर, कम विकसित राज्यों में औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षणों का कार्य प्रारम्भ किया था । इन सर्वेक्षणों के आधार पर 13 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिनमें सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विकास सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु बहुत उपयोगी सामग्री निहित थी और इन्हें अल्पावधि में क्रियान्वित किए जा सकने वाले ससाधन आधारित, बाजार-उन्मुख एवं स्वच्छन्द उद्योगों का पता लगाने में सहायक माना गया था । अस्सी के दशक में, भाआवित्तनि और अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने अपने प्रयासों को पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से उद्योगरहित जिलों के योजनाबद्ध विकास की ओर केन्द्रित किया।

4.10 देश में विकास केन्द्रों के क्रियाकलापों में वित्तीय संस्थानों द्वारा हाथ बंटाने के निर्णय के अनुसरण में उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकास केन्द्रों के अनुमोदन हेतु गठित शीर्ष समिति में भाआवित्तनि का प्रतिनिधित्व है । अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान विकास केन्द्रों को इक्विटी और सावधि ऋणों के रूप में सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुए हैं। विकास केन्द्रों से सम्बन्धित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए भाआवित्तनि को भी एक नोडल एजेंसी के रूप में रखा गया है। शीर्ष समिति ने देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक 33 विकास केन्द्रों को अनुमोदित किया है ।

प्रबन्ध विकास के लिए सहायता

4.11 भाआवित्तनि ने 1973 में प्रायोजित प्रबन्ध विकास संस्थान के माध्यम से प्रबन्ध में व्यावसायिक दक्षता लाने तथा बैंकिंग एवं उद्योग में कार्यरत प्रबन्धकों के प्रबन्धकीय कौशल के उन्नयन हेतु अपनी सहायता को जारी रखा । वर्ष 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान ने विगत वर्ष में 1135 भागीदारों के लिए आयोजित 49 कार्यक्रमों की तुलना में, 1310 भागीदारों के लिए 69 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 1992-93 के दौरान, प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में दो कार्यक्रम कैलाग विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. के सहयोग से आयोजित किए गए – पहला, स्ट्रेटेजिज एण्ड कास्ट मैनेजमेंट और दूसरा, मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड क्वालिटी मैनेजमेंट पर । अन्य कार्यक्रम थे—इन्टिग्रेटिड फाइनेन्शियल मैनेजमेंट, फारेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पर दो कार्यक्रम, एसआरडी स्ट्रेटिजिज फार दि एमर्जिंग चैलेन्जेज पर एक सेमिनार, कारपोरेट टर्न अराउण्ड : स्ट्रेटिजिज एण्ड पालिसीज पर एक कार्यशाला, स्ट्रेटिजिज मैनेजमेंट पर शीर्ष प्रबन्धन हेतु एक कार्यशाला, महिला प्रबन्धकों हेतु एक नया कार्यक्रम : चैलेन्जेज आफ इन्डिविजुअल एण्ड आर्गनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन्स । अन्य कार्यक्रमों में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. के कार्यपालकों के लिए तीन माह की अवधि का एक कम्पनी उन्मुख प्रबन्ध विकास कार्यक्रम, सेयारत सेवानी कार्मिकों के लिए "लघु उद्योग की रुग्णता–रोकथाम एवं पुनरुत्थान" विषय पर यूएसएआईडी द्वारा प्रायोजित 6 सप्ताह की अवधि का एक कार्यक्रम और काठमांडू स्थित नेपाल–अरब बैंक के अधिकारियों के लिए प्रबन्धकीय कुशलता पर दो कार्यक्रम।

प्रबन्ध विकास संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं संचालित कीं, जैसे "प्रबन्ध शिक्षा में शिक्षा शास्त्रीय स्वरूप एवं उन्नयन हेतु परियोजना, औद्योगिक आयोड की मांग का पूर्वाभास", "वित्तीय संवृद्धि-निजी क्षेत्र में उच्च निर्गमित संस्थानों के बारे में प्रयोगाश्रित अध्ययन" आदि । इसने फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) (इसकी संगठनात्मक संरचना, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, सूचना एकत्र करने, संग्रह करने एवं उनका प्रसार करने, आदि के अध्ययन), गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि. (मानव संसाधन विकास हेतु प्रयासों का मूल्यांकन) एवं अन्य एजेंसियों के लिए सलाहकारी कार्यों को भी निष्पादित किया । प्रबन्ध विकास संस्थान ने पहली जुलाई, 1992 को 5वां राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किया । पांच राष्ट्रीय प्रबन्ध कार्यक्रमों में अब तक कुल 176 अधिकारी भाग ले चुके हैं ।

श्रम विकास हेतु सहायता

4.12 जनवरी, 1992 में भाऔविबैंनि द्वारा प्रायोजित एक गैर-लाभकारी संगठन, श्रम विकास संस्थान का लक्ष्य श्रम विकास, कामगारों के कौशल में वृद्धि, कार्य योजना में निपुणता प्राप्त करने, क्षमता में सुधार और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रम शक्ति को आधुनिक प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता एवं उत्पादकता की ओर अभिमुख करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण का समन्वय करना और इस दिशा में पूरक व्यवस्था करना है । जुलाई, 1993 में श्रम विकास संस्थान ने कपड़ा श्रमिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने की योजना बनाई जिसके द्वारा एक ऐसा मंच उपलब्ध हो सकेगा जो कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, कढ़ाई, और परिधान उत्पादन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के कपड़ा श्रमिकों के कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाने एवं उन पर विचार करने में सहायक सिद्ध होगा ।

ग्रामीण विकास और उस से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता

4.13 अप्रैल, 1990 में भाऔविबैंनि द्वारा प्रायोजित और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन गुवाहाटी में पंजीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि देश के ग्रामीण व शहरी गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न संघों एवं संस्थानों को वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी सहायता प्रदान करती है । 31 मार्च, 1993 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार में 113 गैर-सरकारी संगठनों को कुल मिलाकर 205.46 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, जिसमें से 116.62 लाख रुपए संवितरित किए जा चुके हैं । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं का काम भी प्रारम्भ किया और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु काम करने के लिए अन्य विशिष्ट व्यावसायिक एजेन्सियों को भी प्राधिकृत किया जिसके लिए कुल 16 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी और कुल 6.46 लाख रुपए संवितरित किए गए । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ने भुवनेश्वर और पटना में अपने कार्यालय खोलकर अब अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है जिसमें उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र, उत्तरी आन्ध्र प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं ।

4.14 इस निधि द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, भाऔविबैंनि के वरिष्ठ कार्यपालकों के एक दल ने सितम्बर, 1992 में असम, अरुणाचल प्रदेश नागालैण्ड और मेघालय चार राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया । भाऔविबैंनि के कार्यपालकों का दल, अन्य बातों के साथ-साथ, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान निधिक सहायता की मात्रा पर्याप्त थी, अतः राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्रियाकलापों को बढ़ाना चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाकर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आदि नए क्षेत्रों में निधिक सहायता उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए ।

4.15 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाऔविबैंनि ने अपनी आवर्ती निधि योजना के अंतर्गत रुवा बैंक द्वारा प्रायोजित फण्ड्स आफ वूमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग (इण्डिया), अहमदाबाद को 35 लाख रुपए का अनुदान दिया । इस योजना के प्रमुख उद्देश्य लघु बचतों और महिलाओं के ऋण संगठनों को प्रोत्साहित करना है ताकि इसके सदस्यों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे क्रियाकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध हो सके जिससे वे उपयुक्त रोजगार पा सकें तथा अपने नाम से संपत्तियां जुटा सकें और उत्पादक परिसम्पत्तियों हेतु लिए गए ऋण चुका सकें ।

जोखिम पूंजी, प्रौद्योगिकी वित्त और उद्यम पूंजी के लिए सहायता

4.16 भाऔविबैंनि जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त के लिए जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि., जो भाऔविबैंनि द्वारा वर्ष 1976 में प्रवर्तित पूर्ववर्ती जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी संस्था है, के माध्यम से सहायता प्रदान करता रहा । वर्ष 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. द्वारा 14 मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए 471.38 लाख रुपए की जोखिम पूंजी सहायता मंजूर की गयी । वर्ष 1976 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की स्थापना से 31 मार्च, 1993 तक संचयी रूप से 236 मध्यम आकार वाली औद्योगिक इकाइयों को कुल मिलाकर 3475.79 लाख रुपए की जोखिम पूंजी सहायता मंजूर की गई । इन मंजूरियों में से 3058.29 लाख रुपए का संवितरण किया गया, जिसमें से 275.56 लाख रुपए का संवितरण 1992-93 में किया गया है । प्रौद्योगिकी वित्त एवं विकास योजना के अधीन वर्ष के दौरान 3 परियोजनाओं को 29.67 लाख रु. मंजूर किए गए तथा संचयी रूप से परियोजनाओं को 1299.52 लाख रुपए मंजूर किए गए। इन मंजूरियों में से 1041.83 लाख रुपए के संवितरण किए गए, जिनमें से 279.83 लाख रुपए का संवितरण 1992-93 में किया गया है । इस योजना के परिचालनों को कम किया गया है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पात्र अनेक परियोजनाओं को उद्यम पूंजी योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

4.17 नवोन्मेषी उत्पादों/प्रौद्योगिकी/सेवाओं वाले अत्यधिक लाभप्रद उद्यमों, जिनका लक्ष्य भावी या नए बाजार बनाना हो, को उद्यम पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की उद्यम पूंजी यूनिट-3 (वेंकाप 3-1991) नामक एक योजना के रूप में जुलाई, 1991 में 30 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि (भाऔविबैंनि द्वारा 20 करोड़ रुपये का अंशदान, जिसमें 10 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक ऋण श्रृंखला में से है) बनाई गई जिसकी व्यवस्था जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. द्वारा की जाएगी । 31 मार्च, 1993 तक जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. द्वारा 19 परियोजनाओं को 1725.75 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है,

जिसमें से 752.78 लाख रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। मार्च, 1993 के अंत तक भाऔविनि ने वेकास- III योजना के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट को 500 लाख रुपए संवितरित किए हैं ।

4.18 वर्ष 1991-92 में ही जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. चुनिंदा आधार पर गैर-निधि आधारित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है । जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. ने अपने द्वारा वित्तपोषित एक इकाई को गारंटी सुविधा उपलब्ध कराई है। अपनी वित्तपोषित कम्पनियों के प्रति प्रायोजक के दायित्व को स्वीकार करते हुए, जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. ने ओवर-दि-काउंटर एक्सचेंज आफ इण्डिया (ओटीसीईआई) की सदस्यता प्राप्त की है ।

4.19 वर्ष 1991-92 के दौरान, भाऔविनि ने इण्डस वेंचर मैनेजमेंट कं. लि. द्वारा प्रवर्तित इण्डस वेंचर कैपिटल फण्ड (आईवीसीएफ) की शेयर पूंजी में 20 लाख रुपये का अंशदान किया । इण्डस वेंचर कैपिटल फण्ड के अन्तर्गत परिचालन प्रारम्भ हो गए हैं और समीक्षाधीन अवधि के दौरान इण्डस वेंचर कैपिटल फण्ड ने चार परियोजनाओं हेतु कुल 2.65 करोड़ रुपये के निवेशों को अनुमोदित किया है ।

पर्यटन एवं पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता

4.20 पर्यटन के लिए भाऔविनि की सहायता, पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भाऔविनि की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी तथा भाऔविनि द्वारा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों एवं कुछ चुने हुए बैंकों के साथ मिलकर वर्ष 1989 में प्रायोजित भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. को प्रदत्त सहायता के रूप में जारी रही। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. ने अपने क्रियाकलापों के चौथे वर्ष के दौरान सावधि रुपया ऋण, लीजिंग वित्त एवं इक्विटी पूंजी में प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में 34 परियोजनाओं को 125.02 करोड़ रुपये की वित्तीय साहयता मंजूर की, जिसमें से 59.68 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। 31 मार्च, 1993 तक संचयी मंजूरियां एवं संवितरण क्रमशः 366.26 करोड़ रुपये एवं 159.95 करोड़ रुपये रहे । संचयी सहायता में 134.57 करोड़ रुपये की ऐसी राशि भी शामिल है जो कि 67 उन परियोजनाओं को मंजूर की गयी थी जिन्हें पहली बार पर्यटन के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित किया गया (1992-93 के दौरान 14 परियोजनाओं को 49.32 करोड़ रुपये)। भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा अब तक उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप होटलों में 10,360 कमरों (1992-93 के दौरान 1953 कमरे) की वृद्धि होगी एवं 19,378 व्यक्तियों को (1992-93 के दौरान 3,474 व्यक्ति) प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इससे पर्यटन परियोजनाओं में 1099.51 करोड़ रुपये का कुल निवेश (1992-93 के दौरान 288.08 करोड़ रुपये) उत्प्रेरित होगा ।

4.21 दिसम्बर, 1991 में भारतीय पर्यटन वित्त निगम के सहयोग से, भाऔविनि ने पर्यटन और पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों, सुविधाओं और सेवाओं के लिए परामर्शी, सलाहकारी और तत्पश्चात् वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट सलाहकारी संगठन के रूप में भारतीय पर्यटन सलाहकारी एवं वित्तीय सेवाएं निगम लि. को प्रायोजित किया । समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि ने भारतीय पर्यटन सलाहकारी एवं वित्तीय सेवाएं निगम लि. को 25 लाख रुपये का अंशदान दिया जो कि उसकी 100 लाख रुपये की प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी का 25% है।

पूंजी बाजार के विकास के लिए सहायता

4.22 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की निधि संबंधी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाऔविनि ने इसकी निकाय निधि में 250 लाख रुपए का अंशदान किया । भाऔविनि ने ओटीसी एक्सचेंज आफ इण्डिया लि. की स्थापना में भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साख एवं निवेश निगम लि. एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर सहयोग प्रदान किया तथा इसके 8.00 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूंजी का 8% अर्थात् 64 लाख रुपए का अंशदान किया ।

4.23 चुनिंदा निवेश संस्थानों और बैंकों के सहयोग से भाऔविनि ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में एक साख निर्धारण एजेंसी अर्थात् भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी (इकरा) की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई । पहली सितम्बर, 1991 को कार्य प्रारम्भ करने से लेकर 31 मार्च, 1993 तक, भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी लि. ने 135 प्रलेखों (संचयी) का साख निर्धारण किया है जिसमें वित्तीय सेवा कम्पनियों के 37 प्रलेख, उत्पादन कम्पनियों के 95 प्रलेख और एक वित्तीय संस्थान के 3 प्रलेख शामिल हैं । इन प्रलेखों में वाणिज्यिक पेपर, सावधि जमा, डिबेंचर और बांड शामिल हैं। इसमें से 72 कम्पनियों ने 94 प्रलेखों का साख निर्धारण स्वीकार किया है जिनमें 58 डिबेंचर, 2 बांड, 9 वाणिज्यिक पेपर और 25 सावधि जमा शामिल हैं । भारतीय निवेश सूचना एवं साख निर्धारण एजेंसी लि. ने दो नई सेवाएं, यथा—ऋण मूल्यांकन सेवा और सामान्य मूल्यांकन सेवा भी आरम्भ की हैं और 1992-93 (अप्रैल-मार्च) के दौरान इसने ऋण मूल्यांकन के 9 कार्य और सामान्य मूल्यांकन के 2 कार्य पूरे किये हैं ।

4.24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाऔविनि ने निवेशकों का सुसंगठित, राष्ट्र-व्यापी, स्क्रीन आधारित इलैक्ट्रॉनिक व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों के सहयोग से नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इण्डिया लि. (एनएसई आईएल) की स्थापना में भागीदारी की । इस स्टाक एक्सचेंज में इक्विटी, डिबेंचर, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के बांड और सरकारी प्रतिभूतियों सहित अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों का व्यापार किया जाएगा । भाऔविनि ने 25 करोड़ रुपये की कुल इक्विटी पूंजी के 14% के अभिदान की सहमति दी है और इसमें से 1.40 करोड़ रुपये का अंशदान यह पहले ही कर चुका है ।

4.25 भाऔविनि इस पर सहमत हुआ है कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित की जा रही एक परिसम्पत्ति प्रबन्ध कम्पनी के प्रयोजन में भी भागीदारी करेगा जिसके लिए इसने 71.50 लाख रुपये का अंशदान किया है जो कि इस कम्पनी की 5.00 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी का 14.3% है ।

आवास विकास एवं वित्त के लिए सहायता

4.26 भाऔविनि द्वारा भारतीय जीवन बीमा आवास वित्त लि., साधारण बीमा निगम गृह वित्त लि. एवं ए.बी. होम्स फाईनेन्स लि. में भागीदारी के माध्यम से आवास विकास एवं वित्त के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों को सहायता

4.27 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निरन्तर पारस्परिक संवाद विकसित करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों की नई श्रेणी तैयार करने के उद्देश्य से भाऔविनि

सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, पहले से ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और तकनीकी/शोध संस्थानों द्वारा स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों (स्टेप्स) को सहायता प्रदान करता रहा है। भाऔविनि, अब तक, रांची (बिहार), बम्बई (महाराष्ट्र), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु), कानपुर (उत्तर प्रदेश), मैसूर (कर्नाटक), लुधियाना (पंजाब), भोपाल (मध्य प्रदेश) एवं खड़गपुर (पश्चिमी बंगाल) में आठ विज्ञान एवं उद्यमी पार्कों (स्टेप्स) हेतु निधियां जुटाने में भागीदारी कर चुका है। ये स्टेप्स निरन्तर प्रगति कर रहे हैं और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाऔविनि द्वारा अन्य भागीदार संस्थानों के सहयोग से, जवाहर लाल नेहरू इन्टरप्रेनोर्स कैमिकल पार्क (जेएनईसीपी) स्टेप, बम्बई को इसकी आधुनिक मशीनरी हेतु आयातित कलपुर्जे प्राप्त करने और इसकी कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से और अधिक जांच सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

अनुसंधान तथा अनुसंधानोन्मुखी क्रियाकलापों के लिए सहायता

(1) भाऔविनि पीठें

4.28 औद्योगिक प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, औद्योगिक वित्त, क्षेत्रीय अर्थ-व्यवस्था और विकास बैंकिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भाऔविनि ने छः पीठों की स्थापना की है, जिनमें से एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में एक-एक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 25 अगस्त, 1992 को मद्रास विश्वविद्यालय में डा. एन. पी. श्रीनिवासन ने "विकास बैंकों द्वारा परियोजना जोखिम मूल्यांकन" विषय पर भाऔविनि सार्वजनिक व्याख्यान दिया।

(2) भाऔविनि अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

4.29 भाऔविनि की नई योजना के अंतर्गत विकास बैंकिंग, उद्यमीयता विकास, उद्यम-प्रबन्ध, श्रम-प्रबन्ध, पर्यटन एवं पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रबन्ध आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर, 1991 में डाक्टरेट डिग्री के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रारम्भ की गई। भाऔविनि ने वर्ष 1991 एवं 1992 में चार-चार अध्येतावृत्तियां प्रदान कीं। एक शोधार्थी ने "भारत में निगमित क्षेत्र में उद्यम पंजी के उभरते रूख" पर अपना शोध-प्रबन्ध पूरा कर लिया और उन्हें दिसम्बर, 1992 में डाक्टरेट की डिग्री प्रदान की गयी।

(3) अन्य अनुसंधानोन्मुख संगठनों को सहायता

4.30 समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, बिहार औद्योगिक संघ, सेन्टर फार मल्टी-डिस्पलनरी डवलपमेन्ट रिसर्च, इंडियन इकानामिक एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट, सेन्टर फार रिसर्च आफ इकानमी एण्ड ट्रेड और इण्डियन काउंसिल फार रिसर्च आन इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स रिलेशन्स को भी सहायता प्रदान की गयी ताकि ये संगठन अपने अनुसंधानोन्मुख क्रियाकलापों को बढ़ा सकें।

5. प्रबन्ध, संगठन एवं आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड

5.01 30 जून, 1993 को समाप्त 15 महीने की अवधि के दौरान, निदेशक बोर्ड की 15 बैठकें हुई, जिनमें से 13 बैठकें नई दिल्ली में और एक-एक बैठक जयपुर और बंगलौर में हुई।

5.02 श्री डी. एन. डावर 20 अप्रैल, 1992 को भाऔविनि के अध्यक्ष के पद से कार्यमुक्त हो गए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के संयुक्त सचिव एवं केन्द्र सरकार द्वारा नामित भाऔविनि के निदेशक डा. पी. जे. नायक ने, श्री पी. एस. गोपालकृष्णन की भाऔविनि के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने तक भाऔविनि के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्य-भार संभाला। श्री गोपालकृष्णन ने 26 नवम्बर, 1992 को अध्यक्ष पद का कार्य-भार ग्रहण किया। केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक श्री एन. आर. कृष्णन, अपर सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, उद्योग विकास विभाग, 5 मार्च, 1993 से निदेशक नहीं रहे।

5.03 श्री एम. एन. गोइपोरिया के त्याग-पत्र से हुई आकस्मिक रिक्ति पर दिनांक 14 अक्तूबर, 1992 को आयोजित विशेष महासभा में, अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में श्री वी. महादेवन का निर्वाचन किया गया। श्री के. पी. नरसिम्हन के त्याग-पत्र से हुई आकस्मिक रिक्ति पर दिनांक 30 नवम्बर, 1992 से बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों तथा इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों, आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में श्री जे. एस. मालंके को निर्वाचित किया गया।

5.04 भाऔविनि का निदेशक बोर्ड, श्री डी. एन. डावर, श्री एन. आर. कृष्णन, श्री एम. एन. गोइपोरिया एवं श्री के. पी. नरसिम्हन को, जो अब सेवा-निवृत्त हो गए हैं, भाऔविनि के साथ सम्बद्ध रहने की अवधि के दौरान, उनके द्वारा दिए गए अत्यन्त उपयोगी एवं मूल्यांकन सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है।

अन्तर-संस्थानात्मक और राज्य-स्तरीय समन्वय

5.05 संस्थानों के प्रधानों की अनौपचारिक बैठकों और वरिष्ठ कार्यपालक बैठकों, वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकों तथा क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संस्थानों के प्रधानों की छह बैठकें, 28 वरिष्ठ कार्यपालक बैठकें, 7 वरिष्ठ विधिक कार्यपालक बैठकें एवं 2 क्षेत्रीय कार्यपालक बैठकें आयोजित की गई। इनके अतिरिक्त, प्रवर्तन क्रियाकलापों के क्षेत्र में अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यपालकों की दो बैठकें आयोजित की गई।

5.06 राज्य-स्तर पर, भाऔविनि ने राज्य-स्तरीय समितियों तथा राज्य-स्तरीय अन्य मंचों की विभिन्न बैठकों में अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के प्रधानों की भागीदारी के माध्यम से, समन्वय बनाए रखा।

विदेशी एजेंसियों से विचार विनिमय

5.07 भाऔविनि ने विश्व बाजार में कार्यरत विकास वित्तीय संस्थानों तथा अन्तरराष्ट्रीय बैंकों के साथ निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध एवं सम्पर्क बनाए रखा। श्री पी. एस. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष ने अप्रैल, 1993 में कोलम्बो में आयोजित एसोसिएशन आफ डवलपमेन्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन्स इन एशिया एण्ड दि पैसिफिक (ए डी एफ आई ए पी) के वार्षिक सम्मेलन में

भाग लिया। उन्होंने मई, 1993 में मनीला में आयोजित एशियन विकास बैंक की 26वीं वार्षिक बैठक में भी भाग लिया। अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक श्री एस. के. जैन के साथ सिंगापुर, टोक्यो तथा हांगकांग का दौरा किया और वे प्रमुख बैंकों तथा प्रतिभूति कम्पनियों के अधिकारियों से मिले तथा उन्होंने पारस्परिक हितों से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया। श्री एस. पी. बैनर्जी, कार्यपालक निदेशक 50 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक अमरीकी एक्जिम बैंक की प्रतिभूतिकरण सुविधा हेतु अमरीकी एक्जिम बैंक तथा कैमिकल बैंक के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के सिलसिले में सितम्बर, 1992 में वाशिंगटन गए। उन्होंने अम्सटरडम का भी दौरा किया और आई एफ सी आई के साथ "कार्यनीति-सहयोग" को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में ए बी एन एमरो बैंक के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। नवम्बर, 1992 में श्री बैनर्जी लंदन गए तथा उन्होंने विभिन्न बैंकरों के साथ पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

5.08 अनेक विदेशी उच्चाधिकारियों ने आई एफ सी आई का दौरा किया और भारत में निवेश के अवसरों तथा पारस्परिक हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। आई एफ सी आई के प्रमुख अधिकारियों ने क्रेदितांसाल्त-फर वाइडर फबउ (के एफ डब्ल्यू), एशियन विकास बैंक, अमरीकी एक्जिम बैंक की टीम के साथ उपयोगी विचार-विमर्श किया। आई एफ सी आई के साथ "कार्यनीति-सहयोग" के सिलसिले में ए बी एन एमरो बैंक, नीदरलैंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।

संगठनात्मक गतिविधियां

5.09 31 दिसम्बर, 1992 से श्री बी. के. मलहोत्रा, श्री एच. बी. सुब्बाराव तथा श्री आर. एल. श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक को महाप्रबन्धक के पदों पर तथा श्री सी. पी. भान, उप विधि सलाहकार को विधि सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया गया।

5.10 प्रबन्ध सूचना पद्धति, प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, लाइब्रेरी, कर्मचारी कल्याण, हिन्दी का प्रगामी प्रयोग, आदि विषयों के सम्बन्ध में योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन तथा उनकी देख-रेख के लिए गठित भाऔविनि के अधिकारियों की विभिन्न समितियां भाऔविनि कार्य-निष्पादन के सम्बद्ध क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से कार्य करती रहीं। अध्याय-1 के पैरा 1.2 में उल्लिखितानुसार, भाऔविनि के सांविधिक निगम से कम्पनी में संपरिवर्तन के संदर्भ में, संगठन की पुर्नसंरचना की योजना निर्धारण के लिए भी एक वरिष्ठ अधिकारी समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में सभी स्तरों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ विचार-विनिमय किया।

कार्मिक

5.11 जून, 1993 के अंत तक, भाऔविनि में कार्मिकों की कुल संख्या 1,141 (क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के कार्मिकों सहित) थी, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के 185, भूतपूर्व सैनिक 33 और शारीरिक रूप से विकलांग 17 कर्मचारी शामिल थे। उक्त तारीख तक महिला कर्मचारियों की संख्या 188 थी।

मानव संसाधन विकास

5.12 बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और गतिशील व्यापार परिस्थितियों के कारण आई एफ सी आई के मानव संसाधनों को और अधिक सक्रिय बनाना तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना अनिवार्य हो गया। 30 जून, 1993 को समाप्त 15 महीनों की अवधि के दौरान, अलग-अलग अवधि के 47 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 24 कार्यक्रम प्रधान कार्यालय में, 15 बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में तथा 8 पटना प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 132 दिन के इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों के 752 भागीदार शामिल हुए। इन-हाउस प्रशिक्षण क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य स्टाफ के सदस्यों को अपेक्षित कार्य क्षमता से परिपूर्ण करना तथा नए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार करना था।

5.13 आन्तरिक प्रशिक्षण के पूरक कार्यक्रम के रूप में तथा अन्य संस्थानों/संगठनों के विद्वानों एवं शिक्षाविदों के साथ विचार-विनिमय के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध विकास के लिए भाऔविनि द्वारा आयोजित संस्थान प्रबन्ध विकास संस्थान सहित देश के प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित 75 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्टाफ के 119 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विदेशों, जैसे स्वीडन, नेपाल, मलेशिया और मनीला में यू एन आई टी ए आर, ए डी एफ आई ए पी, आदि जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा आयोजित चार कार्यक्रमों में 5 अधिकारियों, जिनमें एक महिला अधिकारी भी थी, ने भाग लिया। भाऔविनि में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में सरकारी मार्गनिर्देशों पर भी भाऔविनि निरन्तर अमल करता रहा।

5.14 रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के अधीन भाऔविनि ने अपने पुनर्स्थापन वित्त विभाग (पुविवि) में वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों को कार्योन्मुखी व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

कर्मचारी कल्याण

5.15 भाऔविनि के कर्मचारी कल्याण कार्यों में सामाजिक सुरक्षा, आवास एवं चिकित्सा सुविधाएं पहले की ही भांति मुख्य आधार बनी रहीं। कर्मचारियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए भाऔविनि की विभिन्न कल्याण योजनाएं, जैसे, उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद एवं भारत तथा विदेशों में बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु ऋण सुविधा, भाऔविनि के विभिन्न कार्यालयों में स्थित मनोरंजन क्लबों को तथा विभिन्न स्टाफ कर्मचारियों के निवासी कल्याण संघों को सांस्कृतिक समारोह, आदि आयोजित करने के लिए अनुदान देना; अवकाश गृहों का रख-रखाव करना तथा शिशु कल्याण केन्द्र चलाना आदि, पहले की भांति ही जारी रहीं।

पर्यावरणीय कल्याण

5.16 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाऔविनि ने अनुमोदन के स्वरूप और शर्तों के अनुपालन की रक्षा के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करना जारी रखा ... संगठन, लेखापाल सोमवारी

फार दि प्रिवेंशन आफ ब्लाइंडनेस—इण्डिया को रुपए 10,000/- का चन्दा दिया ।

इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग एवं सम्प्रेषण प्रणाली

5.17 भाओविनि के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में समुचित कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवा दिए गए हैं । इस समय कार्यरत विभिन्न सिस्टम्स हैं—आई सी आई एम-6040 मेन फ्रेम, यूनिक्स एन्वायरन्मेंट में परिचालनरत ई एस पी एल मिनी सिस्टम्स, जिस्ट कार्ड और डाट मैट्रिक्स प्रिंटर्स सहित पर्सनल कम्प्यूटर, वर्कमेट-2, यूनिक्स एन्वायरन्मेंट में मल्टीयूजर मोड में कार्यरत कम्प्यूटरीकृत टेलेक्स प्रणाली तथा प्रधान कार्यालय में पीसी-फैक्स सिस्टम तथा इसके अलावा भाओविनि के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में जिस्ट कार्ड की सुविधा वाले पर्सनल कम्प्यूटर और ई एस पी एल मिनी सिस्टम, प्रिन्टर्स, डम्ब टर्मिनल, आदि भी परिचालन में हैं ।

5.18 भाओविनि के ई डी पी विभाग ने रुपया ऋण लेखांकन, सामान्य वित्तीय लेखांकन, विदेशी मुद्रा ऋण लेखांकन तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में पहले से प्रयोग किए जा रहे साफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग करना और उन्हें आधुनिकतम बनाना जारी रखा । इसने डेड-स्टाक लेखांकन, भाओविनि के बजट तैयार करने और उसकी मानिटरिंग करने, वित्तपोषित संस्थाओं के तुलन-पत्रों का अन्तर-फर्म तुलनात्मक अध्ययन, वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत उपस्कर लीजिंग योजना के अधीन उपलब्ध करवाई गई सहायता के संदर्भ में लीज-परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का परिगणन करने में नए प्रयोगों को विकसित किया । इसके अतिरिक्त, भाओविनि की शेयरधारिता से सम्बन्धित प्रमाणपत्रों/स्क्रिप्स के लेन-देन के विवरण के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, एहले से लगाए गए निवेश पोर्टफोलियो लेखांकन के प्रबन्ध सिस्टम्स में एक मोड्यूल जोड़ा गया ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

5.19 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भाओविनि भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अपने शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के निरन्तर प्रयास करता रहा । संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के अनुसार, कलकत्ता तथा बम्बई क्षेत्रीय कार्यालयों में विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए ताकि उनके कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर सकें । प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि स्टाफ अपने शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करें ।

5.20 प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भाओविनि के शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग पर निरन्तर निगरानी रखती रहीं और भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए गए ताकि भाओविनि के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हो सके । भाओविनि के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय, बैंक/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे ।

5.21 विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज अर्थात् सामान्य आदेश, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, प्रैस विज्ञप्तियां, संविदाएं, निविदा प्रपत्र, सूचनाएं, करार, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात आदि द्विभाषिक रूप से जारी किए गए । सभी परिचालन/प्रशासन परिपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए । प्रधान कार्यालय के विभागों/प्रभागों सहित भाओविनि के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटरों पर "अक्षर" साफ्टवेयर लगाने के परिणामस्वरूप, इस अवधि में कम्प्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई । प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों/प्रभागों में जिस्ट कार्ड भी लगाए गए जिससे वेतन पर्ची द्विभाषिक रूप से जारी की जा रही हैं । पूर्व मुद्रित द्विभाषिक लेखन सामग्री पर ब्याज नोटिस आदि द्विभाषिक रूप में तैयार करके जारी किए गए ।

5.22 भाओविनि ने अखिल भारतीय आधार पर केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भी भाग लिया तथा नकद पुरस्कार और शंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त किए । हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर, समारोह के मुख्य अतिथि श्री शंकर दयाल सिंह, संसद सदस्य ने भाओविनि के हिन्दी कक्ष द्वारा संकलित "सांकेतिक वित्त शब्दावली" का विमोचन किया । भाओविनि के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशंसनीय कार्य करने हेतु योग्यता प्रमाणपत्र दिया गया ।

कार्यालय परिसर

5.23 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोच्चि स्थित भाओविनि के शाखा कार्यालय को इसके अपने परिसर में स्थानान्तरित किया गया । इस प्रकार अब भाओविनि के 18 कार्यालयों में से 14 कार्यालय अपने-अपने भवनों में स्थित हैं ।

5.24 भाओविनि की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट में, भाओविनि द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में एक भूखण्ड लिए जाने का उल्लेख किया गया था, ताकि इसके विभिन्न कार्यालय को, जो इस समय पांच विभिन्न भवनों में स्थित हैं, एक ही स्थान पर स्थापित किया जा सके । 20-मंजिला "इंटेलिजेंट आफिस काम्प्लेक्स" के लिए वास्तुशिल्पीय कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है । दिनांक 22 अप्रैल, 1993 को आयोजित समारोह में इस भवन का शिलान्यास माननीय वित्त मंत्री, डा मनमोहन सिंह ने किया । वित्त राज्य मंत्री डा. अब्दार अहमद ने इस समारोह की अध्यक्षता की ।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

5.25 प्रधान कार्यालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, जो कार्यपालक निदेशक के माध्यम से अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, ने भाओविनि के राजस्व का पर्ण एवं सही लेखांकन, संसाधनों, का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया और उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में सुधार लाने पर विशेष जोर

देते हुए निगम की कार्य-पद्धति एवं कार्य-प्रक्रिया की प्रभावकारिता के बारे में प्रबंधन को सूचना दी। आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने वित्तीय सेवाओं सहित ऋणों एवं अग्रिमों से प्राप्त आय के शत प्रतिशत सत्यापन के अतिरिक्त संवितरणों, वसूलियों, संवितरण के पश्चात् अनुवर्तन, बीमा एवं विधिक प्रलेखन आदि कार्यों का भी निष्पादन किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के आधार पर अपेक्षित सुधार हेतु कार्रवाइयों के अनुपालन पर निरन्तर गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा। विधि लेखा परीक्षा, जिसमें विधिक दस्तावेजों के वास्तविक सत्यापन, ऋण प्रलेखों की प्रसंविदाओं के अनुसार प्रतिभूति प्रावधानों की समीक्षा, बकाया कानूनी कार्यों की स्थिति का अनुवर्तन आदि शामिल हैं, को भी पिछले कुछ वर्षों से आन्तरिक लेखा परीक्षा में एकीकृत कर दिया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने संगामी आधार पर अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रलेखों में भाऔविनि द्वारा निधियों के निवेश से संबंधित क्षेत्रों की भी समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया है।

जन संपर्क

5.26 भाऔविनि ने दिनांक 14 फरवरी, 1993 से 21 फरवरी, 1993 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय उद्योग संघ द्वारा आयोजित दसवें भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले में भी हिस्सा लिया। 40 से अधिक देशों ने इस मेले में भाग लिया। अधिकांश महत्वपूर्ण भारतीय इंजीनियरिंग संस्थाओं ने स्टाल लगाकर मेले में भाग लिया। वित्तीय संस्थाओं बैंकों और वित्तीय सेवा संगठनों द्वारा लगाए गए स्टालों में से भाऔविनि का स्टाल एक प्रमुख स्टाल था, जिसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था और जिसमें विभिन्न परिचालनों और योजनाओं को दर्शाने वाले पैनल लगे हुए थे। आठ दिन के मेले में 8,000 से भी अधिक व्यक्ति भाऔविनि का स्टाल देखने आए।

आभार

5.27 भाऔविनि का निदेशक बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, सहयोगी पूंजीगत वित्त तथा मर्चेन्ट बैंकिंग संगठनों, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य स्तर के विभिन्न वित्तीय एवं विकास संगठनों, आदि से प्राप्त सहायता, सहयोग, सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।

5.28 निदेशक बोर्ड विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, एशियाई विकास बैंक, क्रेडिटांस्टाल्ट-फर-वाइडरफबाउ, जर्मनी, एशिया एवं प्रशांत के विकास वित्तीय संस्थानों के संघ और विदेश स्थित अनेक संपर्ककर्ता बैंकों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय के सदस्यों द्वारा भाऔविनि को प्राप्त निरन्तर सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

5.29 निदेशक बोर्ड, निगम के विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों तथा स्टाफ के सभी सदस्यों द्वारा समीक्षाधीन अवधि के दौरान निष्ठा एवं समर्पण भाव से की गई सेवाओं के लिए उनकी सहर्ष सराहना करता है।

पी. एस. गोपालकृष्णन
अध्यक्ष

वार्षिक लेखे

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में

पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी जोकि अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के शेयरधारी हैं।

हमने पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1993 के संलग्न तुलन-पत्र और निगम के पहली अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1993 की अवधि के लेखों का लेखा-परीक्षण किया है और शेयरधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा-पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं।
2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।
3. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र और तुलन-पत्र पर दी गई लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं, इसमें सभी संबंधित जानकारी दी गई है, तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है और इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

लोढा एण्ड कम्पनी   सी. सी. चोकसी एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अगस्त, 1993

30 जून 1992 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और शेष	1	22,396.26	26,848.16
अल्प नोटिस एवं मांग पर राशि	—	7,500.00	—
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश	2a	29,442.94	16,955.05
अन्य संस्थाओं में निवेश	2b	14,185.57	3,494.52
वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण	3	7 89,728.11	6,78,514.28
स्थिर परिसम्पत्तियां	4	26,876.34	25,555.53
अन्य परिसम्पत्तियां	5	63,428.55	73,262.17
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता (विलोम प्रविष्ट पर)	—	43,803.26	18,055.09
जोड़		9,97,361.03	8,42,684.80
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	20,250.00	14,250.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	54,668.40	44,008.02
दीर्घकालीन ऋण	8	8,36,033.55	7,29,603.50
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	9	37,516.46	32,455.10
निर्दिष्ट निधियां	10	5,089.36	4,313.09
स्वीकृतियों पर देयताएं (विलोम प्रविष्टि पर)	—	43,803.26	18,055.09
जोड़		9,97,361.03	8,42,684.80
लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	17		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का भाग है।

एस॰पी॰बैनर्जी — हरिश्चन्द्र शर्मा, पूर्णकालिक निदेशक — पी॰एस॰ गोपालकृष्णनन, अध्यक्ष — एम॰एच॰खान, एस॰एस॰ कदम — डी॰आर॰एस॰ चौधरी, निदेशक

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार लोढ़ा एण्ड कम्पनी समदी लेखापाल सी॰सी॰ चोकसी एण्ड कं॰

नई दिल्ली : 27 अगस्त, 1993

1 अप्रैल 1992 से 30 जून, 1993 की अवधि के लिए लाभ–हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	30 जून, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों पर ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय (ब्याज कर प्रावधान, अशोध्य संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक प्रावधानों के लिए घटाकर)	11	99,513.21	67,113.52
अन्य परिचालनों से आय	12	29,144.78	16,384.73
कुल आय		1,28,657.99	83,498.25
ऋणों की लागत	13	1,03,858.91	66,294.56
कार्मिक व्यय	14	1,523.13	1,098.56
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस, आदि	—	4.95	4.07
किराया, अनुरक्षण तथा मूल्य ह्रास	15	5,867.54	3,206.38
अन्य व्यय	16	603.87	714.91
प्रबंध विकास, संस्थान को अनुदान	—	10.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था	—	2,500.00	2,750.00
कुल व्यय		1,14,368.40	74,073.58
निवल लाभ		14,289.59	9.424.67
समायोजन :			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 की अधीन सामान्य आरक्षित विधि		7126.50	2,888.60
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि		3,533.88	3,863.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि		125.00	100.00
कर्मचारी कल्याण निधि		25.00	20.00
लाभांश		3,479.21	2,542.87
		14,289.59	9,424.67
लेखाकन नीतियां और टिप्पणियां	17		

ऊपर लिखित अनुसूचियां लाभ–हानि लेखा का भाग हैं।

एस० पी० बैनर्जी

हरिश्चन्द्र शर्मा
पूर्णकालिक निदेशक

पी० एस० गोपालकृष्णन
अध्यक्ष

एस० एन० खान
एस०एस० कदम

डी० आर० एम० चौधरी
निदेशक

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली : 27 अगस्त, 1993

लोढ़ा एण्ड कम्पनी

सी०सी० चोकसी एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

अनुसूची 1 रोकड़ और बैंक शेष

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
हाथ में नकदी/टिकटें	0.98	1.14
हाथ में वसूली हेतु प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट	3,041.30	3,728.33
भारत के बैंकों में शेष		
चालू खातों में (टिप्पणी सं० 6 देखें)	6,785.07	7,011.95
अल्पावधि जमा में	600.00	12,793.85
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
चालू खातों में	6,545.42	1,706.33
अल्पावधि निक्षेपों में	5,423.49	1,606.56
जोड़	22,396.26	26,848.16

अनुसूची 2 क वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश

(लागत अथवा बहीमूल्य पर)

लाख रुपये

विवरण	धारा के अन्तर्गत* 23 (घ)	23 (च)	23 (छ)	30 जून, 1993 को	31 मार्च, 1992 को
(i) इक्विटी शेयर	5,229.27	7,339.93	4,166.26	16,735.46	12,889.23
(ii) अधिमान शेयर	174.44	535.37	43.01	752.82	717.20
(iii) डिबेंचर	1,760.86	8,843.82	123.83	10,728.51	2,911.81
(iv) शेयर और डिबेंचरों पर आवेदन राशि	968.88	257.27	—	1,226.15	436.81
30 जून, 1993 को जोड़	8,133.45	16,976.39	4,333.10	29,442.94	
31 मार्च, 1992 को जोड़	6,366.74	7,761.90	2,826.41	16,955.05	16,955.05
कथित निवेश					
— बही मूल्य					
शेयर				10,760.98	
डिबेंचर				682.17	
				11,443.15	8,118.95
— बाजार मूल्य					
शेयर				21,237.12	
डिबेंचर				1,875.61	
				23,112.73	59,818.65
अकथित निवेश उन निवेशों सहित जिनके लिए चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं।					
— बही मूल्य					
शेयर				6,727.30	
डिबेंचर				10,046.34	
				16,773.64	8,399.29
— विश्लेषित मूल्य					
शेयर				4,511.92	4,453.90

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से संबंधित है।

निवेशों में भा० औ० वि० बैंक द्वारा जारी रुपये 100 करोड़ के अंकित मूल्य (लागत रुपये 100 करोड़) के ब्याज-मुक्त बांड, 30.3.2008 को प्रतिदेय, शामिल हैं।

अनुसूची 2 ख

अन्य संस्थाओं में निवेश (लागत पर)	14,185.57	3,494.52

अनुसूची 3

वित्त पोषित संस्थाओं को ऋण

(अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को घटाकर)

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	5,76,744.42	4,94,023.79
(ii) विदेशी मुद्राओं में	2,12,983.69	1,84,490.49
जोड़	7,89,728.11	6,78,514.28

टिप्पणियां

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर), निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर), निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज किस्तों की कुल अतिदेय राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामित को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	शून्य	शून्य

अनुसूची 4

स्थिर परिसम्पत्तियां

लाख रुपये

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	31 मार्च, 92 को लागत	वृद्धि	बिक्री कटौतियां	30 जून, 93 को लागत	31-3-92 तक	अवधि के लिए	बिक्री कटौतियां	30-6-93 तक	30-6-93 को	31-3-92 को
फ्री होल्ड भूमि तथा भवन	2087.85	214.44	0.39	2301.90	385.66	162.35	0.04	547.97	1753.93	1702.19
पट्टे पर भूमि तथा भवन	5777.65	79.63	4209.06	1648.22	355.66	101.50	—	457.16	1191.06	2421.99
फर्नीचर तथा फिक्चर	233.71	42.85	16.43	260.13	83.85	20.87	0.24	104.48	155.65	149.86
कार्यालय उपस्कर कम्प्यूटर सहित	591.27	15.42	1.16	605.53	255.06	76.35	0.75	430.66	174.87	236.21
बिजली के संस्थान	190.93	31.46	—	222.39	98.81	35.00	—	133.81	88.58	92.12
वाहन	19.31	0.02	—	19.33	16.54	0.82	—	17.36	1.97	2.77
पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियां—सयंत्र एवं मशीनरी	22210.09	4496.22	106.54	26599.77	5131.20	4912.61	2.53	1004.28	16558.49	17078.89
उपजोड़	31110.81	4880.04	4333.58	31657.27	6426.78	5309.50	3.56	11732.72	19924.55	24684.03
निर्माणाधीन पूंजी व्यय									6951.79	871.50
जोड़	31110.81	4880.04	4333.58	31657.27	6426.78	5309.50	3.56	11732.72	26876.34	25555.35

*निर्माणाधीन कार्यालय भवन वाली पट्टाकृत भूमि पर रुपये 4209.06 लाख के पूंजी व्यय को निर्माणाधीन पूंजी व्यय में स्थानांतरित किया गया है।

अनुसूची 5 अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं	16,065.00	13,851.15
वित्तीय सेवा योजनाओं के अन्तर्गत मशीनरी संभरकों को अग्रिम	2,026.20	8,023.57
जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम	1,618.66	1,273.14
स्वैप करार के अधीन हाउसिंग डिवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि० को अग्रिम	7,246.38	7,246.38
स्वैप करार के अधीन इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लि० को अग्रिम	2,717.39	2,717.39
भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड को अग्रिम	500.00	—
कर्मचारियों को अग्रिम	457.08	350.24
अन्य जमा राशियां	65.87	34.25
विनिमय जोखिम प्रबंध योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से भा०औ०वि० बैंक की मार्फत 1-4-89 से 30-6-93 की अवधि के लिए वसूल की जाने वाली राशि (निवल विनिमय जोखिम प्रबंध निधि) (समाधान एवं समायोजन करने की शर्त के अधीन) (देखें नोट 5)	18,146.01	17,530.16
अग्रिम आयकर, स्रोत पर काटे गए कर सहित	5,873.84	3,929.10
अन्य परिसम्पत्तियां	8,712.12	18,306.79
जोड़	63,428.55	73,262.17

अनुसूची 6 शेयर पूंजी

विवरण	30 जून 1993 को लाख रुपये	31 मार्च 1992 को लाख रुपये
अधिकृत		
प्रत्येक पांच हजार रुपये के 5,00,000 शेयर	25,000.00	25,000.00
जारी और अभिदत्त		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,05,000 शेयर (2,85,000)	20,250.00	14,250.00
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पूर्व अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त)		
प्रदत्त		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवी सीरीज)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज)	500.00	500.00
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज)	1,000.00	1,000.00
(xii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (बारहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (तेरहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xiv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 25,000 शेयर (चौदहवीं सीरीज)	1,250.00	1,250.00
(xv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 50,000 शेयर (पन्द्रहवीं सीरीज)	2,500.00	2,500.00
(xvi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 60,000 शेयर (सोलहवीं सीरीज)	3,000.00	3,000.00
(xvii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,20,000 शेयर (सतरहवीं सीरीज)	6,000.00	—
जोड़	20,250.00	14,250.00

अनुसूची 7 रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	24,668.41	17,541.91
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि (भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का इस निधि पर दावा)	100.00	100.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	29,899.99	26,366.11
जोड़	54,668.40	44,008.02

अनुसूची 8 दीर्घकालीन ऋण

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
1	2	3
बांड (अप्रतिभूत—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी—भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त)		
(a) 6 3/4% बांड	—	7,810.00
(b) 7 1/4% बांड	10,050.22	10,050.22
(c) 7 1/2% बांड	10,995.00	10,995.00
(d) 8 1/4% बांड	7,975.00	7,975.00
(e) 8 3/4% बांड	8,004.80	8,004.80
(f) 9% बांड	19,701.00	19,701.00
(g) 9.75% बांड	32,269.13	32,269.13
(h) 11% बांड	69,548.00	69,548.00
(i) 11.5% बांड	1,41,602.00	1,41,602.00
(j) 12% बांड	26,000.00	26,000.00
(k) 13% बांड	51,805.99	—
(l) 7.6% बांड (येन मुद्रा)	10,244.81	9,321.15
(m) 6.9% बांड (येन मुद्रा)	10,842.72	9,831.14
(n) 6.3% बांड (येन मुद्रा)	11,834.32	11,750.88
	4,10,872.99	3,64,858.32
उधार (आरक्षित)		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	24,010.00	35,245.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा (4) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम व उसकी सहायक इकाइयों से	75,000.00	55,000.00
(ग) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 21 (4) के अधीन भारत सरकार से	—	1.60

1	2	3
(घ) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 (4) के अधीन भारतीय यनिट ट्रस्ट से	15,000.00	—
(ङ) ऋदितांस्तल्त –फर–वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	1,511.76	17,300.63
(च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गये विदेशी बांडों से प्राप्त राशि में से विदेशी मुद्रा में	—	2,849.00
(छ) विदेशी ऋणदाता संस्थानों, बैंकों, आदि से विदेशी मुद्राओं में (रुपये 1,45,668.25 लाख की सीमा तक भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (रुपये 36,184.56 लाख स्वैप व्यवस्था के अधीन शामिल है)	2,24,264.80	2,19,070.45
(ज) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अधीन निक्षेप	55,384.00	51,278.50
(झ) निक्षेप प्रमाण पत्र योजना के अधीन निक्षेप	20,000.00	—
(ञ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 30–3–2008 को प्रतिदेय ब्याज मुक्त उधार (अर्ध इक्विटी)	10,000.00	—
जोड़	8,36,033.55	7,29,603.50

अनुसूची 9 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च 1992 को लाख रुपये
(क) चालू देयताएं		
फुटकर लेनदार	12,171.36	7,480.89
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	7,265.12	8,781.58
(ख) भारत सरकार से उधार	42.89	2.93
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	2,465.95	4,599.27
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार	2,827.60	3,130.43
अग्रिम पावतियां	259.83	448.33
दावा न किया गया लाभांश	0.23	0.30
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप–ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि भारत सरकार को देय राशि	3,454.15	2,426.67
जोड़ (क)	28,487.13	26,870.40
(ख) प्रावधान		
कराधान के लिए प्रावधान	5,550.12	3,041.83
लाभांश के लिए प्रावधान	3,479.21	2,542.87
जोड़ (ख)	9,029.33	5,584.70
जोड़ (क)+(ख)	37,516.46	32,455.10

अनुसूची 10 निर्धारित निधि

विवरण	30 जून, 1993 को लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	2,013.74	1,731.60
विशेष जूट विकास निधि	62.11	220.47
कर्मचारी कल्याण निधि	274.95	237.32
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	415.05	373.97
क्रेदितांस्तल्त-फर-वाइडरफवऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	2,323.51	1,749.73
जोड़	5,089.36	4,313.09

अनुसूची 11 ऋणों, अग्रिमों, निक्षेपों से ब्याज और अन्य वित्तीय सहायता से आय

विवरण	30 जून, 1993 को समाप्त अवधि लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय	76,925.48	53,174.27
अल्पावधि तथा अन्य जमा पर ब्याज	3,747.18	1,391.50
वचनबद्धता प्रभार तथा अप-फ्रंट फीस	2,317.97	1,756.84
पट्टा किराया	12,836.81	6,799.32
स्थायी प्रभार	3,685.77	3,991.59
जोड़	99,513.21	67,113.52

अनुसूची 12 अन्य परिचालनों से आय

विवरण	30 जून, 1993 को समाप्त अवधि लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क एवं कमीशन	1,599.45	658.23
लाभांश	724.18	861.07
निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	16,599.51	14,775.71
अनवाइंडिंग एवं क्रास करेंसी सौदों पर लाभ	3,522.01	—
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण निवल लाभ (देखें नोट 8 ख)	5,313.09	—
6.2.90 से 31.3.92 की अवधि के लिए पूंजीकृत ब्याज (देखें नोट 8 ग)	1,077.56	—
विविध आय (पूर्व वर्षों से सम्बद्ध 20.22 लाख रुपये शामिल है)	308.98	89.72
जोड़	29,144.78	16,384.73

अनुसूची 13 ऋणों की लागत

विवरण	30 जून, 1993 को समाप्त अवधि लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
बांडों और उधारों पर ब्याज	1,02,710.20	65,513.14
घटाएं : पूंजीकृत (देखें नोट 8 ग)	635.53	—
जोड़	1,02,074.67	65,513.14
विनिमय जोखिम प्रबंधन निधि पर ब्याज	988.65	263.04
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर बचनबद्धता प्रभार	210.72	129.11
बांड जारी करने की लागत	584.87	389.27
जोड़	1,03,858.91	66,294.56

अनुसूची 14 कार्मिक व्यय

विवरण	30 जून, 1993 को समाप्त अवधि लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	1,416.99	1,015.78
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	6.70	3.56
अन्य कार्मिक व्यय	99.44	79.32
जोड़	1,523.13	1,098.66

अनुसूची 15 किराया, रखरखाव तथा मूल्यह्रास

विवरण	30 जून, 1993 को समाप्त अवधि लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रेलभाड़ा (पूर्व वर्षों से सम्बद्ध 15.68 लाख रुपये शामिल हैं)	407.60	186.70
मरम्मत एवं रखरखाव	150.44	87.30
स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	5,309.50	2,932.38
जोड़	5,867.54	3,206.38

अनुसूची 16 अन्य व्यय

विवरण	30 जून, 1993 को समाप्त अवधि लाख रुपये	31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षा शुल्क	2.35	1.55
यात्रा व विराम व्यय	64.91	43.79
संचार व्यय	101.37	70.62
मुद्रण, लेखन-सामग्री और विज्ञापन	77.90	52.39
निवेशों पर हानि	170.41	419.56
अन्य व्यय	186.93	127.00
जोड़	603.87	714.91

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

अनुसूची 17

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां :

1. संलग्न वित्तीय विवरण पिछली लागत आधार पर तैयार किए गए हैं । लेखांकन नीतियों का सुसंगत रूप से अनुपालन किया जा रहा है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

2. राजस्व महत्ता :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के मद्देनजर, (क) डिक्रीत ऋणों (ख) जहां वाद दायर किए गए हों (ग) जहां ऋणों को वापस मांगा गया हो (घ) जहां वसूली की संभावना नगण्य हो और (ङ) जहां ब्याज पिछली चार लगातार तिमाहियों से अतिदेय हो और उसके पश्चात् 30 दिनों में पक्षकारों ने भुगतान नहीं किया हो, के सम्बन्ध में ब्याज और अन्य देयराशियों को क्रेडिट नहीं किया जाता है । ऐसे मामलों में आय को उसकी प्राप्ति होने पर हिसाब लिया जाता है तथा उसका समायोजन निगम द्वारा निरन्तर अपनाई जा रही नीति के अनुसार किया जाता है ।

(ख) सीमांतक शुल्क को उसके प्राप्त होने पर ही हिसाब में लिया जाता है ।

(ग) लाभांश आय का गणन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है ।

(घ) पट्टेदार के साथ किए गए पट्टा करार में यथा-निर्दिष्ट वचनबद्धता की तारीख से पट्टाकृत परिसम्पत्तियों के किराए का गणन किया जाता है और इससे पहले मशीनरी संभरकों को दिए गए अग्रिमों और/अथवा इस प्रयोजन के लिए किए गए व्यय, यदि कोई हों, पर वित्तीय प्रभारों की वसूली की जाती है ।

3. निवेश :

3.1 मूल्यांकन :

केवल उन उपयुक्त मामलों को छोड़कर जिनमें लागत को अवलिखित किया जाता है और निवेश का उल्लेख बही मूल्य पर किया जाता है, निवेश का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है । अभिदान/शेयरों, डिबेंचरों के नागमन, आदि के अंतर्गत प्राप्त सीमांतक शुल्क या हामीदारी कमीशन का समायोजन इसी मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है ।

निवेशों के सकल बाजार मूल्य/विभाज्य मूल्य के संदर्भ में बही-मूल्य की तुलना सार्वभौमिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है ।

3.2 लेन-देन :

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23-से संबंधित खण्ड के अंतर्गत धारित निवेश की औसत लागत के आधार पर किया जाता है ।

(ख) अन्य स्वस्थ कम्पनियों, राष्ट्रीयकृत या परिसमापनाधीन कम्पनियों या नकारात्मक निवल मूल्य वाली कम्पनियों या उन कम्पनियों, जहां परिसम्पत्तियों की बिक्री होनी हो, के साथ भावी विलयन किए जाने पर कम्पनियों के शेयर मूल्य में हानि, यदि कोई हो, का गणन उसके अंतिम रूप से पता लगने/निर्धारित किए जाने पर किया जाता है ।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

(क) निम्नलिखित के शेष :

(1) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई अप्रयुक्त राशि को छोड़कर) ।

(2) उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण (विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण छोड़कर),

(3) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में रखी गई निधियां, और

(4) विदेशी मुद्रा में दी गई गारंटियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक देयताओं की अभिव्यक्ति वर्ष के अंत में प्रचलित दरों के आधार पर भारतीय मुद्रा में की गई है । जहां निगम ने उधार एक विदेशी मुद्रा में लिया है और उसकी देयता को दूसरी विदेशी मुद्रा में स्वैप किया है, तो जिस विदेशी मुद्रा में उधार लिया गया है उसे संपरिवर्तित करते हुए उधार की राशि में वृद्धि/कमी होती है । इस सम्बन्ध में लाभ/हानि का गणन स्वैप लेने-देने के हो जाने पर किया जाता है ।

उपर्युक्त विभिन्न परिसम्पत्तियों और देयताओं के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले निवल लाभ/हानि को आय में शामिल किया जाता है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई विदेशी मुद्रा उधारों की राशि के अप्रयुक्त भाग का मूल्यांकन, निधि के रखने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर किया जाता है ।

(ग) विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत उप-ऋणियों को प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों की शेष राशियां उनके संवितरण के समय प्रचलित दर के रुपया समकक्ष में अभिव्यक्त की जाती है । उधारों की पुन: अदायगी के समय होने वाले विनिमय उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में घाटे/आधिक्य की विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि में पड़ी शेष राशि में समायोजन करने के पश्चात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अदायगी अथवा उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

5. स्थिर परिसम्पत्तियां :

(क) स्थिर परिसम्पत्तियों का गणन उनकी मूल लागतों पर, मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है ।

(ख) (1) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का, परिसम्पत्तियों के पट्टे की मूल अवधि पर या इन परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित आयकर मूल्य-ह्रास दरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की लागत का 95% मूल्य ह्रास करने हेतु निर्धारित पूर्ण वर्षों की संख्या पर, जो भी कम हो, परिवर्धन के माह से यथानुपात आधार पर सरल विधि से मूल्यह्रास किया जाता है ।

(2) अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य पद्धति द्वारा किया जाता है (आयकर अधिनियम, 1961 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार) ।

(3) पट्टाकृत भूमि का पट्टा अवधि में परिशोधन किया जाता है ।

6. कर्मचारी हित :

बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित उपदान सम्बन्धी देयता के लिए व्यवस्था की गई है और यह पूर्णत: निधिकृत है ।

7. पूर्व-अवधि समायोजन :

कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सभी पूर्व-अवधि समायोजनों को, जिसमें वर्ष के दौरान निश्चित एवं निर्धारित समायोजन भी शामिल है, लेखे के संगत शीर्षों में गणन कर लिया गया है ।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं)

1. निम्नलिखित के सम्बन्ध में आकस्मिक देयताएं (लाख रुपये) :

(क) हामीदारी वचनबद्धताएं, 2297.00— (648.50)

(ख) निवेशों के रूप में धारित, 1636.64— (363.66)
आंशिक प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों पर अयाचित देयता

(ग) पूंजी लेखे पर संविदाओं 3195.59 (4933.75)
की अनुमानित राशि
निष्पादित की जानी है
(प्रदत्त निवल अग्रिम लगभग)

(घ) अपीलों में विचाराधीन 359.02 (234.77)
आयकर मामले

2. निवेशों में 46.78 लाख रुपये की राशि (64.75 लाख रुपये) कतिपय ऐसी कम्पनियों के शेयर और डिबेंचरों में निवेश की गई है जो परिसमापन, राष्ट्रीयकरण, अन्य कम्पनियों के साथ समामेलन अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री की कार्यवाही को पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया में है ।

3. निवेशों में कतिपय सलाहकारी और अन्य संगठनों, जिनमें हितकारी आरक्षित निधि में से अभिदान किया गया है और जिन्हें भारत सरकार से विशेष अनुदान प्राप्त हुआ है, के 1051.42 लाख रुपये (386.42 लाख रुपये) के शेयर/यूनिट शामिल नहीं है ।

4. (क) विद्यमान उपलब्ध सम्बन्धित विवरणों और सूचना, आदि के आधार पर निगम द्वारा अवसूलनीय मान लिए गए ऋणों और अग्रिमों हेतु पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है । तथापि, प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के बावजूद ऐसे ऋणों के वसूल होने की संभावनाओं का पता लगाते समय, बनाई गई अथवा बनाई जा रही अथवा क्रियान्वयनाधीन पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार योजनाओं के आधार पर व्यवहार्यता के सम्यक परिणाम को ध्यान में रखा गया है । बट्टे खाते डाले जा चुके ऋणों में से वसूल हुए ऋणों को, उनकी वसूली पर, आय में क्रेडिट किया जाता है और उन्हें निगम द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार समायोजित किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त निगम ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (8) के अंतर्गत एक विशेष आरक्षित निधि का सृजन किया है, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली हानियों हेतु उपलब्ध होगी।

(ख) कुछ संस्थाओं, जिनके लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान की गई है, और/अथवा उपक्रमों जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है, तथा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनकी देयताएं औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अवरुद्ध हो गयी हैं, को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को अच्छा और वसूलनीय समझा गया है।

5. विनिमय जोखिम प्रबन्ध योजना (विजोप्रयो) के अंतर्गत, भारत सरकार ने विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि में घाटा होने की स्थिति में, जिसे विजोप्रगो उतार-चढ़ाव लेखे द्वारा दर्शाया जाता है, सहायता प्रदान करने और अधिशेष की स्थिति में अपना अंशदान वापस लेने की सहमति दी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित विनिमय जोखिम प्रबन्ध निधि में घाटे की सीमा तक निगम का अधिकार है, बशर्ते कि विजोप्रनि में नकारात्मक शेष हो। यदि विजोप्रनि में शेष राशि पर्याप्त नहीं होती है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से भारत सरकार पर दावा बनता है।

6. भारत के बैंकों के चालू खातों में निगम की सहमति से केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में/भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में बैंकरों द्वारा निवेश किए गए शून्य लाख रुपये (1350.00 लाख रुपये) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत बिलों के रूप में शून्य लाख रुपये (5450.00 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

7. निगम द्वारा अधिग्रहण किए गए कुछ परिसरों के संबंध में हस्तान्तरण की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

8. (क) निगम ने उन मामलों में पहली अप्रैल, 1992 के पश्चात् प्रोद्भूत होने वाले ब्याज, वचनबद्धता प्रभारों, कमीशन, आदि की आय को मान्यता न देने का निर्णय लिया है जिनमें ऐसी आय निरन्तर चार तिमाहियों से अतिदेय है और उसके पश्चात् उसका 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है जबकि पिछले वर्ष अपनाई गई पद्धति आठ या अधिक तिमाहियों की थी।

(ख) 31 मार्च, 1992 तक प्रत्येक ऋण व्यवस्था के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ का गणन, केवल विदेशी ऋणदाता संस्थाओं को पूर्णरूप से उधार राशि पुन: अदा कर देने और ऐसे उधारों में से वित्तपोषित संस्थाओं को जो उधार दिए गए हैं, उनके पूर्णरूप से वसूल होने के पश्चात् ही किया जाता था। प्रत्येक ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि का निगम द्वारा ऋण की पूर्ण अदायगी करने के पश्चात् गणन किया जाता था। अब विभिन्न परिसम्पत्तियों/देयताओं के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली निवल लाभ/हानि का वर्ष प्रति वर्ष आधार पर राजस्व लेखे में गणन करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) निगम ने निगमित कार्यालय के भवन के निर्माण के लिए 4200.00 लाख रुपये में पट्टाकृत भूमि खरीदी है और इसके सम्बन्ध में 238.99 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है। निगम ने प्रबन्धन द्वारा आबंटित और उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग की गई निधियों की औसत ब्याज लागत की 1713.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 1077.56 लाख रुपये सहित) की राशि का उक्त भूमि की खरीद की पिछली तारीख से पूंजीकरण करने का निर्णय लिया है।

(घ) लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों (टिप्पणी 8 (क) के अनुसार आय मान्यता के सम्बन्ध में जिसके कारण लाभ में 13587.20 लाख रुपये की कमी हुई, टिप्पणी 8 (ख) के अनुसार विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुए लाभ/हानि के सम्बन्ध में जिसके कारण लाभ में 5313.09 लाख रुपये की वृद्धि हुई और टिप्पणी 8 (ग) के अनुसार ब्याज के पूंजीकरण के सम्बन्ध में जिसके कारण ब्याज में 1713.09 लाख रुपये की वृद्धि हुई) के कारण वर्ष का कर-पूर्व लाभ 6561.02 लाख रुपये कम रहा।

9. भारत सरकार ने दिनांक 7 जून, 1993 की अधिसूचना एफ सं. 2 (10)/आईएफ 1/93 के द्वारा औद्योगिक वित्त निगम नियम, 1965 के नियम 3 में इस बाबत संशोधन किया कि निगम का कारोबार वर्ष 31 मार्च के स्थान पर 30 जून होगा। तदनुसार, निगम ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष को बदलकर 30 जून कर दिया और इस प्रकार संशोधित नियम के अनुसार पहली अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1993 तक के 15 माह के लेखे तैयार किए गए हैं।

10. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, जिसके अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (निगम) की स्थापना की गयी थी, का पहली जुलाई, 1993 से निरसन हो गया है, किन्तु औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 की धारा 11 (2) ने निगम के वार्षिक लेखों से संम्बन्धित किसी भी प्रयोजन हेतु दि इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (कम्पनी) पर निरसित अधिनियम की धारा 33, 34, 34क, 35 और 43 के उपबंधों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तदनुसार, कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने निगम के लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र को अनुमोदित किया है।

11. मूल्यह्रास का प्रावधान 15 माह की अवधि हेतु आनुपातिक आधार पर किया गया है।

12. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुन: व्यवस्थित/पुन:समूहित (पुन:वर्गीकृत किए गए हैं)।

13. चालू अवधि के आंकड़े 15 महीने के लिए हैं, जबकि पिछले वर्ष के 12 महीनों के हैं, अत: तुलनात्मक नहीं हैं।

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK

ACCOUNTS, BOMBAY THE'————'

In pursuasce of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the notification in extra-ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended 31st December, 1992 is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities, should communicate immediately with the Chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government & Bank Accounts, Central Debt Division, Bombay.

The list has been divided into two parts : List 'A' being securities now advertised for the first time and list 'B' the list of securities previous advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs /Grms	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		—NIL—			

LIST 'B'

Calcutta Circle

No of Security	Value Rs /Gms	In whose name issued	From what date bearing interest	Name/s of the claimants for issue of duplicate/payment of discharge	No. and date of order issued	Date of publication under P.D. Act of 1944 of list in which the Security was first published
1	2	3	4	5	6	7
			3% Conversion 1946			
CA 2000355	1,000/-	Sashi Bhusan Ghosh & Sons	16-9-62	Baidyanath Mondal	Jt Manager's order dated 8-10-92 (DY No. LCO. 65/92-93 dt. 13-10-92	—
CA 198799	1,000/-	Do	Do	Do	Do	File No. I-2491
CA 206485	200/-	Panchanan Mandal (since deceased)	Do	Do	Do	—
CA 206486	500/-	Do	Do	Do	Do	—
CA 206487	1,000/-	Do	Do	Do	Do	
CA 206488	1,000/-	Do	Do	Do	Do	—
			3% First Dev- loan 1970-75			
CA 055364	500/-	Do	15-10-62	Do	Do	—
			9% Loan 2015			
CA 000099	2,00,000/-	Reserve Bank of India	No interest paid since ssue	P K Mitra B K Choudhury and R CM Bagch all Trustees of the Nat onal Co Ltd Jute Mill Workers Provident Fund	Jt. Manager order issued dated 28-10-92 (Vide Dy. No. ECO. 91/92-93 dated 13-10-92) File No. I. 2467	—
CA 001005	5,00,000/	Do	Do	Do	Do	—

1	2	3	4	5	6	7
		MADRAS CIRCLE				
		National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series				
MS 017532	9 gms	C.P. Karuppiah (Since deceased)	27-10-67	K. Dhanalakshmi	JM. DY. No. 119 dt. 19-5-92 (LN 2627)	—
MS 035316	2 gms	V.P. Philip	27-10-67	V.P. Philip	JM. DY. No. 48 dt. 12-10-92 (LN 2628)	—
MS 016504	10 gms	G. Sabapathy	27-10-66	G. Sabapathy	JM. DY. No. 64 dt. 29-10-92 (LN 2255)	—
		NAGPUR CIRCLE				
		National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series				
MS 001481	30 gms	Satyanarayan Tiwari (deceased)	27-10-66	Yogesh Narayana Tiwari	CO. 330 dt 30-6-1992	—
		BANGALORE CIRCLE				
		3½% National Plan Loan 1964				
BL 001568*	500/-	Reserve Bank of India	19-4-58	K. Thippaiah	File No. LN. 305 Jt. Managers' order dt. 14-9-89 & C.O. approval dt. 12-12-89	—
		KANPUR CIRCLE				
		National Defence Gold Bonds—'A' Series				
KN 000462	12 gms of gold	Mahabir Prasad Daga	27-10-65	Mahabir Prasad Daga	CO. JR. 2304/50 dt. 30-3-88 LNG-138	5-11-33

*Immediate issue of duplicate bonds/payment of discharge value authrorised

The Chief Accountant
Reserve Bank of India
Central Office
Department of Govt. and Bank Accounts
Central Debt Division
Bombay 400 051

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANT OF INDIA

Calcutta-700 071, the 4th October 1993

(CHARTERED ACCONTANTS)

Notification Nos. 3ECA/4/3/92-93 dt 22-1-93, 4ECA/4/1/4/72-78 dt. 18-2-78, 3SCA/4/8/90-91 dt. 1-12-90 & 4CA-1-9-68-69 dt. 31-7-68, it is hereby notified in pursuance of Regula-69 dt. 31-7-68, it is hereby notified in puresuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the names of the following members w.e.f. the dates mentioned against their names

Sl. No.	Mem. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	3503	Mr. Nitya Nanda Padhee ACA Plot No. 313 Kharvela Nagar Unit-3 Bhubaneswar-751001	1-10-92
2.	3840	Mr. Bimal Kr. Basu FCA Suite-C 1 Aswini Dutta Road Calcutta-700029	1-10-92
3.	6504	Mr. Pashupati Nath Daruka ACA C/o R.K. Bhagania & Co. 29A Ranindra Sarani 2nd floor R No. 8 Calcutta-700 073	8-6-93
4.	7504	Mr. Mukherjee Sudharsan ACA 25 Russa Road (South) 3rd Lane Calcutta-700033.	26-8-93
5.	7713	Mr. Basu Amal Kumar ACA GD 85 Sector-III Salt Lake City Calcutta-700091.	30-6-93
6.	9856	Mr. Gupta Arunendra Mohan ACA 2/2 Sebak Baidya Street Calcutta-700029.	1-10-92

A. K. MAJUMDAR,
Seretary.

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

aNew Delhi, the 26th October 1993

No. U-16/53/(1)/89-M. II (Mah.) Col. II.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G), dated 23-5-83, I hereby authorise Dr. S.R. Karnalkar PTMR Chalisgaon to function as Medical Authority for further one year (from 1-10-93 to 30-9-94) or till full-time Medical Referee joins, whichever is earlier for Chalisgaon at a monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Dr. (Mrs.) A. A. AMBEKAR,
Medical Commissioner.

No. U-16/53/1/89-M. II (Mah.) Col. II.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Rr. B. J. Gaikward to function as medical authority w.e.f. 24-11-93 to 23-11-94 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Barshi Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in boubt.

Dr. (Mrs.) A. A. AMBEKAR,
Medical Commissioner.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act 1972)

New Delhi, the 19th November 1993

Ref. No. CA/20/93—In exercise of the powers conferred by rule 8 of the Council of Architecture Rules 1973 the undersigned as the Returning Officer hereby appoints the late, time and place as specified in columns 1, 2 and 3 respectively of the Table given below for the purposes specified in the corresponding entry in column 4 thereof.

The Table

Date	Time	Place	Purpose
1	2	3	4
(a) Monday 20-12-1993	3.00 p.m.	Office of the Council of Architecture 8-B Shankar Market Circus Connaught NEW DELHI-110001	For the receipts of nomination paper and their scrutiny.
(b) Monday 27-12-1993	3.00 p.m.	Office of the Council of Architecture 8-B Shankar Market Circus Connaught NEW DELHI-110001	For the despatch of voting papers to the electors.
(c) Wednesday 12-01-1994	3.00 p.m.	Office of the Council of Architecture 8-B Shankar Market Circus Connaught NEW DELHI-110001	For the poll
(d) Wednesday 12-01-1994	4.00 p.m.	Office of the Council of Architecture 8-B Shankar Market Circus Connaught NEW DELHI-110001	For the scrutiny and counting of votes.

(ASHOK YADAV)
Returning Officer

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
45TH ANNUAL REPORT 1992-93

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS UNDER SECTION 35 OF THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, 1948

1. Operational Environment and outlook

New Delhi-110 001, the 15th October 1993

1.01 The Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India Ltd. have pleasure in presenting the 45th Annual Report on the operations of the erstwhile Industrial Finance Corporation of India (IFCI) established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (IFC Act, 1948) together with the audited Statement of Accounts for the 15 months' period ended the 30th June, 1993.

1.02 Pursuant to the enactment of Industrial Finance Corporation (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993 on the 2nd April, 1993, The Industrial Finance Corporation of India Ltd. (also referred hereinafter as IFCI) was incorporated as a company under the Companies Act, 1956 on the 21st May, 1993 and the Certificate for Commencement of Business was isued on the 24th June, 1993. As per the Notification issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) on the 7th June, 1993, the undertaking of IFCI under IFC Act, 1948 stands transferred to and vested in the aforesaid company with effect from the 1st July, 1993.

1.03 The Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide another Notification dated the 7th June, 1993, amended the Industrial Finance Corporation Rules, 1965 and permitted the business year of IFCI to be closed on the 30th June,. As such, IFCI closed its accounts for the business year 1992-93 on the 30th June, 1993 instead of the 31st March, 1993. The Report presented hereunder is for 15 months' period, i.e., from the 1st April, 1992 to the 30th June, 1993. The previous year's figures wherever given, are for full 12 months (April-March).

1.04 As a backdrop to the operations, performance and working results of IFCI during the period, it may be useful to take a synoptic view of the global economic scene and the operating economic and industrial environment that prevailed in India during the year 1992-93 (April-March) and the out look for the future.

(A) GLOBAL ECONOMIC SCENE

1.05 The world economy, according to Trade & Development Report 1992 of the United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD), is in a period of un-coordinated and overall weak growth, with little prospects of vigorous recovery in the near future. UNCTAD says that the key problems facing the world economy are structural in nature and specific to particular country groups or regions. A clear example is of the countries of Central and Eastern Europe, where new political, economic and social institutions are being built.

1.06 According to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), growth in the so called Dynamic Asian Economies (DAEs) has slowed but they will continue to benefit from faster growth in China. Hongkong and Taiwan—two of the DAEs, alongwith South Korea, Singapore, Thailand and Malaysia—will still benefit from trade, financial and technological links with their booming neighbour. The OECD says activity has been relatively buoyant in several Latin American countries, that have stabilesed macro economic conditions and adopted outward looking policies.

1.07 UNCTAD estimates 1.5% growth in developed economies in 1992 and a broader recovery of 3% for 1993. In North America, UNCTAD estimates 1.5% growth rate for the US Economy in 1992 and 2% for the Canadian Economy. In Western Europe, the current uncertainties revolving around the process of ratification of the Maastricht Treaty are having an unsetting impact on business confidence. In South Asian countries—India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Srilanka, Maldives and Bhutan— the economic outlook depends not only on the foreign environment but also on domestic factors such as political stability, weather conditions, domestic demand and the speed at which various policy reforms to restructure the economies are being implemented. In West Asia, increased exports by some oil producers should contribute to decrease in their current account deficits.

1.08 Economic growth in the industrial countries in 1993, is expected to be slow, according to OECD and UNCTAD. As stated in "Economic Outlook", OECD expects Gross Domestic Product (GDP) of the United States to increase by about 2.5% in 1993, and by 3% in 1994, compared with 1.75% in 1992. In the United Kingdom, the OECD projects a slow recovery in economic activity in the first half of 1993. The economic growth in Germany will remain low in 1993, but may rebound vigorously in 1994 as inflation slows down and interest rates fall. France's GDP is expected to drop to 1.6% in 1993 from 1.9% in 1992. In Italy, economic growth would be slow, dragged down by Government's belt-tightening measures.

1.09 Predicting continuation of global economic recovery from the 1991 downturn, the latest Report "World Economic Outlook" of the Intenational Monetary Fund (IMF) cautions that the outlook remain unusually uncertain". Among the principal obstacles to global recovery are the recent market deterioration in the economic performances of Japan and specially Europe, which is expected to remain in recession for much of 1993. Although some industrial countries have emerged from recession, growth rates have declined in many other countries. Consequently, the growth rate of world output increased from 0.5% in 1991 to 1.75% in 1992. Notwithstanding this, the IMF Report predicts that the recovery will continue to strengthen, with world output growth increasing to 2.25% in 1993 and 3.5% in 1994.

1.10 Some controversy was generated by the IMF's move to use Purchasing Power Parity (PPP) instead of market exchange rates to determine the size of individual economies and their weightage in the world economy. This also affected growth rates of the world as a whole and of different regions. The weightage of developing countries rose from 17.7% to 34.4%, that of industrialised countries fell from 73.2% to 54.4% and that of East Europe and Commonwealth of Independent States (CIS) rose from 9.1% to 11.2%. The Indian economy was the sixth-largest in the world on this basis and was valued at $ 1105 billion in 1992. The PPP-based measures would imply stronger growth in the world economy by an average of about 0.5% annually between 1983 and 1992.

(B) INDIAN ECONOMY—1992-93

1.11 The year 1992-93 has been a turbulent one for the Indian economy. The liberalisation process got stalled for a time because of the scam in the gilt-edged and stock markets. The communal and other riots in December, 1992 and Jaunary, 1993 too had a clouding effect. Of course, prices came under control thanks to a bumper harvest and a fairly comfortable balance of payments' position. The real Gross Domestic Product (GDP) was estimated to have expanded at the rate of 3% during 1992-93 as against a measure 1.2% growth during 1991-92. However, recent decisions of the Government go to confirm that the process of opening up the economy has been resumed and new measures would be adopted to sustain a growth of 5% in GDP in 1993-94.

AGRICULTURAL SECTOR

1.12 Agriculture and allied activities constitute the single largest contributer to the GDP, accounting for about 35% of the total GDP. Over the last four decades, agriculture has made rapid strides in India. The production of several commodities including oil-seeds (around 21 million tonnes), cotton (12 million bales) has shown significant increase. The all-time high foodgrains production of 181.2 million tonnes during 1992-93 which opened up prospects of exporting surpluses, is a testimony to the resilience of Indian agriculture.

1.13 The Eighth Plan has focussed on consolidating the gains from the base built over the year in agricultural production, sustaining the improvements productivity and realising the country's potential by stepping up agricultural exports. The Eighth Plan has proposed to step up total investment in agriculture to 18.65% from 11.23% in the Seventh Plan. The actual investment in agriculture is targeted at Rs. 1,48,800 crores out of a total of Rs. 7,98,000 crores during the Plan period. The target for export of agricultural and allied commodities during 1993-94 has been fixed at $ 2255 millions envsiaging a growth of 12.5% in doller terms over the previous year. The anticipated level of these exports during 1992-93 was $ 2000 million.

INDUSTRIAL SECTOR

(i) *Policy initiatives*

1.14 With the announcement of the New Industrial Policy in July, 1991, a large number of Government instructions relating to entry, licensing and controls on corporate behaviour were relaxed. The thrust of the policy measures undertaken in 1992-93 has been to deepen these reforms and extend them to other sectors of industry. Manufacture of a wide range of products, such as industrial alcohol, motor-cars, and consumer durables (refrigerators, washing machines, air-conditioners), hides and some leather goods, was delicensed. The system of endorsement of capacity expansion under modernisation/renovation was discontinued except in the case of industries under compulsory licensing or located in restricted areas.

1.15 The private sector (including foreign investors) was invited to invest in oil exploration and refining, which was earlier reserved for the public sector. The Government also threw open to private sector all the 13 minerals so far reserved exclusively for the public sector. The power sector was opened to both domestic and foreign private investment, and the Union Budget for 1993-94 introduced a five year tax holiday for new projects for generation and distribution or only generation of power. An Investment Promotion and Project Monitoring Cell was set up to assist the entrepreneurs on a wide range of subjects including the licensing policy, tariff and duties, etc.

1.16 A number of measures were initiated in the fiscal and monetary policies to revive industrial growth. The Budget for 1992-93 announced Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) under which 60% of foreign exchange earnings were allowed to be converted at market rates of exchange. This had greatly facilitated accecss to imported capital goods, technology, and raw-material. The LERMS was modified with effect from the 1st March, 1993 to make the rupee fully convertible on the trade account. Trade policy also was liberalised and the restricted list of imports was pruned substantially.

1.17 In order to stimulate the flow of foreign investment, stipulation regarding dividend balancing hitherto imposed on all foreign investment approvals, was withdrawn except in the case of specified industries in the consumer goods sector. The list of high priority industries, where foreign investment upto 51% was allowed automatically, was revised, rationalising the earlier grouping and adding new items. The Government allowed upto 51% foreign equity participation in shipping companies and in the software industry. Automatic approval of Reserve Bank of India (RBI) for raising foreign equity upto 51% would be available to companies wishing to raise foreign equity as part of an expansion programme in the high priority industries and also to companies predominantly engaged in high priority industries to raise equity based without an expansion programme. The restrictions on the use of foreign brand names or trade marks for goods sold in the domestic markets, were withdrawn. The celling on foreign equity in the mining industry was raised to 50%. Equity participation of over 50% by foreign parties in non-captive mines could also be considered on case-to-case basis. The foreign Exchange Regulation Act (FERA) was amended and investment restrictions on FERA companies were substantially removed. Non-Resident Indians (NRIs) and Overseas Corporate Bodies (OCBs) predominantly owned by them were allowed to invest upto 100% foreign equity in high priority areas with full repatriation benefits. Investment by NRIs upto 100% on full repatriation benefits was also allowed in export and trading houses, hotels and tourism-related industries. India also signed the Multilateral Investment Gaurantee Agency Protocol for the protection of foreign investments on the 13th April, 1992.

1.18 With a view to giving substantial thrust for encouraging industrialisation in States and Union Territories which are industrially very backward, the Union Budget for 1993-94 announced a five year tax holiday for new industrial undertakings set up in these States/Union Territories.

1.19 In futherance of its policy of deregulation, the Government also announced decontrol of phosphatic fertilisers and molasses. It also granted incentives for the sugar industry by reducing the levy sugar quota from 45% to 40% therby increasing the open market quota to 60%.

1.20 It was recognised that the deregulation of industries and liberalisation and globalisation of the economy would lead to a rapid move towards modernisation and technological upgradation. To enable the labour force to remain active productive partners in the process of modernisation, Government established the National Renewal Fund (NRF). The NRF, which was operationalised in 1992-93, will provide assistance to cover the cost of re-training and redeployment of labour, wherever such a need arises as a result of modernisation and technological upgradation. It will act as a safety net for labour employed in industrial units undergoing structural re-adjustment.

(ii) *Industrial Performance*

(a) *Major sectors*

1.21 Industrial production during 1992-93 (April-March) registered a growth of 1.3% as against a fall of 0.1% during 1991-92 (April-March). Production in the manufacturing sector expanded by 0.6% as compared to a decline of 1.6% in the previous year. In the mining & quarrying sector, production expanded by 1.5% against the 0.3% growth of the previous year. Growth of the power sector slowed down from 8.5% in 1991-92 to 5% in 1992-93. The most worrisome feature of the growth of industrial production in 1992-93 was the very sharp decline in the 4th quarter of the year. During the first three quarters of the year, industrial output expanded by 3.7% but there was consistent fall during the last quarter of 1992-93.

(b) *Major industries*

1.22 During 1992-93, total saleable steel production at 16 million tonnes was 14.6% higher than in 1991-92. Production of integrated steel plants increased by 13.4% and that of secondary steel producers by 19%. Production of cement at 54.14 million tonnes was only 0.2% higher than in 1991-92 and lower than the target of 56 million tonnes. Production of nitrogenous fertilisers at 7.43 million tonnes was only 1.8% higher as compared with 7.34 million tonnes in 1991-92. Phosphatic fertilisers production during the same period declined by 10% from 2.56 million tonnes to 2.30 million tonnes. Caustic soda production at 10.62 lakh tonnes was 4.4% higher than 10.18 lakh tonnes produced during the previous year. Soda ash production was 13.83 lakh tonnes during 1992-93 as against 13.27 lakh tonnes in 1991-92.

1.23 In the textile sector, total cloth production at 23,140 million sq. mtrs. during 1992-93 was 2.4% higher than 22,588 million sq. mtrs. in the previous year. Cotton textile exports at Rs. 4,869 crores recorded an impressive growth of 27% in 1992-93. While yarn production at 1819 million kgs. was 8% higher than 1684 million kgs. produced in 1991-92, fabrics production by mill sector declined by over 5% in 1992-93. The man-made fibre yarn production increased by 11.4% at 7.62 lakh tonnes as against 6.84 lakh tonnes in 1991-92. Exports of synthetic fibre were 30% higher than in 1991-92 in terms of value.

1.24 Sugar production at 125.85 lakh tonnes during 1992-93 was lower by 3% as compared to 129.68 lakh tonnes produced in 1991-92. The leather industry achieved a growth of 4% during 1992-93 and was the 4th largest foreign exchange earner. Rubber production at 4.50 lakh tonnes was higher by 6.1% compared to the production of 4.24 lakh tonnes in 1991-92. Automobile tyre production at 209 lakh nos. was 7.9% higher than in 1991-92.

1.25 The capital goods industry continued to show strains during 1992-93 as well. The electrical machinery industry which shrank by 12.5% during 1991-92, further shrank by 1.5% during 1992-93. Metal products declined by 7% during 1991-92 and by 5% during 1992-93. Similarly, output of the nonelectrical machinery industry fell by 2.9% and 3% during 1991-92 and 1992-93 respectively. While the transport equipment industry recovered with a 2.5% increase during 1992-93, the automobile industry continued to register a fall. The commercial vehicale segment was the worst affected in the four-wheeler category. Auto anciliaries, however, performed commendably.

(c) *Infrastructure*

1.26. Among the infrastructure industries, production of crude oil at 26.94 million tonnes during 1992-93 was 11.2% lower than the production level of 35.35 million tonnes in 1991-92, which in turn was 8.1% lower than the peak level of 33.03 million tonnes crude production in 1989-90. The decline in domestic crude oil production led to increased reliance on imports. During 1992-93 crude oil import was estimated to be 29.42 million tonnes. Coal production during 1992-93 at 238.23 million tonnes (coking coal 45.40 million tonnes and non-coking coal 192.83 million tonnes) was 3.9% higher as compared with the production in 1991-92. Power generation at 301 billion kwh. increased by 5% during 1992-93 in spite of a 3.9% fall in generation in hydro-power. The average plant load factor of thermal plant during 1992-93 improved to 57.1% as compared with 55.3% in 1991-92. During 1992-93, transmission and distribution losses were about 23%. Railways carried freight trafic of 349.61 million tonnes, which was higher by 5.8% than in 1991-92.

(d) *Corporate performance*

1.27 Results announced for the year ended March, 1993, indicate that the corporate sector has performed well. A survey of the results of 617 companies carried out by the Centre for Monitoring the Indian Economy, Bombay (CMIE) (published in its half-yearly Economic Outlook—June, 1993) indicate that nominal net sales of the corporate sector increased by 18.7%, which was marginally higher than 18.4% increase registered in the previous year. Rate of Growth of gross profits has declined consistently since 1989-90 when it registered an impressive 37% increase—the growth rate was 13% in 1992-93. Net profits, on the other hand, show a smart recovery after having fallen from a growth by 37% in 1990-91 to 5% in 1991-92, growth of net profits recovered to 14.5% in 1992-93. Larger companies (those with a turnover of more than Rs. 100 crores numbering 121 companies in the survey) show a much less impressive performance compared to the medium and small companies. Sales of these companies grew by about 7%, gross profit and net profit increased by about 9%. Profits of these companies have essentially been derived from other income'.

FOREIGN TRADE AND BALANCE OF PAYMENTS

(i) *Policy initiatives*

1.28 In order to provide a boost to the export activities during 1992-93 and especially in the context of the Eighth Plan projections of export at 13.6% per annum in volume terms, a new Import-Export Policy for a five year period, 1992—1997. was announced. The fundamental thrust of the new EXIM Policy is to ensure freedom and make trade free from discretionary control. With the objective of ensuring the availability of the requisite imported inputs for export activity, changes have been made in various schemes, such as Duty Exemption Scheme (DES), Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS) and Duty Drawback Scheme (DDS), to provide raw-materials, parts, components, etc. and capital goods at international and near international prices to exporters for export production. The International Price Reimbursement Scheme (IPRS) has been reviewed and enlarged in coverage to enable exporters to utilise iron & steel, available domestically and yet remain internationally competitive. Special import licences have been granted to certain categories of exporters for import of certain items in the Negative List of import to act as an incentive for greater exports. The Schemes of Export Processing Zone (EPZ) and Export-Oriented Units (EOUs) have been extended to cover agricultural and related activities, besides manufacturing activities allowed earlier. As a part of the Commodity Specific Strategy (CSS) to increase exports. 34 products have been identified during 1992-93 as Extreme Focus Products (EFP) which have the export potential of 30% growth in volume and value terms. A new set of guidelines facilitating setting up of joint ventures overseas with equity participation has also been issued. Partial convertibility of the rupee introduced in March, 1992 to replace the Eximscrip System, has been changed to full convertibility on trade account with effect from the 1st March, 1993.

1.29 Changes in the fiscal, financial, monetary and industrial policies have also been undertaken to ensure that they support the export effort. During 1992-93, import tariff levels earlier reduced to a maximum level of 150% were further reduced to a maximum of 110% and again ot 85%. In addition, deemed exports have been granted refund of terminal excise duty. With a view to increasing availability of export finance, interest rate on export credit, which was reduced by one percentage point with effect from 29th February, 1992, has been further reduced by one percentage point across the board with effect from the 9th October, 1992. RBI issued instructions to commercial banks to ensure that a minimum of 10% of net bank credit was made available to the export sector by the end of June, 1993. Banks have also been advised to ensure that their maximum permissible financial limits should not be allowed to be a constraining factor for export credit.

1.30 Several additional measures were taken to encourage investment flows : direct foreign investment, portfolio investment, NRI investment and deposits and investment in global depository receipts. In addition to what has been stated in para 1.17 supra, Government have allowed reputed Foreign Institutional Investors (FIIs) to invest in the Indian capital market subject to the condition that they register with Securities & Exchange Board of India (SEBI) and obtain RBI approval under FERA. Portfolio investments by the FIIs in the primary and secondary markets are subject to an overall ceiling of 24% of the issued share capital in any company.

TRADE PERFORMANCE AND FOREIGN EXCHANGE RESERVES

1.31 Exports in doller terms during 1992-93 recorded an increase of 3.6% as against a decline of 1.1% during 1991-92. Exports to General Currency Area (GCA) increased by 10.8% as against an increase of 6.2% druing 1991-92. Decline in Rupee Payment Area (RPA) exports at 62.8% was sharper compared to decline of 42.4% in the corresponding period last year. Imports in 1992-93 (in doller terms) increased by 12.1%. Imports of Petroleum, Oil and Lubricants (POL) rose by 20.9% while non-POL imports increased by 8.7%.

1.32 Foreign Exchange Reserves [excluding gold and Special Drawing Rights (SDRs)], which had declined to $ 1141 million at the end of August, 1991, increased to $ 6434 million by the end of March, 1993.

FINANCIAL SECTOR

(i) *Financial sector reforms*

1.33 Pursuant to the Narasimhan Committee recommendations, reform srtategies in the financial sector have been initiated to promote a diversified, competitive and market-oriented financial system subject to prudential regulation and supervision. Reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) has been made and the objective is to further reduce it to 25% over three years. The reduction is expected to make more funds available for lending to trade and industry. Cash Reserve Ratio (CRR) has also been reduced, therby releasing additional lendable resources. The interest rate structure has been rationalised with the reduction in the number of deposit rates and lending rates.

1.34 Reserve Bank of India (RBI) has issued guidelines to banks on new prudential norms relating to income recognition, classification of assets and provisioning for bad debts. Minimum capital standards have been specified in accordance with the internationally accepted Basle Committee norms. Indian banks, which have branches abroad, have to achieve unimpaired minimum capital fund equivalent to 8% of the aggregate risk weighted assets and other off balance-sheet exposures by 31st Mach, 1964. Other banks are required to achieve a capital adequacy norm of 4% by 31st March, 1993 and 8% by 31st March, 1966. Foreign banks operating in India were to achieve the 8% norm by 31st March, 1993. It has also been decided that the banks, which are in a position to do so, will be allowed to access the capital market to raise fresh equity to meet their shortfall in capital requirements over the next three years. While no guidelines have been issued by RBI for the financial institutions, it is expected that similar guidelines will be issued soon.

1.35 Recognising that entry of private sector banks would enhance competition and secure efficiency and low cost intermediation services for society at large, norms have been formulated and announced for establishment of new banks in the

private sector. Supervisory arrangements are also being strengthened by setting up a separate Board for financial supervision within RBI.

(ii) *Monetary and credit policy*

1.36 The overall monetary policy in 1992-93 continued to be restrictive to bring about a reduction in inflation, but there was some relaxation aimed at giving a stimulus to the productive sectors of the economy. The floor lending rate for advances of over Rs. 2.00 lakhs was brought down from 19% to 17% in two stages and has been brought down further to 16% in June, 1993. Banks were given freedom to fix the interest rates on Non-Resident External (Rupee) Account as also on domestic term deposits subject to caps of 12% and 11% respectively. Selective Credit Controls against cotton, kapas, vegetable seeds and oils were relaxed. A target of at least 10% of net bank credit was fixed for credit to exporters to be attained by banks by June, 1993. Interest rate on export credit were cut across the board by one percentage point. The SLR on net time and demand liabilities as on March, 1992, was reduced from 38.5% to 37.75% in a phased manner. A further one percentage point cut (to 36.75%) on the SLR was announced in April, 1993; the SLR would be brought down in four steps of 0.25% each, with the last step being made effective from November 13, 1993. However, for any increase in the net demand and time liabilities over the April 3, 1992 level, the SLR is prescribed at 30%. CRR was reduced from 15% to 14% in two steps, the second step was made effective on May 15, 1993.

1.37 The commercial banks would, henceforth, be permitted to rediscount export bills at rates linked to international interest rates. A new Foreign Currency Non-Resident Account (Banks would be introduced wherein the exchange risk would be borne by the banks instead of RBI. Foreign banks have been asked to meet the priority sector lending target by June, 1993; shortfall, if any, would have to be met by depositing an equivalent sum with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) at a rate of interest of 10% per annum. Further in future, the aggregate target for priority sector lending by foreign banks would be the same as for domestic banks but would include export credit. Foreign banks should attain priority sector lending including export credit of 32% by March, 1994.

(iii) *Monetary and credit trends*

1.38 There has been some moderation in monetary expansion in 1992-93. The rate of expansion of M3 (broad money) during the financial year 1992-93 was Rs. 41,817 crores (13.1%) as compared with an increase of Rs. 51,558 crores (19.3%) in 1991-92. The rate of expansion in M3 in 1992-93, was, however, substantially higher than the targeted growth rate of 10.4%.

1.39 The aggregate deposits of scheduled commercial banks during 1992-93, showed an increase of Rs. 36,389 crores (15.8%) as compared with an increase of Rs. 38,217 crores (19.8%) in 1991-92. Demand deposits showed a very small increase of Rs. 659 crores (1.5%) during 1992-93 as compared with a very large increase of Rs. 11,896 crores (35.8%) during 1991-92. During 1992-93, time deposits showed a very strong growth of Rs. 35,729 crores (19.2%) as compared with an increase of Rs. 26,321 crores (16.5%) in the preceding year.

(iv) *Capital market and investment scenario*

1.40 Alongwith the banking system reforms, parallel reforms were also initiated in the capital market. SEBI was given statutory status by promulgation of an Ordinance on the 30th January, 1992. The Capital Issues (Control) Act, 1947, under which the Government exercised control on the volume and pricing of capital issues was repealed and the Office of Controller of Capital Issues (CCI) was abolished. Permission was given to selected Indian companies to access the global capital market. SEBI commenced the regulation of the capital market and the regsitration of brokers, sub-brokers and dealers. Foreign Institutional Investors have been permitted to invest in Indian companies. Mutual funds and portfolio managers have been brought under the regulatory powers of SEBI.

1.41 The orderly functioning of capital markets necessitates improvements in the tracting system and procedural formalities to cope with increased volumes. Towards this end, the National Stock Exchange of India Ltd. was set up by the Financial Institutions and banks. RBI has proposed the establishment of a Securities Trading Corporation of India to provide a base for active secondary markets in Government dated securities and PSU bonds.

1.42 Steps were also taken to strengthen the market for Government securities through an upward revision in interest rates and the introduction of system of auction of securities. A refinancing facility for these securities was also provided. Auctioning of 91-day and new 364-day treasury bills has commenced.

1.43 After the office of the Controller of Capital Issues (CCI) was abolished, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) was made the regulatory body for the Stock Markets. SEBI gave freedom to these entering the market in the matter of pricing of issue instruments subject to adequate disclosure of information. This freedom was used by promoters of a large number of companies to price their equity issues at close to the high prevailing market prices. In many cases, the market price fell to below the issue price soon after subscription was closed. This had a dampening effect on investors confidence. As a consequence, the Stock Markets went into a prolonged slump.

PRICE SITUATION

1.44 The price situation improved considerably during 1992-93 with a gradual decline in the annual rate of inflation in the course of the year. The annual rate of inflation as measured by the Wholesale Price Index declined from 13.6% at the end of 1991-92 to 6.8% in March, 1993 and further to 6.1% in June, 1993. The decline was due largely to agricultural goods, both essential consumer goods and industrial inputs. Although prices of fertilisers and petroleum products were raised significantly, the increase in administered prices in 1992-93 was more moderate than in the previous two years. The average rise in Consumer Price Index for Industrial Workers came down to 9.6% during 1992-93, against 13.5% rise in 1991-92 and 11.6% rise in 1990-01. The principal factors, which have helped to contain inflation during the year, include strict control of fiscal deficit, liberalisation of imports, a tight monetary policy and relaxation of import compression measures to boost industrial production.

PROSPECTS (1993-94)

1.45 The year 1993-94 should be considered as a water-shed for the Indian economy. The sucess of the Eighth Plan will depend on the positive results of the liberalisation policy and the removal of contradictions in approach when seeking to eliminate bottlenecks. A better understanding of the implications of new developments may be possible in the 2nd year of the Plan, i.e. 1993-94. On a preliminary assessment, the economy appears to be poised for vigorous growth.

1.46 There has been a balanced growth of the agricultural sector in 1992-93 season. This has given rise to hopes for the subsequent years of the Eighth Plan period especially as the new agricultural policy under formulation, is expected to eliminate the remaining constraints on the farm sector. Foodgrains target of 210 million tonnes can be easily realised while the target of 23 million tonnes for oil-seeds and 140 lakh bales for cotton can be substantially achieved. The output of sugarcane and jute too can be steadily increased with proper relativities between prices for various competing crops. Since the food processing industries have been accorded high priority, and particularly those with export potential, emphasis should be on stabilising cultivation in rain-fed areas and raising yields in regions with assured irrigation facility.

1.47 Industrial output is expected to expand by around 4.5% during 1993-94. This would mark a small recovery from the 1.3% increase registered during 1992-93 and the 0.1% decline recorded during 1991-92. Investment activity is expected to revive in 1993-94. The floatation on the capital markets are projected to increase further to about Rs. 35,600 crores during 1993-94.

1.48 The Eighth Plan started on April 1, 1992 after a one year delay. Owing to the new approach to Plan objectives, it was only in May, 1992 that the total outlay of Rs. 7,98,000 crores as compared to Rs. 4,00,000 crores in the Seventh Plan could be finalised. The outlays for the public vis-a-vis the private sector have undergone a significant change as compared to past Plans as the share of the former is lower being 45.24% of the total. The private and joint sector will have a greater

role in the future even in the power, fertiliser, petro-chemical and other basic sectors and even in oil exploration and exploitation. However, the public sector will remain dominant in coal, iron-ore and non-ferrous metals. In manufacturing, the private sector will gain in importance with a share of 25% in fresh investment. However, in the energy sector even with the efforts to encourage the entry of private entrepreneurs, the public sector will continue to account for as mush as 90% of total outlay. In communications also, the public sector will be dominating with a share of 96%, though the manufacture of tele-communication equipment is being encouraged in the private sector.

1.49 The short term liquidity crisis in India's balance of payments has been overcome and international confidence restored. The improvement in the balance of payments situation during 1991-92, reflected in a substantial buildup of foreign exchange reserves, provided the under-pinning for further reforms and liberalisation in the external sector during 1992-93. A lasting solution to the payments problem would be to sustain and also strengthen the present momentum in export growth.

1.50 The Central Government's resolve to implement the economic reforms enshrined in its liberalisation policies is reflected in its discussion paper entitled 'Economic Reforms—Two Years After and the Task Ahead" containing the agenda for the next three years, which envisages a sharp cut in Central fiscal deficit from 5.6% in 1992-93 to 3% of GDP in 1996-97, an end to the monopolistic nature of the infrastructure sector and a complete ban on generalised loan waivers by banks and financial institutions. In this discussion paper, the Government has, inter alia, indicated the desire to reduce subsidies; implement a new approach to administered prices, further cut in Budgetary allocations to public sector undertakings, tighten expenditure control and complete the task of tax reforms.

1.51 The World Bank in its report entitled 'Global Economic prospects and the Developing Countries 1993', has opined that India would achieve an average growth rate of about 5% annually in the 1990s. It further says that the prospects of the country reaching a higher growth path would depend upon (i) the speed with which exports respond to the stimulus that has already been given and (ii) the speed with which the economy is able to take advantage of the incentives given.

2. OVERALL OPERATIONS

2.01 The year 1992-93 (April 1992 to June 1993) was a water-shed for IFCI. An Ordinance was promulgated by the Government on 1st October, 1992 to convert the Industrial Finance Corporation of India into a company so as to enable IFCI to access the capital market and reduce its dependence on Government guaranteed funds. The revised accounting norms for banks had also been issued by the Reserve Bank of India and similar guidelines for accounting standards to be followed by Financial Institutions were expected to follow. Consequently, an added thrust was given to quality of the proposals considered for financial assistance. In spite of this difficult scenario, during the 15 months' period in 1992-93 (April 1992 to June 1993), overall net sanctions of IFCI under its various schemes of assistance, aggregating Rs. 3714.10 crores in respect of 533 projects, were higher by 22.0% on annualised basis as compared to the net financial assistance of Rs. 2435.00 crores sanctioned during the previous year 1991-92 (April-March). Total disbursements during the period, aggregating Rs. 2463.93 crores were higher by 22.8% on annualised basis as compared to Rs. 1604.77 crores disbursed in the previous year. Table-1 gives the broad scheme-wise classification of assistance sanctioned and disbursed in 1992-93 (April-June), both under project finance and financial services and correspondingly, scheme-wise cumulative data as on the 30th June, 1993.

TABLE 1 : Scheme-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. Crores)

Scheme of Financing	(1992—93) (April—June)			Cumulative upto the 30th June, 1993		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Project Finance Related to projects only	368	2670.06 (71.9%)	1936.05 (78.6%)	3941	13533.10 (81.3%)	9278.38 (83.5%)
Sub Total (I)	368	2670.06 (71.9%)	1936.05 (78.6%)	3941	13533.10 (81.3%)	9278.38 (83.5%)
II Financial Services						
—Equipment Finance	62	237.69 (6.4%)	234.61 (9.5%)	362	1033.92 (6.2%)	722.53 (6.5%)
—Equipment Leasing	10	147.86 (4.0%)	32.83 (1.3%)	103	520.40 (3.1%)	274.31 (2.5%)
—Equipment Procurement	—	—	0.47 (—)	27	35.74 (0.2%)	26.71 (0.2%)
—Equipment Credit	64	129.15 (3.5%)	105.81 (4.3%)	226	603.89 (3.6%)	435.90 (3.9%)
—Supplier's Credit	3	20.00 (0.5%)	5.32 (0.2%)	36	61.05 (0.4%)	24.20 (0.2%)
—Buyer's Credit	29	407.64 11.0%)	51.60 (2.1%)	72	537.38 (3.2%)	100.52 (0.9%)
—Assistance to Leasing and Hire 'purchase concerns	18	95.90 (2.6%)	89.63 (3.7%)	74	313.63 (1.9%)	242.72 (2%)
—Instalment Credit	2	5.80 (0.1%)	7.61 (0.3%)	4	10.30 (0.1%)	7.81 (0.1%)
Sub-total (II)	188	1044.04 (28.1%)	527.88 (21.4%)	904	3116.51 (18.7%)	1835.70 (16.5%)
Grand Total (I+II)	556	3714.10 (100.0)	2463.93 (100.0)	4845 (100.0%)	16649.61 (100.0%)	11114.08 (100.0%)

Notes : (1) Actual no. of projects assisted during 1992-93 are 533 and as on the 30th June, 1993 are 4309. Some of the projects have received assistance under more than one Scheme.

2. Figure in bracket related to % to total.

2.02 Owing to an increase in merchant banking activities, there was moderate decline in sanctions of rupee loans for project finance, disbursements, however, increased by 14.3% on annualised basis under project finance. Sanctions under foreign currency loans increased by 19.9%, but disbursements thereunder, declined significantly since alternative sources of funds were available under Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS). Assistance sanctioned by way of underwriting and direct subscription recorded significant increase of 156.4% on annualised basis, indicative of the large amount of funds raised from capital market during the period under report.

2.03 Cumulatively, the aggregate sanctions accorded by IFCI under its various schemes, upto the end of June, 1993, amounted to Rs. 16,649.61 crores to 4,309 projects. The overall disbursements upto the 30th June, 1993, were of the order of Rs. 11,114.08 crores, of which, cash disbursements, i.e., disbursements excluding guarantees, were of the order of Rs. 10,636.34 crores. The total outstanding assistance portfolio as on the 30th June, 1993, was Rs. 8,815.58 crores.

Industry-wise Assistance

2.04 Industry-wise coverage of overall assistance sanctioned by IFCI during 1992-93 (April-June) and cumulatively upto the 30th June, 1993, is given in Table-2. Industries which claimed a significant share in IFCI's assistance during 1992-93 (April-June), were textiles (12.9%), petroleum refining (12.8%), electricity and gas (12.2%), iron & steel (10.7%), and chemicals & chemical products (9.6%). Petroleum refining entered IFCI's portfolio for the first time in 1992-93. Number-wise, textiles with 84 units was on the top followed by units relating to chemicals & chemical products (82), iron & steel (51), food products (30), hotel and tourism-related activities (27), cement (25), electronics (24), transport equipment 20), leasing & hire-purchase concerns (18), sugar (17), and electricity & gas (17).

TABLE 2 : Industry-wise coverage of Assistaneee

(Rs. Crores)

Industry	(1992—93) (April—June)			Cumulative upto the 30th June, 1993		
	No. of projects	Amount sanctioned (Rs.)	% of the total	No. of projects	Amount sanctioned (Rs.)	% of the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar						
—Co-operative	5	21.95	0.6	231	430.00	2.6
—Others	12	19.47	0.5	111	297.54	1.8
—Misc. Food Products	30	77.67	2.1	159	395.61	2.4
Textiles	84	478.67	12.9	783	2036.05	12.2
Chemicals						
—Basic Chemicals	45	140.16	3.8	224	777.28	4.7
—Fertilizers & Pesticides	5	114.94	3.1	80	739.98	4.4
—Synthetic Fibres	11	165.64	4.5	76	958.52	5.8
—Synthetic Resins, Plastic materials and Products	9	21.31	0.6	135	739.52	4.4
—Other Chemicals & Chemical & Products	37	216.45	5.8	234	779.57	4.7
Cement and Cement Products	25	192.87	5.2	163	1059.40	6.4
Paper and Paper Products	11	78.73	2.1	133	560.01	3.4
Rubber Products	13	54.97	1.5	61	271.28	1.6
Iron & Steel	51	396.44	10.7	296	1675.93	10.1
Machinery & Accessories	15	57.98	1.6	234	531.93	3.2
Transport Equipment & Parts.	20	133.01	3.6	173	636.26	3.8
Electronics	24	191.35	5.1	199	846.79	5.1
Electrical Machinery & Appliances	10	31.06	0.8	128	220.25	1.3
Metal products	3	34.24	0.9	118	258.53	1.6
Non-Ferrous Metals	6	9.43	0.3	49	149.28	0.9
Misc. Non-Metallic Mineral Products	15	69.68	1.9	122	356.43	2.1
Gas & Electricity	17	452.66	12.2	40	914.14	5.5
Hotel & Tourism related activities	27	54.54	1.4	158	328.75	2.0
Medical & Health Services	7	31.69	0.8	34	115.69	0.7
Petroleum Refining	2	474.42	12.8	2	474.42	2.8
Mining	5	16.03	0.4	38	147.50	0.9
Fishing	2	9.81	0.3	3	26.59	0.1
Leasing	18	95.90	2.6	74	314.53	1.9
Other industries	24	73.03	1.9	251	607.83	3.6
Total	533	3714.10	100.0	4309	16649.61	100.00

2.05 Industry-wise distribution of assistance sanctioned during 1992-93 (April-June) as also cumulative assistance as on the 30th June, 1993, according to the use-based classification of products is given in Table-3. Compared with the previous year, intermediate goods industries, consumer goods industries and service industries in IFCI's assistance portfolio did not show improvement in 1992-93. However, assistance to basic industries and capital goods industries was higher by 82.7% and 32.9% respectively than that of the previous year.

TABLE : 3 Industry-wise Distribution of Assistance According to Use-based Classification of Products.

(Rs. Crores)

Industry	(1992—93) (April—June) No. of projects	Amount Santioned (Rs.)	% of the total	Cumulative upto the 30th June, 1993 No. of projects	Amount Sanctioned (Rs.)	% of the total
Basic Industries (viz., basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilizers, cement, mining, power generation etc.)	156 (128)	1796.95 (786.86)	48.4 (32.3)	892 (828)	5937.93 (4140.98)	35.7 (32.0)
Capital Goods Industries (viz., machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.,)	69 (73)	413.40 (248.79)	11.1 (10.2)	734 (710)	2235.23 (1821.81)	13.4 (14.1)
Intermediate Goods Industries (viz., chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes, etc ,)	94 (92)	593.63 (448.06)	16.0 (18.4)	827 (782)	3662.19 (3068.51)	22.0 (23.7)
Consumer Goods Industries (viz., sugar, other food products, cotton/woolen textiles paper and other miscellaneous industries)	157 (204)	722.58 (789.53)	19.5 (32.4)	1544 (1474)	3962.87 (3240.33)	23.8 (25.1)
Services Industries (vis. hotels, medical services, shipping, etc.	57 (68)	187.54 (161·76)	5.0 (6.7)	312 (294)	(851.39 (663 86)	5·1 (5 1)
Total	553 (565)	3714.10 (2435.0)	100.0 (100.00)	4309 (4088)	16649.61 (12935.49)	100.0 (100.0)

Note: Figures in brackets related to the previous year 1991-92 as on the 31st March, 1992.

State-wise Assistance

2.06 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1992-93 and cumulatively upto the 30th June, 1993, is set out in Table-4. During the period under report, quantum-wise, the States of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Punjab and Tamilnadu claimed first six positions in IFCI's sanctioned assistance portfolio.

Table 4 : State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. Crores)

State/Union Territory	(1992-93 (April—June) No. of projects	Amount Sanctioned (Rs.)	% of the total	Cumulative upto the 30th June, 1993 No. of projects	Amount Sanctioned (Rs.)	% of the total
Andhra Pradesh	48	172.85	4.7	408	1380.92	8.3
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0.16	—
Assam	—	—	—	39	116.08	0.7
Bihar	9	42.71	1.2	85	231.39	1.4
Goa	4	7.01	0.2	31	83.72	0.5
Gujarat	51	938.88	25.3	397	2720.78	15.7
Haryana	32	204.60	5.5	197	621.74	3.7
Himachal Pradesh	14	104.66	2.8	60	353.69	2.1
Jammu & Kashmir	3	1.16	—	23	29.82	0.2
Karnataka	26	244.61	6.6	266	795.88	4.8
Kerala	8	26.74	0.7	104	192.04	1.2
Madhya Pradesh	34	417.24	11.2	213	1171.41	7.0
Maharashtra	84	429.38	11.6	744	2522.12	15.2
Manipur	—	—	—	1	2.45	—
Meghalaya	—	—	—	6	7.96	0.1
Nagaland	—	—	—	4	2.60	—
Orissa	12	43.94	1.2	84	408.71	2.5
Punjab	33	239.00	6.4	209	919.77	5.5
Rajasthan	44	146.79	4.0	197	886.39	5.3
Sikkim	1	Amount accounted for in HP		4	2.96	—
Tamilnadu	44	224.68	6.0	423	1187.11	7.1
Tripura	—	—	—	3	4.41	—
Uttar Pradesh	51	208.73	5.6	450	1741.84	10.5
West Bengal	14	73.39	2.0	226	822.63	5.0
Andaman & Nicobar Islands	1	1.29	—	1	2.71	—
Chandigarh	1	0.50	—	7	11.34	0.1
Dadra & Nagar Haveli	1	0.25	—	11	19.09	0.1
Daman & Diu	—	—	—	5	6.12	—
Delhi	15	176.99	4.8	77	424.33	2.5
Pondicherry	3	8.70	0.2	33	79.44	0.5
Total	533	3714.10	100.0	4309	16649.61	100.0

Sector-wise Assistance

2.07 The sector-wise classification of projects and assistance sanctioned as well as disbursed both during 1992-93 and cumulatively upto the 30th June, 1993, is given in Table-5. During 1992-93, assistance to the extent of Rs. 64.17 crores, which formed 1.7% of the total assistance, was sanctioned to 18 projects in the *co-operative sector*. The number of industrial cooperatives assisted during the period included 5 sugar cooperatives, two textile cooperatives, 11 other co-operatives pertaining to basic industrial chemicals and synthetic fibres. Cumulatively, upto the 30th June, 1993, IFCI had sanctioned assistance aggregating Rs. 773.50 crores to 369 industrial cooperatives, against which Rs. 610.20 crores had already been disbursed.

TABLE 5 : Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed.

(Rs. Crores)

Sector	(1992—93) (April—June)		Cumulative upto the 30th June, 1993		
	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)	No. of projects	Sanctions (Rs.)	Disbursements (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Co-operative	18	64.17	72.38	369	773.50	610.20
		(1.7%)	(2.9%)		(4.6%)	(5.5%)
Sub-total (1)	18	64.17	72.38	369	773.50	610.20
			(1.7%)	(2.9%)	(4.6%)	(5.5%)
II. Corporate Private	462	2775.66	2058.37	33.3	12629.52	8555.94
		(74.8%)	(83.6%)		(75.9)%	(77.0%)
Public	24	527.41	108.70	328	1462.25	751.18
		(14.2)%	(4.4%)		(8.8%)	(6.7%)
Joint	29	346.86	224.48	309	1784.34	1196.76
		(9.3%)	(9.1%)		(10.7%)	(10.8%)
Sub-Total	515	3649.92	2391.55	3940	15876.11	10503.88
		(98.3%)	(97.1%)		(95.4%)	(94.5%)
Grand Total (I+II)	533	3714.10	2463.93	4309	16649.61	11114.08
		(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)

Note : Fgures in brackets indicate percentage to the total.

2.08 In the corporate sector, the private sector, claimed assistance of the order of Rs. 2,775.66 crores (74.8%) of the total for 462 projects during the period under report. The assistance to 24 public sector projects (not covered by the Budgetary support of Government) amounted to Rs. 527.41 crores and formed 14.2% of the total. With regard to the joint sector projects, the sancions were of he order of Rs. 346.86 crores (which constitute 9.3% of the total assistance) to only 29 joint sector projects. Thus, the overall assistance to corporate sector, comprising private, public and joint sectors, during the period, aggregated Rs. 3649.93 crores to 515 projects. Cumulatively, that assistance aggregated Rs. 15,876.11 crores (95.4% of the total), against which the disbursements effected, were of the order of Rs. 10,503.88 crores.

ASSISTANCE TO BACKWARD AREAS

2.09 During the period, IFCI's assistance to projects in centrally notified backward districts/areas amounted to Rs. 1642.80 crores in respect of 241 projects, which constituted 44.2% of the total assistance sanctioned. Cumulatively, upto the 30th June, 1993, IFCI had sanctioned financial assistance aggregating Rs. 7,891.27 crores to 1963 projects located in notified backward districts/areas, which constituted 47.4% of IFCI's overall net cumulative sanctions. The disbursements against these sanctions upto the 30th June, 1993, had been of the order of Rs. 5,379.76 crores.

PROJECT FINANCE

2.10 The project finance sanctions for the period under report amounted to Rs. 2670.06 crores to 368 projects and the disbursements amounted to Rs. 1936.05 crores. On annualised basis, project finance sanctions and disbursements were higher by 21.3% and 23.8% respectively in comparison to that of the previous year. Facility-wise classification project finance is given in Table-6.

TABLE 6 : Facility-wise Classification of Project Finance

(Rs. Crores)

Facility	(1992-93) (April—June)		Cumulative upto the 30th June, 1993	
	Sanctions	Disburse-ments	Sanctions	Disburse-ments
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Project Finance				
—Rupee Loans	1450.86 (54.4%)	1252.36 (64.7%)	9234.81 (68.2%)	6905.21 (74.4%)
—Foreign Currency Loans	256.87 (9 6%)	256.80 (13 3%)	2149.29 (15 9%)	1562.30 (16·9)%
—Underwriting & Direct Subscription	591.06 (22·1%)	140.50 (7·2%)	1352.18 (10·0%)	336.18 (3 6%)
Guarantees				
—For Deferred Payments	347.87 (13.0%)	124.04 (6.4%)	595.51 (4.4%)	262.17 (2.8%)
—For Foreign Loans	23.40 (0.9%)	162.35 (8.4%)	201.31 (1.5%)	212.52 (2.3%)
Total	2670.06 100·00	1936.05 (100.00)	13533.10 (100.00)	9278.38 (100.00)

Note : Figures in brackets indicate percentage to the total.

2.11 Out of the total project finance assistance sanctioned by IFCI in 1992-93 (April-June), Rs. 1565.87 crores was claimed by 145 new projects. Of these, 2 projects had a capital outlay upto Rs. 3 crores; 6 projects individually had a capital outlay between Rs. 3 crores and Rs. 5 crores; 16 projects were in the capital outlay range of Rs. 5 crores to Rs. 10 crores; 36 projects had a capital outlay between Rs. 10 crores and Rs. 20 crores; and 85 projects were those where capital outlay per project, was above Rs. 20 crores.

2.12 Out of the 223 existing projects claiming an assistance of Rs. 1104.19 crores, 56 projects claimed assistance of the order of Rs. 430.65 crores for their expansion and diversification programmes, 53 projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 207.35 crores for their modernisation programmes and 114 projects were those which claimed assistance aggregating Rs. 466.19 crores for meeting the cost of either balancing equipment or project overrun, etc.

2.13 Some of the special characteristics of IFCI's assistance under project finance in 1992-93, were as under :—

— Out of 145 new projects assisted, 8 projects were those, which were promoted by first generation entrepreneurs. These claimed assistance of the order of Rs. 67.32 crores.

— Assistance of the order of Rs. 474.42 crores was provide to 2 petroleum refinery units for the first time by IFCI.

— Assistance aggregating Rs. 452.66 crores was provided to 17 units engaged in generation of electricity and gas.

— Assistance aggregating Rs. 54.54 crores was provided to 27 hotel and other tourism-related projects.

— Export-oriented projects with substantial export obligation totalled 46: the financial assistance being of the order of Rs. 609.92 crores.

— Forty-nine projects sanctioned assistance of the order of Rs. 771 49 crores, were those which involved foreign collaboration and/or technology transfer from abroad, Country-wise collaborations were : Japan 10, USA 10, Germany 7, Italy 4, Australia 3, Holland 2, UK 2, Taiwan 2, Korea 2, Sweden 2, Austria 1, Singapore 1, France 1, Switzerland 1, Finland 1, Czechoslovakia 1, Spain 1, China 1, Russia 1 and Belgium 1.

FINANCIAL SERVICES

2.14 While project finance has been the sheet anchor of IFCI's business right from inception, its entry into the area of financial services began, essentially, in the year 1986-87. Within a span of 7 years, the Merchant Banking & Allied Services Department (MBASD) of IFCI was able to establish itself well by diversifying its activities, both fund-based and non-fund-based, apart from introducing the number of schemes under the Financial Services like Equipment Leasing, Equipment Procurement, Equipment Credit, Suppliers' Credit, Buyers' Credit, Finance to Leasing & Hire Purchase concerns, Instalment Credit, etc. MBASD also intensified its activities in the area of project counselling, loan syndication and debenture trusteeship assignments, etc. It has been granted registration as a Category I Merchant Banker by the Securities & Exchange Board of India.

2.15 During 1992-93 (April-June, while net sanctioned under Financial Services at Rs. 1044.04 crores were higher by 23.8% on annualised basis over the net sanctions during 1991-92, the disbursements under Financial Services at Rs. 527.88 crores were higher by 19.4% on annualised basis over the disbursements in the previous year. The share of Financial Services in the total sanctions and disbursements during the period, worked out to 28.1% and 21.4% respectively. There was decline in sanctions under Equipment Finance, Equipment Credit and Instalment Credit Schemes. In other Schemes, there was moderate growth; under Equipment Leasing, the growth was 38.3% and under Buyers' Credit, it was as high as 828.6%. On the other hand, there was growth in disbursements under all the Schemes except under Equipment Leasing, Equipment Procurement, Equipment Credit and Supplies Credit schemes.

2.16 During the period under report, MBASD alongwith its Bureau at Bombay, handled 160 merchant banking assignments, of which, 62 related to issue management services, 72

to project counselling/appraisal and 26 to debenture trusteeship. The issue management assignments helped mobilisation of funds of the order of Rs. 1085.67 crores. Cumulatively, IFCI's MBASD had handled, since inception in July, 1986 and upto the 30th June, 1993, as many as 525 assignments, which included 247 public issues, helping in the mobilisation of the funds of the order of Rs. 3,074.16 crores.

Flow of Applications

2.17 Under project finance, IFCI handled, during the period under report, applications (inclusive of those under the Equipment Finance Scheme) from 399 eligible concerns for an aggregate assistance of Rs. 8,181.70 crores, either on its own or on joint financing basis. Applications from 9 concerns for an aggregate assistance of Rs. 348.76 crores were either withdrawn by the applicants or treated as closed for want of progress or lack of viability of the proposed projects. As at the close of June, 1993, applications from 28 concerns (5 on joint financing basis) under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 493.72 crores were pending, as they were at different stages of processing. Other applications from 362 concerns were sanctioned assistance during the period; the disposal in 97.05% cases, having been made in less than 4 months' time from the date of receipt of complete information and data.

2.18 In respect of its schemes under the Financial Services, IFCI processed applications for assistance from 193 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,245.14 crores. Out of these, applications from 121 concerns were sanctioned assistance under variegated schemes encompassing financial services being provided by IFCI. Applications from 63 concerns were treated as withdrawn because of lack of eligibility and/or other related factors, and, as at the end of June, 1993, applications from 9 concerns for aggregate assistance of Rs. 32.59 crores were pending with IFCI.

Funding Pattern of Projects assisted by IFCI (1992-93)

2.19 IFCI's operations in 1992-93 (April-June) according to a study made of the funding pattern of 335 projects (excluding cases of sanctions of additional assistance for financing purely overrun in the cost of projects, etc.) reveal that IFCI's assistance would be able to catalyse an investment of Rs. 18,522.62 crores as per details given in Table 7.

TABLE 7 : Funding Pattern of Projects assisted by IFCI 1992-93 (April-June)

(Rs. Crores)

Financing Pattern	New Projects	Expansion/ Diversification Projects	Modernisation Projects	Assistance for rehabilitation, balancing equipment etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of Projects	145	56	53	81	335
I. Promotors contribution					
—Share Capital	1253.61 (9.0)	28.34 (1.4)	61.63 (4.0)	10.06 (1.1)	1353.64 (7.3)
—Unsecured subordinated loans	361.20 (2.6)	3.76 (0.2)	3.04 (0.2)	7.27 (0.8)	375.27 (2.0)
—Internal accruals etc.	462.11 (3.3)	126.91 (6.1)	113.42 (7.3)	99.09 (10.5)	801.53 (4.3)
II. Assistance by term lending Institutions viz. IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
—Loans & Advances	2230.20 (16.0)	763.80 (36.6)	272.33 (17.5)	331.81 (35.1)	3598.14 (19.5)
—Equity Support	1367.14 (9.8)	159.97 (7.7)	73.84 (4.7)	104.18 (11.0)	1705.13 (9.2)
III. Assistance by Investment Institutions viz. LIC, GIC & UTI					
—Loans & Advances	160.81 (1.2)	18.40 (0.9)	42.50 (2.7)	1.20 (0.1)	222.91 (1.2)
—Equity Support	22.43 (0.2)	45.00 (2.2)	5.00 (0.3)	4.63 (0.5)	77.06 (0.4)
IV. Assistance by Banks					
—Term Finance	256.78 (1.8)	29.91 (1.4)	12.20 (0.8)	3.01 (0.3)	301.90 (1.6)
—Equity Support	4162.43 (29.9)	153.30 (7.3)	276.10 (17.7)	64.35 (6.8)	4656.18 (25.1)
V. Assistance by State-level Institutions					
—Term Finance	4.54 (—)	1.20 (—)	—	—	5.74 (—)
—Equity Support	52.08 (0.4)	6.00 (0.3)	18.94 (1.2)	28.93 (3.0)	105.95 (0.6)
VI. Rights Issues	1496.39 (10 7)	734.34 (35.2)	670.27 (43.0)	261.26 (27.6)	3162.26 (17.1)
VII. Deferred Payments	779.40 (5.6)	12.00 (0.6)	—	5.55 (0.6)	796.95 (4.3)
VIII. Loans from Foreign Institutions	714.40 (5.1)	—	—	—	714.40 (3.9)
IX. Others	609.71 (4.4)	2.95 (0.1)	8.47 (0.6)	24.43 (2.6)	645.56 (3.5)
Total	13933.23 (100.0)	2085.88 (100.0)	1557.74 (100.0)	945.77 (100.0)	18522.62 1(00.0)

Notes : 1. Equity support includes underwritting assistance as also direct subscriptions.
2. Figures in brackets denote percentages to the total.
3. The above does not account for the cases of Overrun Finance and Financial Services. (excluding Equipment Finance).

Sanctions accorded in the Public Interest

2.20 During the period under report, there was no case, where because of Directors of IFCI being interested, in terms of Section 26(2) of the IFC Act, 1948 (as amended from time to time), IFCI sanctioned any assistance in public interest in terms of Industrial Finance Corporation (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

Capital Market Operations Investment Portfolio

2.21 IFCI's investment portfolio consists of investments made in the assisted concerns arising from (a) acquisition of shares pursuant to underwriting obligation, (b) direct subscription to shares, wherever agreed upon, (c) exercise of convertibility options, (d) bonus shares issue, (e) subscription to rights shares, (f) conversion of convertible portion of debentures, and (g) conversion of overdue interest into shares/debentures in the case of sick potentially sick cases. IFCI, not being an Investment Institution, endeavours to liquify its investments, as far as possible, over a period of time. Sales are made in small lots in the open market through empanelled stock/shares brokers of recognised Stock Exchanges, wherever the companies are listed on the Stock Exchanges and where Trading has been taking place normally. At times, sales have been made in bulk quantity to UTI/mutual funds, etc., within the Government guidelines.

2.22 During the 15 months' period upto the 30th June, 1993, 59 issues of concerns, whose shares and debentures had been underwritten by IFCI for Rs. 89.18 crores in aggregate, were placed on the market. The shares and debentures, which devolved on IFCI, pursuant to its underwriting obligation, amounted to Rs. 21.57 crores. In addition, IFCI subscribed to equity shares of the order of Rs. 14.32 crores, preference shares of Rs. 0.52 crore and debentures of Rs. 108.54 crores in respect of 79 companies, against the sanctions relating to direct subscriptions.

2.23 During the period, IFCI acquired shares/debentures of the value of 140.50 crores and sold off its investments of the face value of Rs. 22.67 crores. The average return on equity shares worked out, for the period, to 7.32 times. Component-wise IFCI's investment as at the end of June, 1993, was 58.04% in equity shares (Rs. 170.88 crores), 2.56% in preference shares (Rs. 7.53 crores) and 39.40% in debentures (Rs. 116.02 crores).

Rehabilitation Programmes

2.24 In terms of provisions of Section 15 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA), 126 concerns under the lead of IFCI, were registered with the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR) as on the 30th June, 1993. In addition thereto, IFCI had been appointed as the Operating Agency in respect of 20 non-lead/non-assisted concerns, making an aggregate of 148 cases. Against these, IFCI was expected to carry out viability studies/submit reports as Operating Agency/lead institution in respect of 120 cases. Upto the end of June, 1993, IFCI had submitted reports in respect of 91 cases, of which, 10 were submitted during the period under report. As at the end of June, 1993, IFCI had 29 cases for detailed investigation as Operating Agency/lead institution. Of 91 cases, where reports had been submitted by IFCI upto the 30th June, 1993, final decision had been taken by BIFR in 69 cases involving sanction of rehabilitation schemes in 46 cases and recommending winding up in 23 cases. In the remaining 22 cases, as on the 30th June, 1993, the hearings of BIFR were at different stages, and were yet to be concluded. In all, during the period, 138 hearings were held by BIFR in respect of IFCI-lead cases and non-lead/non-assisted cases in which IFCI had been appointed as Operating Agency.

2.25 These apart, in 4 cases, viability studies/revival plans had been worked out by IFCI under the aegis of BIFR, but not as Operating Agency. The expertise of IFCI was also made available to BIFR in scrutinising/reshaping the schemes for revival of certain non-assisted sick unit as well.

2.26 In respect of non-BIFR cases, i.e., the cases not covered by the provisions of SICA, formulation and designing of rehabilitation packages were done in the background of parameters laid down by the Reserve Bank of India in close collaboration with the involved financial institutions and banks. The rehabilitation measures recommended/contemplated in respect of sick units covering wide spectrum comprising modernisation, expansion, diversification, balancing etc. IFCI also continued to be closely involved with the rehabilitation efforts made by other financial institutions in respect of their lead cases.

2.27 The period under report also witnessed turnaround by a few units, which were under nursing programme of IFCI. In addition, certain proposals for mergers/take overs as a part of the rehabilitation programme, were being monitored by IFCI.

Excise Relief to Weak Industrial Units

2.28 The Empowered Committee of the Government of India had sanctioned excise loan amounting to Rs. 38.33 crores to 15 IFCI-lead cases under the Scheme for Excise Relief for Weak Industrial Units, against which an aggregate sum of Rs. 2448.84 lakhs (Rs. 778.37 lakhs during 1992-93) had been released by the Central Government upto the 30th June, 1993. The Central Government has since abolished the scheme with effect from the 18th March, 1993.

Operational Developments

Revision in interest rates

2.29 IFCI, alongwith other term-lending institutions, revised its interest rates on project loans downward twice during the period under reports. The band of interest rates on project loans was reduced :

Upto 18th Nov., 1992 : 18% to 20%

w.e.f. 19th Nov., 1992 : 17.5% to 19.5%

w.e.f. 15th March, 1993 : 17% to 19%

Within the band, interest rates charged are in accordance with the perceived risk and credit worthiness of the borrower.

Exposure Limits

2.30 As a prudential measure, aimed at better risk management and avoidance of concentration of credit risk, IFCI keeps its exposure limits to any single company within 25% of IFCI's networth. The exposure to any single 'Business Group' is kept within 50% of IFCI's networth, while total exposure to any specific industry does not exceed 15% of IFCI's outstanding direct assistance.

Prioritisation Norms for Lending

2.31 Pursuant to the announcement of the new Industrial Policy on the 24th July, 1991, by the Central Government a major deregulation of the domestic industrial sector was introduced. Consequently, the Central Government has withdrawn the guidelines to financial institutions including IFCI giving priority to various industries for granting loans.

2.32 The Central Government has, inter alia, given certain pointers to the financial institutions including IFCI as to the manner in which the latter can support the country's exports more strongly, viz., adopting of company specific focus, supporting technology upgradation, ensuring—global competitiveness, providing short term export finance, etc.

2.33 During the year, the Central Government permitted IFCI under the IFC Act, 1948, the financing of industrial concerns engaged/to be engaged in the development, maintenance and construction of roads.

Market Evaluation Studies

2.34 With a view to facilitating investment decisions, as many as 20 market evaluation studies were conducted during the year. Special mention, in this regard, may be made of industry studies relating to caustic soda and chlorine, terry towels, tractors, sorbitol, polypropylene multi filament yarn, pigiron, epichlorohydrin, air brakes, seamless tubes, sponge iron, BOPP films, sea prawn and prawn culture, ABS laminations, specialised milk products, tomato pastes, highly concentrated active detergent materials.

Nominee Directors

2.35 Government and institutional guidelines with regard to the appointment of nominee directors, continued to be followed by IFCI. IFCI appointed 380 Nominee Directors on the Boards of 995 assisted concerns, of which, 181 were officials and 199 non-officials. The Nominee Directors' Cell, set up in IFCI, is headed by an Executive Director with other officers at the supporting level. Besides three senior executives at Head Office, officer(s) from each of the Regional/ Branch Offices of IFCI, have been designated as the members of the Nominee Directors' Cell for attending to the various tasks assigned to it.

Coordination with Banks and Financial Institutions

2.36 Coordination between banks and financial institutions continued to become more active in terms of the forum of Standing Coordination Committee and the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. The system of exchange of information about common clients of banks and financial institutions on reciprocal basis also deepened further.

Interface with Government

2.37 IFCI continued to have interface as well as interaction with various Ministries and Departments of the Government of India. It has also represented on various Committees/ Working Groups constituted by the Government of India, Reserve Bank of India and IDBI, from time to time.

3. Resources, Financial Management and Review.

Mobilisation of rupee resources

3.01 During the 15 months' period ended the 30th June, 1993, the total Rupee resources mobilisation by IFCI was Rs. 2,212.74 crores (excluding its opening Rupee cash balance of Rs. 235.35 crores). The period under review, remained by and large, a difficult year in the matter of mobilisation of resources; the silver lining in an otherwise sombre situation in the resource mobilisation was the Rupee fund assistance provided by sister institutions, like LIC, GIC, and UTI Recourse was also made to Certificates of Deposit (CDs) for the first time in IFCI. The overall support lent by Government and the Reserve Bank of India (RBI) was also helpful as well as encouraging.

3.02 Major highlights with regard to raising the Rupee resources on the domestic front during the period under report, were as under :

— Raising of additional share capital aggregating Rs. 60 crores;

— Accretion to reserves of the order of Rs. 107.86 crores;

— Increased receipts on account of (a) repayment of loans by borrowers and (b) sale/redemption of investments aggregating Rs. 759.31 crores;

— Augmentation of Rupee resources by 3 public issues of bonds (62nd, 63rd and 64th series made on the 14th September, 1992, 8th October, 1992 and 28th January, 1993) in the aggregate sum of Rs. 518.06 crores;

— Augmenting Rupee resources by issue of Certificates of Deposits (CDs) to the extent of Rs. 200 crores;

— Rupee borrowing aggregating Rs. 400.00 crores raised from Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India and General Insurance Corporation and its subsidiaries. The rate of interest on such borrowings was within the range of 16.5% to 17.5%;

— Increased receipt of the order of Rs. 19.00 crores under Interest Differential Funds from the Government of India.

Utilisation of Rupee Resources

3.03 The utilisation of Rupee resources was towards making cash disbursements of the order of Rs. 1,839.63 crores against the sanctioned assistance, repayment of loans to IDBI—Rs. 112.35 crores, repayment of loans to the Central Government—Rs. 0.72 crore, payment of dividend—Rs. 34.79 crores, discharge of provisioning for tax liability—Rs. 25.00 crores and other uses aggregating Rs. 554.71 crores. The rupee cash balance as at the close of the year was Rs. 179.27 crores.

Mobilisation of Foreign Currency Resources

3.04 During the period under report, IFCI contracted Securitised Line of Credit of US $ 50 million from Chemical Bank, USA guaranteed by US EXIM Bank, SFR 10 million from Union Bank of Switzerland, Zurich and a DM Line of Credit of DM 25 million from Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KfW), Germany.

3.05 Overall subsisting foreign currency resources of IFCI as at the close of the period ended the 30th June, 1993, consisted of—

— borrowings from KfW of Germany vide 25th and 26th DM Lines of Credit aggregating DM 105.00 million;

— Line of Credit of US $ 150 million from Asian Development Bank, Manila;

— External commercial borrowings raised in US $ from the international capital market aggregating US $ 255.00 million and Yen 37 billion, in all aggregating US $ 602 million;

— Export credits of DM 50 million from Berliner Hendels Und Frankfurter Bank, Germany, US $ 50 million from Export Import Bank of the United States (US EXIM Bank) and Francs 10 million each from Credit Suisse, Switzerland and Union Bank of Switzerland, Zurich, respectively.

Utilisation of Foreign Currency Resources

3.06 Against the above foreign currency resources, IFCI had committed upto the 30th June, 1993, sub-loans under foreign currencies equivalent to Rs. 3248.82 crores. The actual disbursement of foreign currency sub-loan upto the 30th June, 1993 had been equivalent to Rs. 1,716.93 crores, of which, the disbursement during 1992-93 (April-June) were of the order of Rs. 337.91 crores.

3.07 During the period, the actual aggregate borrowings in foreign currencies were equivalent to Rs. 208.84 crores and the repayment of foreign currency borrowings was equivalent to Rs. 319.57 crores. The net outstanding borrowings in foreign currencies as on the 30th June, 1993, were of the order of Rs. 3294.05 crores as against Rs. 3341.37 crores (on revalued basis at the rate prevailing on the 30th June, 1993) as on the 31st March, 1992.

Exchange Risk Administration Scheme

3.08 The two stage exchange rate adjustments in July, 1991, the introduction of Liberalised Exchange Rate Management System (LERMS) in March, 1992 and modified LERMS in March, 1993, have had a significant impact on the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS). Disbursements against the loan agreements executed earlier, however, continued and an amount of Rs. 84.55 crores was disbursed during the period under report. After a review of ERAS, it was decided to discontinue disbursements from May 1, 1993. During the period, the composite cost band under ERAS remained at 23-26% per annum with the applicable rate of interest also unchanged at 26% per annum.

Sources and Uses of Funds (Cumulative)

3.09 The aggregate resources of IFCI, since inception and upto the 30th June, 1993, amounting to Rs. 13,930.49 crores consisted of its share capital, internal generations, external commercial borrowings, foreign credits, borrowings from Government and other institutions and market borrowings. These had been utilised of Rupee disbursements of the order of Rs. 8,919.41 crores, foreign currency disbursements of Rs. 1,716.63 crores and investments, redemption of bonds, repayment to Government and Indian financial institutions, foreign credit repayments, provision for payment of dividend, other uses and tax.

Resources Outlook

3.10 Continued decline in the availability of concessional funds over the years as also the changes in the past several months, in the financial sector, have compelled IFCI to raise

resources largely from the market. However, the IFC Act, 1948 forbids IFCI's access to the market, except when backed by a Government guarantee, and thereby prevents it from raising resources on competitive terms. To deal with such situation, the Industrial Finance Corporation (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993 was passed on the 2nd April, 1993, and IFCI stands converted into a company under the Companies Act, 1956, with effect from the 1st July, 1993, as referred to in para 1.02 supra. Conversion of IFCI into a company would, inter alia, enable IFCI to enter the capital market for resources through debt and equity instruments.

Contribution to National Exchequer

3.11 In terms of Section 40 of IFC Act, 1948, IFCI is liable to pay income tax (and super tax, if any) on its income, profits and gains like any other company in the private corporate sector. Even the Income Tax Act, 1961 does not make any distinction between IFCI and any other company for the purpose of computing taxable income, except that the deductions are permissible under the Income Tax Act, 1961, out of the total income in respect of—

— Special Reserve Credit in terms of Section 36(1)(viii) to the extent of 40% of the total income before making any deductions so long as the amount so carried to such Reserve, does not exceed twice the amount of the paid-up share capital (excluding the amount mobilised from reserves) and

— Inter-corporate dividends to the extent of only 60% of the income by way of dividends from other domestic companies in terms of Section 80M of the Act.

3.12 During the 45 years of its existence, IFCI has paid to the National Exchequer by way of tax, a sum of Rs. 280.90 crores, which is more than its enhanced paid-up share capital of Rs. 202.50 crores.

Statement of Accounts

3.13 IFCI's statement of accounts comprising the Balance-Sheet as at the 30th June, 1993 and the Profit & Loss Account for the period 1st April, 1992 to 30th June, 1993, giving alongside the figures for the previous year, are given at the end. The salient features of the working results and financial position of IFCI, are however, discussed below.

Working Results

3.14 The working results of IFCI for the 15 months' period ended the 30th June, 1993, show a pre-tax profit of Rs. 167.90 crores as against Rs. 121.75 crores for the year ended the 31st March, 1992, registering an increase of 10.3% on annualised basis. The net profit for the year, after providing Rs. 25.00 crores for taxation, works out to Rs. 142.90 crores as against the last year's net profit of Rs. 94.25 crores showing an increase of 21.3% on annualised basis.

3.15 It might be highlighted here that while guidelines have been issued by the reserve Bank of India to commercial banks in the matter of income recognition, provision for doubtful debts etc., the Financial Institutions are yet to be covered under these guidelines. However, as a measure of prudent policy, IFCI, in line with the guidelines has not taken credit for interest and other dues in respect of (a) decreed debts, (b) where suits have been filed, (c) where loans have been recalled, (d) where possibility of recovery has been considered remote and (e) where interest has been overdue for four consecutive quarters and parties have not made payments within 30 days thereafter. The income in such cases would be accounted for as and when received and appropriated as per the policy consistently followed by IFCI.

3.16 IFCI, during 15 months period ended the 30th June, 1993 had made provisions by way of write-offs in respect of principal and interest amounting to Rs. 119.73 crores against Rs. 107.73 crores during 1991-92.

Appropriations

3.17 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in Table 8.

3.18 During the period ended the 30th June, 1993, IFCI has been able to transfer to its reserves a sum of Rs. 107.86 crores towards its General Reserve Fund, Benevolent Reserve Fund and Special Reserve Fund. This is 39.2% higher than the amount transferred to reserves last year.

TABLE 8 : Appropriations of net Profit.

(Rs. Crores)

	This year April-June (1992-93)	Previous year April-March (1991-92)
(1)	(2)	(3)
Net Profit	142.90	94.25
Appropriations		
Transferred to		
(a) General Reserve Fund	71.27	28.99
(b) Benevolent Reserve Fund	1.25	1.00
(c) Special Reserve (under section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961)	35.34	38.63
Allocation to the Staff Welfare Fund	0.25	0.20
Payment of Dividend	34.79	25.42
Total	142.90	94.25

Dividend

3.19 Inview of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on share at 18% for 1992-93 also.

Trends in Working Results

3.20 An overall assessment of the trends in the working results of IFCI can be had from the data for 5 years summarised in Table 9.

TABLE 9 : Working Results of IFCI for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June 1989(*)	Year ended the 31st March 1990	1991	1992	Year ended 30th June 1993(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest from Loans, Advances, Deposits & other financial assistance	277.77	462.95	591.48	671.13	995.13
(Less : Provisions for bad and doubtful debts and other provisions)					
Other Income	11.26	12.93	22.44	163.85	291.45
Total income	289.03	475.88	613.92		1286.58
Less :					
Cost of borrowings	213.62	357.95	475.47	662.94	1038.59
Net Income	75.41	117.93	138.45	172.04	247.99
Expenditure :					
Personnel Expenses	5.02	8.55	12.41	10.99	15.23
Loss on investments	0.31	0.18	0.18	4.19	1.70
Director's and Committee Members' Fees & Expenses	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05
Other Expenses and Grants	3.70	10.23	9.48	5.75	10.06
Depreciation	5.81	8.80	14.01	29.32	53.10
Pre-tax Profit	60.55	90.14	102.33	121.75	167.90
Taxation	10.02	22.70	24.25	27.50	25.00
Net Profit	50.53	67.44	78.08	94.25	142.90
Dividend (Rate)	13.0%	14.0%	16.0%	18.0%	18%

(*) 1989 figures are for none months only (July—March).
(**) 1993 Figures are for 15 months (April, 92—June, 1993).

3.21 The performance during the 15 months' period ended the 30th June, 1993 on annualised basis in comparison with the previous year, shows —

— Increase in the net income, pre-tax profit and net profit by 15.3%, 10.3% and 21.3% respectively.

— In spite of a steep increase in cost of borrowings, pre-tax profit as percentage to net income was 67.7% as against 70.8% last year.

— Net profit as percentage of net income was 57.6% in 1992-93 as against 54.7% last year.

— Personnel expenses in relation to total assets worked out to 0.15% during 1992-93 as against 0.13% last year.

Financial Position

3.22 The financial position as evidenced by the Balance-Sheet of IFCI for the 5 years, inclusive of the position of assets and liabilities as at the 30th June, 1993, is indicated in Table 10.

TABLE 10 : Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five Years

(Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June, 1989(*)	Year ended the 31st March 1990	1991	1992	Year ended 30th June (1992 (**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assets					
Cash & Bank Balance	140.93	46.80	66.37	268.48	298.96
Investments					
In Assisted Concerns	111.75	141.99	159.23	169.55	294.43
In other institutions	20.10	27.00	31.91	34.95	141.86
Loans to Assisted Concerns	3,372.53	4,179.04	5,362.21	6,785.14	7897.28
Fixed & Other Assets	309.61	510.84	777.77	988.18	903.05
Customers' Liabilities for Acceptance	32.51	39.84	93.56	180.55	438.03
	3,987.43	4,945.51	6,491.05	8,426.85	9,973.61

1	2	3	4	5	6
Liabilities and Shareholder's Fund's*					
Share Capital	82.50	100.00	135.00	142.50	202.50
Reserve & Reserves Fund	270.94	327.42	389.45	440.08	546.69
Borrowings					
Bonds	2,314.70	2,851.39	3,105.23	3,648.58	4,108.73
From Govt. & IDBI	67.85	60.09	270.04	9793.03	505.22
From LIC, GIC & its subsidiaries	—	100.00	350.00	550.00	750.00
In Foreign Currencies	988.60	1,005.95	1,497.27	2,190.70	2,242.55
Others	—	—	—	512.79	753.84
Other Current Liabilities & Provisions	216.88	439.11	619.63	324.55	375.16
Earmarked Funds	13.45	21.71	30.87	43.13	50.89
Liability for Acceptance	32.51	39.84	93.56	180.55	438.03
	3,967.43	4,945.51	6,491.05	8,426.85	9,973.61
Debt: Equity	9.5:1	9.4:1	9.9:1	11.2:1	9.7:1
Net Worth : Net Profit	7.0:1	6.3:1	6.7:1	6.4:1	6 5:1

(*) 1989 figures related to nine months only (July—March).
(**) 1993 figures relate to 15 months (April, 92—June, 1993).

3.23 Some of the financial highlights based on the Balance-Sheet for the period ended the 30th June, 1993, can be stated in brief as under :

- Increase in the investment portfolio during the period was 73.7%.
- Increaser in te loans portfolio (outsanding) during the year, was 16.4%
- Increase in the networth represented by share capital, reserves & reserve fund during the period, was 28.6%.
- The debt equity ratio as at the end of June, 1993, was 9.7:1 as against the Basle Committee recommendation of 12:1.
- *The net profit for the year was 19.1% of its net*worth as at the end of June, 1993.
- The ratio of total net assets to net worth as at the end of June, 1993, was 13.3:1.
- The Capital Adequacy Ratio calculated as per RBI guidelines was 11.30% as at the end of June, 1993.
- The reserves & reserve fund works out to 2.7 times of the paid-up share capital.

Accounting Policies

3.24 IFCI has all along been following the practice of disclosing its significant accounting policies relating to key areas of operations alongwith notes on accounts which form part of the financial statements. The disclosure made by IFCI in respect of its accounting policy is in line with the specimen format of accounting policies contained in RBI circular dated 28th February, 1991, issued to all scheduled commercial banks.

3.25 Keeping in view the draft RBI guidelines, IFCI has tightened its income recognition policy and has decided not to recognise income for the financial year ended the 30th June, 1993 on account of interest, commitment charges, commission, etc. accruing on or after the 1st April, 1992 in those cases where the borrowers have committed consecutive defaults for a period exceeding one year and has not made payments within 30 days thereafter. This is against the earlier practice of not recognising the same on consecutive defaults for periods exceeding two years.

3.26 IFCI has also reviewed its accounting policy in regard to accounting of fluctuations in foreign exchange rates and accordingly, the net gain/loss arising on conversion of various assets/liabilities in foreign currencies are accounted for to revenue account on year to year basis.

Statutory Auditors

3.27 The Statutory Auditors for the 15 months' period from 1st April, 1992 to 30th June, 1993, were M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, 14, Government Palace East, Calcutta, and M/s. C. C. Choksi & Co., Chartered Accountants, Mafatlal House, Bombay. M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, were elected as Auditors under Section 34 of the IFC Act, 1948 by the shareholders of IFCI (other than IDBI) at the Annual General Meeting of the shareholders of IFCI on the 30th June, 1992. M/s. C. C. Chokshi & Co., Chartered Accountants, were appointed as Auditors of IFCI by IDBI in terms of Section 34(1) of the IFC Act, 1948. The reports of these Statutory Auditors, in terms of Section 34(3) of the IFC Act, 1948 for the period ended the 30th June, 1993, are given before the statement of accounts for the year in its report itself.

Tax Audit

3.28 In addition, for the purpose of tax audit, M/s. Lodha & Co., Chartered Accountants, Calcutta were the Tax Auditors of IFCI in terms of Section 44 AB of the Income Tax Act, 1961 for the year 1992-93.

4. PROMOTIONAL SERVICES

PROMOTIONAL ROLE OF IFCI

4.01 In its promotional role, IFCI has been endeavouring to take up directly as well as indirectly such steps and activities as are regarded necessary for the acceleration of the process of industrialisation in the country in its multi-faceted form. The major thrust in the area of promotional services continued to be on providing support and momentum to the Village and Small Industries (VSI) sector through specially designed schemes, development of consultancy services, development of entrepreneurship and management skills, labour development, rural development, backward area development, support to risk capital venture capital, technology finance tourism and tourism-related activities, development of capital market, science parks, and R&D and research-oriented activities.

4.02 During the period (April, 1992 to June, 1993), the total amount spent by IFCI for the various promotional services was Rs. 1354.18 lakhs. Cumulatively, upto the 30th June, 1993, IFCI had incurred Rs. 6915.86 lakh of expenditure for its various promotional services. These were funded from the Benevolent Reserve Fund (BRF) created out of profits of IFCI, to the extent of Rs. 1271.95 lakhs (Rs. 63.91 lakhs during April, 1992 to June, 1993) and Interest Differential Funds (IDFs) under KfW Lines of Credit to IFCI, of the order of Rs. 5643.91 lakhs (Rs. 1270.27 lakhs during April, 1992 to June, 1993).

PROMOTIONAL SCHEMES

4.03 Having regard to the fact that Village and Small Industries (VSI) have a special role in the Indian economy and form an integral part of the national strategy for employment-oriented-industrial development, IFCI has operating on its own, 14 Promotional Schemes 8 of which are Consultancy Fee Subsidy Schemes, 4 Interest Subsidy Schemes and 2 Enterpreneurship Development Schemes in specified areas. The Consultancy Fee Subsidy Schemes provide subsidised consultancy services to industrial units in VSI sector through Technical Consultancy Organisations (TCOs). The Interest Subsidy Schemes provide encouragement for self-development and self-employment to unemployed youth, to women entrepreneurs, adoption of quality control measures, harnessing indigenously available technology etc. The Entrepreneurship Development Schemes envisage giving impetus to self-employment in the small scale sector in tourism related and other activities as also for encouraging self-employment among persons rendered jobless due to retrenchment or rationalisation in sick industrial units. The overall subsidy disbursed under the various schemes amounted to Rs. 124.70 lakhs for the period under review and Rs. 673.29 lakhs cumulatively upto the end of June, 1993.

DEVELOPMENT OF TECHNICAL CONSULTANCY SERVICES

4.04 The Technical Consultancy Organisations (TCOs), sponsored by the all-India Financial Institutions including IFCI, in association with State-level institutions and banks, continued to provide a variety of consultancy services, identification and training of entrepreneurs and undertaking specialised assignments, e.g., preparation of project profiles and surveys, market surveys, energy audit, energy conservation assignments, etc. Out of the 18 TCOs (inclusive of the one set up by the Government of Karnataka), IFCI has the lead responsibility in respect of five TCOs, viz., Himachal Consultancy Organisation Ltd., Shimla (HIMCON), Rajasthan Consultancy Organisation Ltd., Jaipur (RAJCON), Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd., Bhopal (MPCON), North India Technical Consultancy Organisation Ltd., Chandigarh (NITCON) and Haryana-Delhi Industrial Consultants Ltd., Delhi (HARDICON). Operations of these five TCOs during the year 1992-93 (April-March) and cumulatively upto the 31st March, 1993, are given in Table-11.

TABLE 11 : Summary of Operations of IFCI—Lead TCOs

Nature of assinments	No. of assignments completed				
	HIMCON	RAJCON	MPCON	NITCON	HARDICON
I. Pre-investment Consultancy Assignments					
Feasibilities Pre-feasibilities Studies/Project Reports. etc.,	315	251	789	25	154
	(2652)	(2075)	(4643)	(523)	(683)
Industrial Potential/ Area Development Survey	—	1	—	4	—
	(5)	(37)	(40)	(4)	(1)
Market-Surveys	9	—	—	11	6
	(32)	(12)	(48)	(41)	(32)
Project Profiles	—	2	—	133	—
	(339)	(87)	(937)	(1113)	(713)
Preliminary Fact Finding Studies	—	—	—	—	—
	(5)	(13)	(22)	(—)	(—)
Appraisal	—	1	35	1	1
	(—)	(13)	(51)	(9)	(18)
Others	—	—	4	—	17
	(134)	(1)	(325)	(60)	(75)
Sub-Total (I)	324	255	828	174	178
	(3168)	(2238)	(6066)	(1750)	(1522)
II. Post-Investment Consultancy Assignments					
Diagnostic Studies	—	1	2	108	8
	(22)	(67)	(44)	(452)	(84)
Rehabilitation of Sick Units	5	—	—	3	1
	(36)	(30)	(—)	(46)	(29)
Others	3	5	—	15	2
	(9)	(20)	(16)	(41)	(14)
Sub-Total (II)	8	6	2	126	11
	(67)	(127)	(60)	(539)	(127)
Grand Total (I+II)	332	261	830	300	189
	(3235)	(2365)	(6126)	(2289)	(1649)
III. Entrepreneurship Development Programmes					
No. of Programmes	14	14	51	20	9
	(85)	(64)	(325)	(91)	(42)
No. of Entrepreneus	324	265	2130	436	203
	(1869)	(1372)	(8956)	(1881)	(1067)

Figures in brackets indicates cumulative upto 31-3-93.

4.05 IFCI's emphasis during the period under review, has continued to be on improvement in the quality of TCOs services, building up proper perception, helping in the formulation of their corporate plans and developing commercial attitude in their operations, besides doing promotional work.

SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

4.06 For encouraging growth of new entrepreneurs, IFCI continued its active support to entrepreneurship development by (a) sharing the cost of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) conducted by various agencies (b) providing support to the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), an apex level Organisation, set up and sponsored by all-India Financial Institutions including IFCI and (c) helping in the establishment of Institutes/Centres of Entrepreneurship Development at the State-level. During 1992-93 (April-March), IFCI, alongwith IDBI and ICICI, supported 241 EDPs including 60 EDPs for Science & Technology (S&T) entrepreneurs. Since inception and upto the end of March, 1993, IFCI alongwith IDBI and ICICI provided funds support to 2654 EDPs benefitting more than 64,000 potential entrepreneurs.

4.07 EDII, which completed 10 years of its operations on the 31st March, 1993, continued to function as a National Resource Organisation focusing its attention on providing professional support to institutes engaged in entrepreneurship development and related activities. During 1992-93 (April-March), EDII, inter alia, organised 4 Competent Management Assistance Programmes, aimed at serving the growth of small scale enterprises and creating productive employment for non-technical graduates, a National Programme for 2nd and 3rd Generation of Entrepreneurs entitled Succession Planning for Entrepreneurial Continuity, a National Summer Camp for Youth on Entrepreneurial Adventures and an Intensive Faculty Development Programme for Science & Technical Colleges. The International Programmes organised by EDII include UNIDO Programme on Project Preparation and Appraisal, Entrepreneur Trainer Motivators Programme for Common Wealth Member Countries, sponsored by Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC), London and an EDP in Mauritius.

4.08 For institutionalising entrepreneurship development activities at the State level, IFCI in association with the other all-India Financial Institutions, Banks and the concerned State Governments had helped in seting up Institutes/Centres of Entrepreneurship Development in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and Maharashtra. These Institutes/Centres continued to make good progress. During the period under review, IFCI together with other all-India Financial Institutions, extended capital support to the Centre for Entrepreneurship Development of Karnataka (CEDOK), being set up by the State Government.

SUPPORT FOR BACKWARD AREA DEVELOPMENT

4.09 IFCI's endeavour, since inception, has been to reduce the regional imbalances in the country. As part of its promotional services, IFCI alongwith other all-India Financial Institutions, undertook in the Seventies, a series of Industrial Potential Surveys of the less developed States. The survey reports, which covered 13 States and 7 Union Territories, provided very useful material for assessing the development potential of the States/Union Territories concerned and were found helpful in identifying a number of resource based, market oriented and foot-loose industries, which could be taken up for implementation in the short term. In the Eighties, IFCI and the other all-India Financial Institutions had directed their efforts towards the systematic development of backward areas with focus, particularly, on no-industry districts.

4.10 Pursuant to the involvement of the Financial Institutions in the development of Growth Centres in the country, IFCI is represented on the Apex Committee for approving Growth Centres constituted by the Ministry of Industry, Government of India. The all-India Financial Institutions have agreed to extend assistance to these Growth Centres in the form of equity and term loans. IFCI has also been identified as one of the nodal agencies for appraising the Growth Centre projects. The Apex Committee has so far approved 33 Growth Centres in various parts of the country.

SUPPORT FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT

4.11 IFCI's support to professionalisation of management and upgradation of managerial skills of practicing Managers in industry and banking continued through the Management Development Institute (MDI), sponsored by IFCI in 1973. MDI conducted during the year 1992-93 (April-March), 69 training programmes benefitting 1510 participants as compared to 49 programmes for 1155 participants during the previous year. Programmes conducted by MDI during 1992-93 included two Programmes in collaboration with Kellog University, USA - one on Strategies and Cost Management and another on Manufacturing and Quality Management. Other programmes were on Integrated Financial Management, two programmes on Foreign Exchange Risk Management, a Seminar on HRD Strategies in the Emerging Challenges, a Workshop on Corporate Turnaround : Strategies and Policies, a Top Management Workshop on Strategic Management, a new programme on Women Managers : Challenges of Individual and Organisational Expectations. Other programmes included a Company specific 3-month long Management Development Programme for executives of National Thermal Power Corporation Ltd., a 6-week duration USAID sponsored programme on "Small Industry Sickness - Prevention and Rehabilitation" for Nepalese In-Service candidates and two programmes on Managerial Effectiveness for Nepal-Arab Bank officials at Kathmandu. MDI carried out various research projects, e.g., "Project for Innovative, Pedagogical Designs in Management Education, Demand Forecasting of Industrial Trades", "Financing Growth - An Empirical Study of Top Corporate Giants in the Private Sector", etc. It also undertook consultancy assignments for Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) (covering study of organisational structure, performance appraisal, information collection, storage and dissemination etc.), Gas Authority of India Ltd. (an evaluation of human resource development efforts) and other agencies. MDI also commenced the 5th National Management Programme (NMP) on the 1st July, 1992. A total of 176 officers have so far participated in the five NMPs.

SUPPORT FOR LABOUR DEVELOPMENT

4.12 Institute of Labour Development (ILD), a non-profit organisation, sponsored by IFCI in January, 1992, aims at providing, coordinating and supplementing training at national level in the area of labour development, upgradation of workers skills, attainments of proficiency in work planning, improvement in efficiency and orientation of work force in industrial units towards modern technology, quality and productivity. ILD has planned to organise a two-days National Workshop in July, 1993 on Training Needs of Textile Workers, which would provide a forum to identify and discuss the training needs from the view point of skill development of textile workers in specific areas like spinning, weaving, processing, kniting and apparel manufacture.

SUPPORT FOR RURAL DEVELOPMENT & RELATED ACTIVITIES

4.13 Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), sponsored by IFCI in April, 1990, and registered under Societies Registration Act, 1860 at Guwahati, provides financial and human resource support to various associations and institutions working for the economic betterment of the rural and urban poor in the country. RGVN had sanctioned upto the 31st March, 1993, financial support aggregating Rs. 205.46 lakhs to 113 Non-Governmental Organisations (NGOs) in the seven States of the North-Eastern Region, Sikkim, Orissa, and Bihar against which, a total sum of Rs. 116.62 lakhs has been disbursed. RGVN had also undertaken poverty alleviation projects and also authorised other specialised professional agencies to work on its behalf for rural development in the North-Eastern Region, for which an aggregate sum of Rs. 16 lakhs stood sanctioned and a total amount of Rs. 6.46 lakhs was disbursed. RGVN has extended its activities to the tribal belts in Orissa, Bihar, the Bastar Region in Madhya Pradesh, North Andhra Pradesh and Eastern Uttar Pradesh by opening offices at Bhubaneswar and Patna.

4.14 With a view to evaluate the impact of programmes supported by RGVN, a team of IFCI's senior executives undertook field visits in September, 1992 to various projects funded by RGVN through NGOs in the four States of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya. The IFCI team, inter alia, concluded that since the quantum of funding over the last two years in the North Eastern Region was substantial, RGVN should work towards consolidating

activities in the North-Eastern Region and prioritise expansion of funding operations in new regions, viz., Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, U.P. etc.

4.15 During the period under review, IFCI also provided a grant of Rs. 35 lakhs to Friends of Women's World Banking (India), Ahmedabad, sponsored by Sewa Bank, towards its revolving fund scheme. The major objectives of this scheme are to encourage small savings and credit groups of women to provide, inter alia, loan support to members for activities that ensure sustainable employment and creation of assets in their own name and for redemption of productive assets.

Support to Risk Capital, Technology Finance and Venture Capital

4.16 Support to risk capital and technology finance continued to be extended by IFCI through the Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC)-a successor to the erstwhile Risk Capital Foundation (RCF), sponsored by IFCI in 1976. During 1992-93 (April-March), risk capital assistance of the order of Rs. 471.38 lakhs was sanctioned for 14 medium-sized projects by RCTC. Cumulatively, since inception in 1976 and upto the 31st March, 1993, risk capital assistance aggregating Rs. 3475.79 lakhs to 236 medium-sized industrial projects had been of the order of Rs. 3058.29 lakhs, of which disbursements amounting to Rs. 275.56 lakhs pertained to 1992-93. As regards sanctions under Technology Finance & Development Scheme, the same were of the order of Rs. 29.67 lakhs to 3 projects during the year and cumulatively, these were Rs. 1299.52 lakhs in respect of 25 projects. The disbursements against these sanctions stood at Rs. 1041.83 lakhs, of which Rs. 279.93 lakhs pertained to the year 1992-93. The operations under this Scheme have been curtailed, since a number of projects, which are eligible for assistance under the Scheme, are also being provided financial support under the Venture Capital Scheme.

4.17 With a view to providing venture capital for potentially highly profitable ventures involving innovative products/technology/service, aimed at futuristic or new markets, a Venture Capital Fund (VCF) of Rs. 30 crores (Rs. 20 crores to be contributed by IFCI including Rs. 10 crores out of a World Bank Line of Credit) managed by RCTC, was floated as a Scheme of Unit Trust of India (UTI), known as Venture Capital Unit Scheme-III in July, 1991 (VECAUS-III-1991). Upto the 31st March, 1993, an aggregate amount of Rs. 1725-75 lakhs had already been sanctioned by RCTC to 19 projects against which Rs. 752.78 lakhs had been disbursed. IFCI had disbursed Rs. 500 lakhs to UTI for VECAUS-III Scheme upto the end of March, 1993.

4.18 Beginning 1991-92, RCTC has made strides in the area of provisioning of non-fund based assistance on selective basis. RCTC has provided guarantee facility to one of its assisted units. Perceiving for itself the role of sponsor to its assisted companies, RCTC has obtained the membership of Over-The-Counter Exchange of India (OTCEI).

4.19 During 1991-92, IFCI contributed Rs. 20 lakhs to the share capital of indus Venture Capital Fund (IVCF) floated by Indus Venture Management Co. Ltd. The operations under IVCF have since commenced and IVCF has approved investments aggregating Rs. 2.65 crores for four projects during the period under report.

Support for Tourism and Tourism-related activities

4.20 IFCI's support for tourism continued through both direct involvement in tourism-related projects and providing support to Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI), sponsored by IFCI in 1989 alongwith other all-India Financial Institutions and selected banks. In the fourth year of its operations, TFCI sanctioned financial assistance aggregating Rs. 125.02 crores to 34 projects by way of rupee term loans, leasing finance and direct subscription to equity capital and disbursed Rs. 59.68 crores. Cumulative sanctions and disbursements upto the 31st March 1993, were of the order of Rs. 366.26 crores and Rs. 159.95 crores, respectively. The cumulative assistance includes sanctions of the order of Rs. 134.57 crores to 67 projects which were promoted by entrepreneurs entering the field of tourism for the first time (Rs. 49.32 crores to 14 projects during 1992-93). The assistance from TFCI so far would result in addition of 10,360 hotel rooms (1953 rooms during 1992-93) and direct employment to 19,378 persons (3,474 persons during 1992-93). It would also catalyse total investment in tourism projects of Rs. 1099.51 crores (Rs. 288.08 crores during 1992-93).

4.21 In December, 1991, IFCI alongwith TFCI, sponsored Tourism Advisory & Financial Services Corporation of India Ltd. (TAFSIL) as a specialised consultancy organisation for undertaking consultancy, advisory and at a later date, financial services for tourism, tourism-related activities, facilties and services. During the period under review, IFCI contributed Rs. 25 lakhs to TAFSIL, being 25% of the initial paid up share capital of Rs. 100 lakhs.

Support for Development of Capital Market

4.22 To meet the initial fund requirements of SEBI, IFCI contributed Rs. 250 lakhs to its corpus fund. IFCI was also associated with UTI, ICICI and other institutions, in setting up the OTC Exchange of India Ltd. (OTCEI), IFCI has contributed Rs. 64 lakhs being 8% of the paid up share capital of Rs. 8.00 crores of OTCEI.

4.23 IFCI had taken the lead in setting up the credit rating agency, viz., Investment Information & Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA), as a public limited company alongwith selected investment institutions and banks. Since commencement of operations on the 1st September 1991 and upto the 31st March, 1993, ICRA has rated 135 instruments (cumulative) including 37 instruments of financial service companies, 95 instruments of manufacturing companies and 3 instruments of a financial institution. The instruments include commercial paper, fixed deposits, debentures and bonds. As against this, the ratings have been accepted by 72 companies for 94 instruments including 58 debentures, two bonds, 9 commercial papers and 25 fixed deposits. ICRA has also launched two new services, viz., Credit Assessment (CA) and General Assessment (GA) and completed 9 assignments of CA and 2 assignments of GA during 1992-93 (April-March).

4.24 During the period under review, IFCI alongwith other financial institutions and banks, participated in setting up the National Stock Exchange of India Ltd. (NSEIL) to provide comprehensive, nation-wide, screen-based electronic trading facilities to investors. A wide range of securities including equity debentures Public Sector Units Bonds and Government securities will be traded on this Stock Exchange. IFCI has agreed to subscribe 14% of the total equity capital of Rs. 25 crores and has contributed already Rs. 1.40 crores.

4.25 IFCI has also agreed to associate itself in sponsoring an Asset Management Company being set up by the Life Insurance Corporation of India (LIC) by contributing Rs. 71.50 lakhs, being 14.3% of its share capital of Rs. 5.00 crores.

Support to Housing Development and Finance

4.26 Support to housing development and finance is provided by IFCI through participation in the LIC Housing Finance Ltd., GIC Grih Vitta Ltd. and AB Homes Finance Ltd.

Support for Science & Technology Entrepreneurs' Parks

4.27 With a view to developing an on-going interaction between Science & Technology institutions and industry and promoting a new class of Science & Technology entrepreneurs, the all-India Financial Institutions including IFCI, have been supporting Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs) set up by well-established Engineering Colleges and Technical/Research Institutes. IFCI has, so far, participated in funding of 8 STEPs, one each at Ranchi (Bihar), Bombay (Maharashtra), Tiruchirapally (Tamilnadu), Kanpur (Uttar Pradesh), Mysore (Karnataka), Ludhiana (Punjab), Bhopal (Madhya Pradesh) and Kharagpur (West Bengal). These STEPs are making steady progress and are at different stages of implementation. Jawaharlal Nehru Entrepreneurs Chemical Park (JNECP) STEP, Bombay was given additional assistance by IFCI alongwith other participating institutions during the period under review for acquiring imported spare parts for its sophisticated machinery and also for setting up of additional testing facilities aimed at increasing its efficiency.

Support for Research and Research-Oriented Activities

(i) IFCI Chairs

4.28 For promoting research in the field of industrial management, financial management, industrial finance, regional economics and development banking, IFCI has created six Chairs-one each at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) and at the Universities of Delhi, Bombay, Calcutta, Guwahati and Madras. During the period under review, IFCI Public Lecture on the subject of 'Project Risk Analysis by Development Banks' was delivered by Dr. N. P. Srinivasan at the University of Madras on the 25th August, 1992.

(ii) IFCI Research Fellowships

4.29 Under the new scheme of IFCI Research Fellowships introduced in September, 1991 for promoting research in areas related to development banking, entrepreneurship development, management of enterprises, management of labour, management of tourism and tourism-related activities, etc., leading to a doctoral degree, IFCI awarded four Scholarships each for the year 1991 and 1992. A research fellow has completed his thesis on 'Emerging Trends of Venture Capital in the Corporate Sector in India' and was awarded doctorate degree in December 1992.

(iii) Support to other research-oriented organisations

4.30 Assistance was also provided during the period under review, to the Consumer Education Research Centre, Bihar Industrial Association, Centre for Multi-Disciplinary Development Research, Indian Economic Association, Institute for Studies in Industrial Development, Centre for Research of Economy and Trade and Indian Council for Research on International Economic Relations, to enable these organisations to further their research-oriented activities.

5. Management Organization and In-house Matters

BOARD OF DIRECTORS

5.01 During the 15 months' period ended the 30th June, 1993, 15 Board Meetings of the Board of Directors were held—13 at New Delhi and one each at Jaipur and Bangalore.

5.02 Shri D. N. Davar relinquished the Office as Chairman, IFCI on the 20th April, 1992 and Dr. P. J. Nayak, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) and a Director of IFCI, nominated by the Central Government, took additional charge as Chairman, IFCI till the appointment of Shri P. S. Gopalakrishnan as Chairman, IFCI, who assumed charge on the 26th November, 1992, Shri N. R. Krishnan, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, another Director nominated by the Central Government, ceased to be director with effect from the 5th March, 1993.

5.03 Shri V. Mahadevan was elected as a Director representing Scheduled Banks at the Special General Meeting held on the 14th October, 1992 in the casual vacancy caused by the resignation of Shri M. N. Goiporia. Shri J. S. Salunke was elected as Director representing insurance concerns, investment trusts and like financial institutions, etc. in the casual vacancy caused by the resignation of Shri K. P. Narasimhan, with effect from the 30th November 1992.

5.04 The Board of Directors of IFCI place on record their deep appreciation for the very useful and valuable contributions made by Shri D. N. Davar, Shri N. R. Krishnan, Shri M. N. Goiporia and Shri K. P. Narasimhan, who have retired, during the period of their association with IFCI.

Inter-Institutional and State-Level Co-ordination

5.05 Inter-Institutional co-ordination among the national level financial institutions continued to be maintained through the informal meetings of Head of Institutions as well as the fora of Senior Executives' Meetings (SEMs), Senior Legal Executives' Meetings (SLEMs) and Regional Executives' Meetings (REMs). During the period under report, six meetings of the Heads of the Institutions, 28 SEMs, 7 SLEMs and 2 REMs were held. In addition, two meetings of Senior Executives were held with the objective of achieving inter-institutional co-ordination in the sphere of promotional activities.

5.06 At the State-level, IFCI continued to maintain co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional/Branch Offices in various meetings of the State-level Committees and other State-level fora.

Interface with external agencies

5.07 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Finance Institutions (DFIs) abroad as also the international banks operating in the world market. Shri P. S. Gopalakrishnan, Chairman, attended the Annual Conference of the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) held at Colombo in April, 1993. He also attended the XXVI Annual Meeting of Asian Development Bank held at Manila in May 1993. The Chairman, accompanied by Shri S. K. Jain, General Manager, visited Singapore, Tokyo and Hongkong and met officials of leading banks and security companies and discussed matters of mutual interest. Shri S. P. Banerjee, Executive Director, visited Washington in September 1992 in connection with the signing of documents for the US EXIM Bank securitisation facility to the extent of US $ 50 million with US EXIM bank and Chemical Bank. He also visited Amsterdam and held discussions with the officials of ABN AMRO Bank in connection with the finalisation of 'strategic alliance' with IFCI. In November, 1992, Shri Banerjee visited London and discussed matters of mutual interest with various bankers.

5.08 A number of foreign dignitaries visited IFCI and held discussions about the investment opportunities in India and matters of mutual interest. The Principal Executives of IFCI also had fruitful discussions with the team of Kreditranstalt-fur-Wiederaufbau (KfW), Asian Development Bank and US EXIM Bank. Discussions were also held with the senior executives of ABN-AMRO Bank, Netherland, in connection with the arrangement for 'strategic alliance' with IFCI.

ORGANISATIONAL DEVELOPMENTS

5.09 Shri B. K. Malhotra, Shri H. V. Subba Rao and Shri R. L. Srivastava, Dy. General Managers, were elevated to the post of General Managers and Shri C. P. Bhan, Dy. Legal Adviser was elevated to the post of Legal Adviser, with effect from the 31st December, 1992.

5.10 Various Committees of the officials of IFCI, constituted to plan, execute and look into the aspects relating to Management Information System, training, computerisation, library, staff welfare, progressive use of Hindi, etc., continued to function satisfactorily in the relevant areas of IFCI's operations. A Senior Officers' Committee was also constituted to formulate a plan to restructure the organisation in the context of conversion of IFCI from a statutory corporation into a company, referred in para 1.2 supra. The aforesaid Committee held discussions with the officials and staff at all levels in finalising its report.

Personnel

5.11 As at the end of June, 1993, IFCI had a complement of 1,141 employees (inclusive of staff strength at Regional/Branch Offices) including 185 in the category of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, 33 Ex-servicemen and 17 physically handicapped employees. The number of women employees was 188 as on the said date.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

5.12 The growing competition and dynamic business environment made it imperative to further revitalise and improve the quality of IFCI's human resources. During the 15 months' period ended the 30th June, 1993, 47 inhouse training programmes of varying duration were conducted, out of which 24 programmes were held at Head Office, 15 at Bombay Regional Office and 8 at Patna Training Centre. In all 752 participants at different levels were covered by the

in-house training programmes which were spread over 132 days. In-house training activity was directed mainly towards equipping the staff members with requisite professional competence needed and developing the right attitude to face the challenges posed by the new economic reforms.

5.13 To supplement the in-house training and also provide opportunities for interaction with professionals and academicians of other institutions/organisations, 119 staff members were deputed to 75 external training programmes organised by reputed institutions in the country including the Management Development Institute (MDI)—an institution sponsored by IFCI for management development. Besides, 5 officers including one lady officer were deputed to four programmes conducted abroad, viz., Sweden, Nepal, Malaysia and Manila by reputed agencies like UNITAR, ADITAP, etc. IFCI also continued to implement Government guidelines regarding pre-recruitment training programmes for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates, who applied for jobs in IFCI.

5.14 Under the Reserve Bank of India (RBI) Scheme for co-ordination with commercial banks and financial institutions for rehabilitation of sick units, IFCI extended on-the-job training facility in its Rehabilitation Finance Department (RFD) to officers of commercial banks.

STAFF WELFARE

5.15 Social security, housing and medical facilities remained the main planks of IFCI staff welfare activities. The various welfare schemes of IFCI such as loan facilities to employees for purchase of consumer durables and for higher education of children in India and abroad; grants to recreation clubs at various offices of IFCI and Resident Welfare Associations of several staff colonies for undertaking cultural activities, etc. maintaining of holiday homes and running of Day Care Centre, were continued with the spirit of ensuring welfare of the employees and their families.

COMMUNITY WELFARE

5.16 During the period under report, IFCI contributed a sum of Rs. 10,000/- to National Society for the Prevention of Blindness—India, a national level organisation working for the cause of prevention of blindness and various aspects of eye health care.

ELECTRONIC DATA PROCESSING AND COMMUNICATION SYSTEM

5.17 All Regional and Branch Offices of IFCI have been provided with appropriate computer systems. The various systems in use are ICIM-6080 Main Frame, ESPL Mini Systems operating in UNIX Environment, Personal Computers with Gist Card alongwith Dot Matrix Printers, Worknet-II, Computerised Telex Systems working in Multiuser Mode in UNIX Environment and PC-FAX System at Head Office and also ESPL Mini Systems alongwith Personal Computers with Gist Card, Printers, Dumb Terminals, etc. at all Regional/Branch Offices of IFCI.

5.18 EDP Department of IFCI continued to maintain and update the software packages already implemented in the areas of Rupee Loan Accounting, General Financial Accounting, Foreign Currency Loan Accounting and Management Information System. It also developed new applications in the areas of Dead Stock Accounting, Preparation of IFCI's Budget and its monitoring, Inter-firm comparison of balance-sheet of assisted concerns, Calculation of Depreciation on Leased Assets for assistance provided under the Equipment Leasing Scheme of financial services. Further, a module for getting information in regard to the movement of certificates/scrips related to IFCI's holdings was also added to the already implemented Investment Portfolio Accounting and Management Systems.

PROGRESSIVE USE OF HINDI

5.19 During the period under report, IFCI continued its endeavour to promote the use of Hindi in its official work with a view to achieve the targets prescribed by the Department of Official Language of the Government of India. Pursuant to the decision of the Government, on the recommendation of the Committee of Parliament on Official Language, Regional Offices at Calcutta and Bombay conducted departmental Hindi training programme for its officials to enable them to achieve working knowledge of Hindi. Hindi workshops were organised at Head Office and Regional/Branch Offices to facilitate the staff to use Hindi in their official work.

5.20 The Official Language Implementation Committee (OLIC) at the Head Office and Regional/Branch Offices continued to monitor the use of Hindi in the official work of IFCI and provided guidelines to implement the provisions of the Official Language policy of the Government of India and increased the progressive use of Hindi in the various offices of IFCI. The Regional and Branch Offices of IFCI continued to take active part in the meetings of Bank/Town Official Language Implementation Committees.

5.21 As in the past, all documents issued under Section 3(3) of the Official Languages Act, viz., General Orders, Resolutions, Notifications, Rules, Administrative and other Reports, Press Releases, Advertisements, Contracts, Forms of Tenders, Notices, Agreements, Papers to be laid before both Houses of Parliament, etc., were issued in bilingual form. All Operational/Administrative Circulars were also issued both in Hindi and English. As a result of the provision of 'Aksnar' software on the computers installed at various offices of IFCI, including Departments/Divisions of Head Office, the use of Hindi on computers increased during the period. Gist Cards were also supplied to the various Departments/Divisions of Head Office facilitating issuance of pay slip in bilingual form. Interest notices, etc. were prepared and issued in bilingual form on pre-printed bilingual stationery.

5.22 IFCI also participated in the competition organised by the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad on All India basis and bagged cash awards and commendation certificates. On the occasion of Hindi Puraskar Vitaran Samaroh, the Chief Guest of the function, Shri Shankar Dayal Singh, M.P. also released 'Samekit Vitta Shabdavali'—consolidated glossary of financial terms compiled by the Hindi Cell of IFCI. The Hyderabad Regional Office of IFCI was awarded merit certificate for commendable performance in implementation of the Official Language Programme during the year, by the Department of Official Language in the Ministry of Home Affairs, Government of India.

OFFICE PREMISES

5.23 During the period under report, the Branch Office of IFCI at Kochi was shifted to its own premises. With this, out of 18 offices of IFCI, as many as 14 offices are now located in IFCI's own premises.

5.24 A reference was made in the 43rd Annual Report about IFCI acquiring a plot of land at Nehru Place, New Delhi from the Delhi Development Authority with a view to housing, under one roof, its Corporate Office, which is presently spread in five different buildings. Architectural planning for a 20-storeyed 'Intelligent Office Complex' has since been accomplished and construction work has started. The Foundation Stone for the building was laid by the Hon'ble Finance Minister, Dr. Manmohan Singh at a function held on the 22nd April, 1993. Dr. Abrar Ahmed, Minister of State for Finance presided over the function.

INTERNAL AUDIT

5.25 The Internal Audit & Inspection Department (IAID) at Head Office having reporting responsibility through the Executive Director to the Chairman, has ensured complete and correct accounting of the revenues of IFCI, optimum utilisation of the resources and giving the management a feedback about the effectiveness of the systems and procedures with specific focus on improving productivity and efficiency. IAID, in addition to conducting 100% verification of the earnings from loans and advances, including financial services, covered operational areas like disbursements, recoveries, post-disbursement follow-up, insurance and legal documentation, etc. The compliance with the audit observations and corrective steps initiated on the basis of the findings of the statutory auditors continued to be closely watched by IAID throughout the period under report. The legal audit covering areas like physical verification of legal documents, review of security provisions as per covenants of the loan documents, monitoring of pending legal work, etc.,

has also been integrated with the internal audit for the last few years. IAID also reviewed the areas relating to deployment of funds by IFCI in the short-term money market instruments on concurrent basis with a view to ensure that the guidelines issued by RBI, in this regard, were duly observed.

PUBLIC RELATIONS

5.26 IFCI participated in the 10th Indian Engineering Trade Fair, organised by Confederation of Indian Industry (CII) from February 14—21, 1993 at Pragati Maidan, New Delhi. More than 40 countries participated in the fair. Most of the important Indian engineering concerns participated by putting up stalls. IFCI stall, tastefully decorated with panels indicating various operations and schemes, was a prominent one amongst the stalls put up by the financial institutions, banks and financial services, organisations. More than 8,000 persons visited the IFCI stall during the eight-day period of the fair.

ACKNOWLEDGEMENTS

5.27 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation, advice, guidance and support received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Development Bank of India and other all-India Financial Institutions, commercial banks, fellow capital finance and merchant banking organisations, various State Governments, State-level financial and developmental organisations, etc.

5.28 The Board of Directors also acknowledge the continued co-operation received by IFCI from various Development Finance Institutions (DFIs) abroad, particularly, the assistance received from the World Bank, the International Finance Corporation, the Asian Development Bank, the Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KfW), Germany, the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) and a host of correspondent banks abroad and other members of the international banking fraternity.

5.29 The Board of Directors are also pleased to place on record their appreciation of the sincere and devoted services rendered by the officers and staff at all levels in IFCI during the period under report.

P. S. GOPALAKRISHNAN
Chairman

ANNUAL ACCOUNTS

1992-93

To the Shareholders of the

erstwhile Industrial Finance Corporation of India who are now the shareholders of the Industrial Finance Corporation of India Ltd.

We have audited the attached Balance Sheet of the erstwhile Industrial Finance Corporation of India as at the 30th June, 1993, and also the Accounts of the Corporation for the period from 1st April, 1992 to 30th June, 1993, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.

2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.

3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet, together with the Accounting Policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948, and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

Lodha & Co. C. C. CHOKSHI & CO.

Chartered Accountants

Place : New Delhi
Dated : 27th August, 1993

Description	Schedule	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
ASSETS			
Cash and Bank Balance	1	22,396.26	26,848.16
Money at Call and short notice	—	7,500.00	—
Investments in Assisted Concerns	2a	29,442.94	16,955.05
Investments in other institutions	2b	14,185.57	3,494.52
Loans to Assisted Concerns	3	7,89,728.11	6,78,514.28
Fixed Assets	4	26,876.34	25,555.53
Other Assets	5	63,428.55	73,262.17
Customers Liabilities for Acceptances (As per contra)	—	43,803.26	18,055.09
Total		9,97,361.03	8,42,684.80
LIABILITIES AND SHARE HOLDERS FUNDS			
Share Capital	6	20,250.00	14,250.00
Reserves & Reserve Funds	7	54,668.40	44,008.02
Long Term Borrowings	8	8,36,033.55	7,29,603.50
Current Liabilities and Provisions	9	37,516.46	32,455.10
Earmarked Funds	10	5,089.36	4,313.09
Liability Acceptances (As per contra)	—	43,803.26	18,055.09
Total		9,97,361.03	8,42,684.80
Accounting Policies and Notes	17		

The Schedules referred to above form part of Balance Sheet.

S. P. Banerjee — H. C. Sharma, Whole Time Directors — P.S. Gopalakrishnan, Chairman — S. H. Khan, S. S. Kadam — D R.S. Choudhary, Directors

As per our attached report of even date.
C.C. Choksi & Co.
Chartered Accountant

New Delhi : 27th August 1993 — Lodha & Co.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 1992 TO 30th JUNE, 1993

Description	Schedule	Period ended the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	year ended the 31st March 1992 Rs. Lakhs
Interest on Loans, Advances, Deposits and income from other Financial Assistance, (Less Provision for interest tax, provisions for bad and a doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	99,513.21	67,113.52
Income Irom other operations	12	29,144.78	16,384.73
Total income		1,28,657.99	83,498.25
Cost of Borrowings	13	1,03,858.91	66,294.56
Personnel Expenses	14	1,523.13	1,098.66
Directors and Committee Members Fees, etc.	—	4.95	4.07
Rental, Maintenance and Depreciation	15	5,867.54	3,206.38
Other Expenses	16	603.87	714.91
Grant to Management Development Institute	—	10.00	5.00
Provision for Taxation	—	2,500.00	2,750.00
Total expenditure		1,14,368.40	74,073.58
Net Profit	7	14,289.59	9,424.67
Appropriate to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		7,126.50	2,898.80
Special Reserve Fund under Section 36 (1) (viii) of the income Tax Act, 1961		3,533.88	3,863.00
Benevolent Reserve Fund under Section 32 B of the industrial Finance Corporation Act, 1948		125.00	100.00
Staff Welfare Fund		25.00	20.00
Dividend		3,479.21	2,542.87
		14,289.59	9,424.67
Accounting Policies and notes	17		

The Schedules referred to above form part of Profit & Loss Account.

S. P. Banerjee — H. C. Sharma, Whole Time Directors — P. S. Gopalakrishnan, Chairman — S. H. Khan, S. S. Kadam — D.R.S. Choudhary, Directors

As per our attached report of even date

New Delhi : 27th August, 1993

Lodha & Co.

C. C. Choksi & Co.
Chartered Accountants

Schedule 1 — Cash and Bank Balances

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Cash and Bank Balances		
Cash/Stamps in hand	0.98	1.14
Chequees/Drafts in hand and lodged for collection	3,041.30	3,728.33
Balances with Banks in India		
In Current Accounts (See Note No. 6)	6,785.07	7,011.95
In short Term Deposits	600.00	12,793.85
Balances with Banks outside India		
In Current Accounts	6,545.42	1,706.33
In Short Term Deposits	5,423.49	1,606.56
Total	22,396 26	26,848.16

Schedule 2a

Investment in Assisted Concerns

(Rs. Lakhs)

(At cost or Book Value)

Description	Under Section 23(d)	23(f)	23(i)	As at the 30th June, 1993	As at the 31st march, 1992
Equity Shares	5,229.27	7,339.93	4,166.26	16,735.46	12,889.23
Reference Shares	174.44	535.37	43.01	752.82	717.20
(iii) Debentures	1,760.86	8,843.82	123.83	10,728.51	2,911.81
(iv) Application money on shares and Debentures	968.88	257.27	—	1,226.15	436.81
Total as at the 30th June, 1993	8,133,45	16,976.39	4,333·10	29,442·94	
Total as at the 31st March, 1992	6,366.74	7,761.90	2,826.41	16,955.05	16,955.05
Quoted investments —Book Value					
Shares				10,760.98	
Debentures				682.17	
				11,443.15	8,118.95
Market Value					
Shares				21,237.12	
Debentures				1,875.61	
				23,112.73	59,818.65
Unquoted investments including investments for which current qoutation are not available.					
— Book Value					
Shares				6,727.30	
Debentures				10,046.34	
				16,773.64	8,399.23
— Break-up Value					
Shares				4,511.92	4,453.90

*Relates to Industrial Finance Corporation Act, 1948.

Investments include interest-free of face value of Rs. 100 crores (cost Rs. 100 crores) issued by IDBI repayable on 30.3.2008.

Schedule 2b		
Investments in other Institutions (at cost)	14,185.57	3,494.52

Schedule 3

Loans to Assisted Concerns

(Less:Provision for bad & doubtful debts)

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March 1992 Rs. Lakhs
(i) In Indian Rupees	5,76,744.42	4,94,023.79
(ii) In Foreign Currencies	2,12,983.69	1,84,490.49
Total	7,89,728.11	6,78,514.28

Notes :

(i) Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil
(ii) Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil
(iii) Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	Nil	Nil

Schedule 4

FIXED ASSETS

(Rs.Lakhs)

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Cost as at 31st March, 92	Additions	Sales/ Deductions	Cost as at 30th June, 93	Upto 31st March, 92	For the period	Sales/ deductions	Upto 30th June, 93	At as 30th June, 93	As at 31st March, 92
Freehold Land and Buildings	2087.85	214.44	0.39	2301.90	385.66	162.35	0.04	547.97	1753.93	1702.19
Leasehold Land and Buildings	5777.65	79.63	4209.06*	1648.22	355.66	101.50	—	457.16	1191.06	5421.99
Furniture and Fixture	233.71	42.85	16.43	260.13	83.85	20.87	0.24	104.48	155.65	149.86
Office Equipments including Computers	591.27	15.42	1.16	605.53	355.06	76.35	0.75	430.66	174.87	236.21
Electrical Installations	190.93	31.46	—	222.39	98.81	35.00	—	133.81	88.58	92.12
Vehicles	19.31	0.02	—	19.33	16.54	0.82	—	17.36	1.97	2.77
Lease Assests—Plant and Machinery	22210.09	4496.22	106.54	26599.77	5131.20	4912.61	2.53	10041.28	16558.49	17078.89
Sub-Total	31110.81	4880·04	4333.58	31657.27	6426.78	5309.50	3.56	11732.72	19924.55	24684.03
Capital Work-in-progress									6951·79*	871·50
Total	31110.81	48480.04	4333.58	31657.27	6426.78	5309.50	3.56	11732.72	268786.34	25555.53

*Capital expenditure of Rs. 4209.06 lakhs on leasehold land on which Office Building is under construction has been transferred to Capital work-in-progress

Schedule 5 — Other Assets

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lahhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Interest accrued but not due	16,065.00	13,851.15
Advances to Machinery suppliers under varoius Financial Services Schemes	2,026.20	8,023.57
Advances to Risk Capital & Technology Finance Corporation Ltd.	1,618.66	1,273.14
Under swap agreement Advances to Housing Development Finance Corporation Ltd.	7,246.38	7,246.38
Advances to infrastructure Leasing & Financial Services Ltd. under Swap Agreement	2,717 39	2,717.39
Advances to Tourism Finance Corporation of India Ltd.	500.00	—
Advances to employees	457.08	350.24
Other Deposits	65.87	34.25
Amount recoverable from Government of India through IDBI under Exchange Risk Administration Scheme for the period 1-4-89 to 30-6-93 (Net of Exchange Risk Administration Fund) Subject to Reconciliation and adjustments (See note 5)	18,146.01	17,530.16
Advance income Tax including Tax deducted at source	5,873.84	3,929.10
Other Assets	8,712.12	18,306.79
Total	63,428.55	73,262.17

Schedule 6

Share Capital

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Authorised		
5,00,000 share of Rs. 5,000/- each	25,000.00	25,000.00
Issued and Subscribed		
4,05,000 (2,85,000) Shares of Rs. 5,000/- each	20,250.00	14,250.00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	500.00	500.00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	200.00	200.00
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	134.60	134.60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	165.40	165.40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	500.00	500.00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	250.00	250.00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	250.00	250 00
(viii) 10,000 (Eighth Series) shares of Rs, 5,000/- each fully paid up	500.00	500.00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	500.00	500.00
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	1,000.00	1,000.00
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	1,000.00	1,000.00
(xii) 25,000 (Twelth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	1,250.00	1,250.00
(xiii) 25,000 (Thirteenth Series) shares of Rs 5,000/- each fully paid up	1,250.00	1,250.00
(xiv) 25,000 (Fourteenth series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	1,250.00	1,250.00
(xv) 50,000 (Fifteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	2,500.00	2,500.00
(xvi) 60,000 (Sixteenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	3,000.00	3,000.00
(xvii) 1,20,000 (Seventeenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	6,000.00	—
Total	20,250.00	14,250.00

Schedule 7

Reserves and Reserve Funds

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
1	2	3
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	24,668.41	17,541.91
Reserve Fund under Section 32 A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (The Central Govt. Reserve Bank of India and industrial Development Bank of India have claim to this fund.)	100.00	100.00
Special Reserve Fund under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961.	29,899.99	26,366.11
Total	54,668.40	44,008.02

Schedule 8

Long Term Borrowings

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948—Guaranteed by the Government of India)		
(a) 6 3/4%Bonds	—	7,810.00
(b) 7 1/4% Bonds	10,050.22	10,050.22
(c) 7 1/2% Bonds	10,955.00	10,995.00
(d) 8 1/4% Bonds	7,975.00	7,975.00
(e) 8 3/4% Bonds	8,004.80	8,004.80
(f) 9% Bonds	19 701.00	19,701.00
(g) 9.75% Bonds	32,269.13	32,269.13
(h) 11% Bonds	69,548.00	69,548.00
(i) 11.5% Bonds	1,41,602.00	1,41,602.00
(j) 12% Bonds	26,000.00	26,000.00
(k) 13% Bonds	51,805.99	—
(l) 7.6% Bond (Yen Currency)	10,244.81	9,321.15
(m) 6.9% Bonds (Yen Currency)	10,842.72	9,831.14
(n) 6.3% Bonds (Yen Currency)	11,834.32	11,750.88
Borrowings (Unsecured)	4,10,872.99	3,64,858.32
(a) From industrial Development Bank of India under Section 21 (4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	24,010.00	35,245.00
(b) From Life Insurance Corporation of India and General Insurance Corporation of India and its Subsidiaries under Section 21 (4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	75,000.00	55,000.00
(c) From Government of India under Section 21 (4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	—	1.60
(d) From Unit Trust of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	15,000.00	—
(e) From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt—fur—Wiederaufbau	1,511.76	1,300.63
(f) From Industrial Development Bank of India in Foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue	—	2,849.00
	5,26,394.75	4,59,254.55
(g) From Foreign Lending Institutions, Banks etc. in foreign currency (Guaranteed by Govt. of India to the extent of Rs. 1,45,668.25 lakhs) (including Rs. 36,184.56 lakhs under Swap arrangements)	2,24,254.80	2,19,070.45
(h) Deposits in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	55,384.00	51,278.50
(i) Deposits under Certificate of Deposit Schemes	20,000.00	—
(j) Interest-free loan from Industrial Development Bank of India Repayable on 30-3-2008 (Quasi-equity)	10,000.00	—
Total	8,36,033.55	7,29,603.50

Schedule 9

Current Liabilities and Provisions

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. Lakhs
(A) Current Liabilities		
Sundry creditors	12,171.36	7,480·89
Interest accrued but not due		
(a) On Bonds	7,265.12	8,781.58
(b) On Borrowings from Government of India	42.89	2.93
(c) On Borrowings from Foreign credit Institutions	2,465.95	4,599.27
(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others	2,827.60	3,130.43
Advance Receipts	259.83	448.33
Unclaimed Dividend	0.23	0.30
Amount refundable to sub-borrowers out of interest on borrowings in foreign currency	3,454.15	2,426.67
(B) Provisions Total (a)	28,487.13	26,870.40
Provosion for taxation	5,550.12	3,041.83
Provision for Dividend	3,479.21	2,542.87
Total (B)	9,029.33	5,584.70
Total (A) + (B)	37,516.46	32,455.10

Schedule 10

Earmarked Funds

Description	As at the 30th June, 1993 Rs. Lakhs	As at the 31st March, 1992 Rs. lakhs
Industrial Finance Corporation Employees' Provident Fund	2,013.74	1,731.60
Special Jute Development Fund	62.11	220.47
Staff Welfare Fund	274.95	237.32
Benevolent Reserve Fund under Section 32 B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	415.05	373.97
Specide Grant from Govt. of India in terms of Agreement with Kreditanstalt -fur-Wiederaufbau	2,323.51	1,749.93
Total	5089.36	4,313.09

Schedule 11

Interest from Loans, Advances, Deposits and Income from other Financial Assistance

Description	Period ended 30th June, 1993 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Interest Income	76,925.48	53,174.27
Interest on Short term and other deposits	3,747.18	1,391.50
Commitment Charges and Up-front-Fees	2,317.97	1,756.84
Lease Rentals	12,836.81	6,799.32
Standing Charges	3,685.77	3,991.59
Total	99,513.21	67,113.52

Schedule 12

Income from other Operations

Description	Period ended 30th June, 1993 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1992 Rs. lakhs
Business Service Fees and Commission	1,599.45	658.23
Dividend	724.18	861.07
Profit on Sale of investments (Net)	16,599.51	14,775.71
Gain on unwinding and assignments of Cross Currency Swap	3,522.01	
Net gain on account of foreign currency fluctuations. (See Note 8 b)	5,313.09	—
Interest for the period 6-2-1990 to 31-3-1992 Capitalised. (See note 8 c)	1,077.56	—
Miscellaneous income (including Rs. 20.22 lakhs in respect of previous years	308.98	89.72
Total	29,144,878	16,384.73

Schedule 13

Cost of Borrowings

Description	Period ended 30th June, 1993 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Interest on Bonds and Borrowings	1,02,710.27	65,513.14
Less : Capitalised (See note 8c)	635.53	—
Total	1,02,074.67	65,513.14
Interest on Exchange Risk Administration Fund	988.65	263.04
Commitment Charges on foreign Currency Loan availed	210·72	129 11
Cost of issue of Bonds	584.87	389.27
Total	1,03,858.91	66,294.56

Schedule 14

Personnel Expenses

Description	Period ended 30th June, 1993 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakes
Salary and Allowances	1,416.99	1,015.78
Staff Welfare Fund Expenses	6.70	3.56
Other Personnel Expenses	99.44	79.32
Total	1,523.13	1,098.66

Schedule 15

Rental, Maintenance and Depreciation

Description	Period ended 30th June, 1993 Rs. lakhs	Year ended 31st March 1992 Rs. Lakhs
Rent, Taxes, Insurance and Lighting (including Rs. 15.68 lakhs in respect of previous years)	407.60	186.70
Repairs & Maintenance	150.44	87.30
Depreciation on Fixed Assets	5,309.50	2,932.38
Total	5,867.54	3,206.38

Schedule 16

Other Expenses

Description	Period ended 30th June, 1993 Rs. Lakhs	Year ended 31st March, 1992 Rs. Lakhs
Audit Fees	2.35	1.55
Travelling and Halting Expenses	64.91	43.79
Communication Expenses	101.37	70.62
Printing, Stationery & Advertisement	77.90	52.39
Loss on investments	170.41	419.56
Other Expenses	186.93	127.00
Total	603.87	714.91

Schedule-17 Accounting Policies and Notes

(A) Significant Accounting Policies :

1. The accompanying financial statements have been prepared on historical cost basis. Accounting policies are being followed consistently, unless otherwise stated.

2. Revenue Recognition :

(a) Keeping in view the guidelines issued by the Reserve Bank of India, interest and other dues are not taken credit for in respect of (a) decreed debts (b) where suits have been filed (c) where loans have been recalled (d) where possibility of recovery has been considered remote and (e) where interest has been overdue for four consecutive quarters and parties have not made payments within 30 days thereafter. The income in such cases is accounted for as and when received and appropriated as per the policy consistently followed by the Corporation.

(b) Front-end fee is accounted for on receipt of the same.

(c) Dividend income is accounted for on accrual basis.

(d) Rental on leased assets is accounted for from the commencement date, as prescribed in the lease agreement entered with the Lessee and prior to that, financial charges are recovered on the advances made to machinery suppliers and/or expenses incurred for the purpose, if any.

3. Investments :

3.1 Valuation :

Investments are valued at cost except in appropriate cases where the cost is written down and the investment is stated at book value. Front-end fee or underwriting commission received against subscription/development of shares, debentures etc. are adjusted against the same.

Aggregate market value/break-up value of investments is compared to Book Value thereof on a global valuation basis.

3.2 Transactions :

(a) Gains or Losses on sale of investments are computed with respect to the average cost of investments held under the respective clause of Section 23 of Industrial Finance Corporation Act, 1948.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies merged with other healthy companies, nationalised, in liquidation or companies with negative networth or where sale of assets is contemplated, is accounted for as and when finally determined.

4. Exchange Transactions :

(a) The balance of :

(i) foreign currency loans/borrowings availed of by the Corporation (except the unutilised amount "parked" with RBI).

(ii) the loans granted to sub-borrowers (except loan covered by ERAS).

(iii) Funds kept in foreign currency accounts with banks and

(iv) contingent liabilities in respect of guarantees given in foreign currency, are expressed in Indian Currency at the prevailing rates at the year-end. Where the Corporation has borrowed in one foreign currency and swaped the liability in another foreign currency the borrowing has been increased/decreased by converting the foreign currency in which the borrowing has been availed. Profit/loss in this respect is accounted for on conclusion of the swap transaction.

Net gain/loss arising on conversion of various assets and liabilities as mentioned above is taken to revenue.

(b) The unutilised amount of Foreign Currency borrowings parked with RBI are valued at the exchange rate fixed by RBI on the date of parking of fund.

(c) The balances of the Foreign Currency Loans granted to sub-borrowers under Exchange Risk Administration Scheme are expressed in rupee equivalent of the rate prevailing at the time of disbursement. The deficit/surplus in respect of exchange fluctuation at the time of repayment of the borrowings after adjusting the balance lying in Exchange Risk Administration Fund, will be paid by or reimbursed to the Government of India through Industrial Development bank of India.

5. Fixed Assets :

(a) Fixed assets have been accounted for at their historical cost less depreciation.

(b) (i) Leased assets are depreciated on the Straight Line Method, on pro rata basis, with respect to month of addition, over the primary period of lease of assets or the number of completed years determined to depreciate 95% of the cost of the respective assets with reference to the income tax depreciation rates relating to these assets, whichever is shorter.

(ii) Other assets are depreciated on the Written Down Value Method (as per Income Tax Act, 1961 and the rules framed thereunder).

(iii) Lease-hold land is amortised over the lease period.

6. Staff Benefits :

Grantuity Liability as actuarially determined at the year end has been provided for and is fully funded.

7. Prior Period Adjustments :

Considering the nature of business, all prior period adjustments, including those ascertained and determined during the

year, have been accounted for under the respective heads of accounts.

(B) Notes forming part of accounts

(Figures relating to previous year are in brackets).

1. Contingent Liabilities on account of (Rs. in lakhs)

(a) Underwriting commitments—2297.00 (648.50).

(b) Uncalled liability on partly paid shares/Debentures held as Investments—1636.64 (363.66).

(c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) approximately—3195.59 (4933.75).

(d) Income Tax matters pending in appeals—359.02 (234.77).

2. Investments include Rs. 46.78 lakhs (Rs. 64.75 lakhs) in shares and debentures of certain companies which are in the process of liquidation, nationalisation, amalgamation with other companies or finalisation of proceedings for sale of assets.

3. Investments do not include shares/units Rs. 1051.42 lakhs (Rs. 386.42 lakhs) of certain consultancy and other organisations which have been subscribed to out of Benevolent Reserve Fund and specific grant from Government of India.

4. (a) Loans and advances to the extent considered not realisable by the Corporation, base don relevant details, information, etc., presently available have been fully provided for. However, while assessing the recoverability of such loans, due effect of the viability, irrespective of the short-fall in value of securities, based on rehabilitation/revival schemes formulated or in the process of formulation or under implementation has been taken into account. Amounts recovered against debts written off are credited to revenue as and when realised and appropriated as per the policy followed by the Corporation.

The Corporation in addition has created a Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. which would be available for any losses that may be identified in future.

(b) Loans and advances made to certain concerns, which are guaranteed by Central/State Government, and/or undertakings of which have been acquired by the Central/State Government including in respect of those cases where the liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, have been considered good and fully recoverable.

5. Under the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS), the Government of India has agreed to extend support to Exchange Risk Administration Fund (ERAF), when it is in deficit represented by the ERAS Fluctuation Account and recoup its contribution in the event of surplus. The Corporation has a claim on (ERAF) maintained by Industrial Development Bank of India (IDBI) to the extent of the deficit, provided there is a positive balance in ERAF Account. If the balance in ERAF is insufficient, the claim will be on the Government of India through IDBI.

6. Balances with banks in India in Current Accounts include Rs. NIL (Rs. 1350.00 lakhs) invested by bankers in Central and/or State Govt. Securities/units of Unit Trust of India with the concurrence of the Corporation and Rs. NIL (Rs. 5450.00 lakhs) in bills under the Bills Rediscounting Scheme of Reserve Bank of India.

7. In respect of some of the premises acquired by the Corporation, formalities regarding conveyancing are in the process of completion.

8. (a) The Corporation has decided not to recognise income on account of interest, commitment, charges, commission etc. accruing after 1st April, 1992 in cases where such income is overdue for four consecutive quarters and not paid within 30 days thereafter, as against eight quarters or more followed in previous year.

(b) Upto 31st March, 1992, profit, if any, arising on account of fluctuations in foreign exchange rates was accounted far in respect of each line of credit only after the borrowings were fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to the assisted concerns were fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit was accounted for as and when such line was fully repaid by the Corporation. It has now been decided to account for the net gain/loss arising on conversion of various assets/liabilities in foreign currencies to revenue account on year to year basis.

(c) The Corporation had purchased leasehold land for Rs. 4200.00 lakhs for the construction of corporate office building thereon and spent a further sum of Rs. 238.99 lakhs in connection with the same. It has decided to capitalise a sum of Rs. 1713.09 lakhs (including Rs. 1077.56 lakhs for the previous year) being the average interest cost of funds utilised for the purpose as allocated by management retrospectively from the date of purchase of the said land.

(d) In view of the changes in the accounting policies (regarding income recognition as per note 8(a) resulting in lower profit by Rs. 13587.20 lakhs, regarding gain/loss on account of fluctuations in Foreign Exchange Rates as per note 8(b) resulting in increase in profit by Rs. 5313.09 lakhs and regarding capitalisation of interest as per note 8(c) resulting in increase in profit by Rs. 1713.09 lakhs), profit before tax for the year is lower by Rs. 6561.02 lakhs.

9. By the Notification F. No. 2(10)/IFI/93 dated the 7th June, 1993, Government of India amended Rule 3 of the Industrial Finance Corporation Rules, 1965 to the effect that the business year of the Corporation shall close on 30th June instead of 31st March. Accordingly, the Corporation changed the accounting year ending on 31st March to 30th June and thus the accounts as per the amended Rule have been prepared for the fifteen months period from 1st April, 1992 to 30th June, 1993.

10. The Industrial Finance Corporation Act 1948, under which the Industrial Finance Corporation of India (Corporation) was established, has since been repealed with effect from 1st July, 1993, but section 11(2) of the Industrial Finance Corporation (Transfer of undertaking and Repeal) Act, 1993 has cast the reasonability on the Industrial Finance Corporation of India Ltd. (Company) to comply with the provisions of sections 33, 34, 34A, 35 and 43 of the Act so repealed, for any of the purposes related to the annual accounts of the Corporation. Accordingly the Board of Directors of the Company has approved the Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Corporation.

11. Depreciation has been provided for the 15 months accounting period on pro-rata basis.

12. Previous year's figures have been rearranged/regrouped whenever necessary.

13. Figures of current period are for 15 months, whereas figures of the previous year are for 12 months and hence not comparable.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
और प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993